



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे 2016-17



राजस्थान सरकार

**विनियोग लेखे**

**वर्ष 2016-2017 के लिए**

**राजस्थान सरकार**

## विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,	
संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21
001. राज्य विधान मंडल	22
002. मंत्रि परिषद्	23
003. सचिवालय	24-26
004. जिला प्रशासन	27-28
005. प्रशासनिक सेवाएं	29-30
006. न्याय प्रशासन	31-32
007. निर्वाचन	33-34
008. राजस्व	35-36
009. वन	37-42
010. विविध सामान्य सेवाएं	43
011. विविध सामाजिक सेवाएं	44-47
012. अन्य कर	48-51
013. आबकारी	52-53
014. बिद्री कर	54
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	55-58
016. पुलिस	59-63
017. कारागार	64-65
018. जन-सम्पर्क	66
019. लोक निर्माण कार्य	67-82
020. आवास	83-86
021. सड़कें एवं पुल	87-99
022. क्षेत्र का विकास	100-104

023.	श्रम तथा रोजगार	105-109
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	110-124
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	125-126
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	127-140
027.	पेय जल योजना	141-162
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	163-165
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	166-180
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	181-252
031.	पुर्नवास एवं सहायता	253
032.	नागरिक आपूर्ति	254-255
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	256-271
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	272-281
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	282-290
036.	सहकारिता	291-292
037.	कृषि	293-306
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	307-309
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	310-312
040.	राजकीय उपक्रम	313
041.	सामुदायिक विकास	314-317
042.	उद्योग	318-321
043.	खनिज	322-325
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	326
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	327
046.	सिंचाई	328-351
047.	पर्यटन	352-353
048.	विद्युत्	354-357
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	358
050.	ग्रामीण रोजगार	359-360
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	361-425
	परिशिष्ट - व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण	426-427

## विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

*प्रभारित* विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
(₹ सहस्र में)			
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक <i>प्रभारित</i>	13,15,17	..	12,26,31
ब्याज अदायगियां <i>प्रभारित</i>	1,77,34,50,29	..	1,76,76,93,49
लोक सेवा आयोग <i>प्रभारित</i>	66,04,93	..	64,54,18
लोक ऋण <i>प्रभारित</i>	..	50,36,98,18	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत <i>प्रभारित</i>	54,98,12 32,01	.. ..	52,41,20 23,10
002. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	10,69,23	..	10,86,54
003. सचिवालय दत्तमत <i>प्रभारित</i>	3,46,32,20 2	.. ..	3,27,32,61 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत <i>प्रभारित</i>	4,41,02,95 6,66	.. ..	4,19,46,11 6,62
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत <i>प्रभारित</i>	2,06,43,37 6	.. ..	1,94,34,66 ..
006. न्याय प्रशासन दत्तमत <i>प्रभारित</i>	6,96,95,07 95,55,50	.. ..	6,54,54,17 91,18,89

## लेखों का सारांश

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	88,86	..	..	..
..	57,56,80	..	..	..
..	1,50,75	..	..	..
50,14,56,70	..	22,41,48	..	..
..	2,56,92	..	..	..
..	8,91	..	..	..
..	..	..	17,31	..
			(आधिक्य ₹ 17,30,608)	
..	18,99,59	..	..	..
..	2	..	..	..
..	21,56,84	..	..	..
..	4	..	..	..
..	12,08,71	..	..	..
..	6	..	..	..
..	42,40,90	..	..	..
..	4,36,61	..	..	..

## 2016-17 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	71,64,43 1,71	.. ..	65,30,45 1,68
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	8,54,81,13 4	.. ..	6,53,09,28 ..
009. वन दत्तमत प्रभारित	7,97,19,50 40,00	1,32,06,02 ..	7,17,60,71 37,77
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	4,12,82,91	..	2,81,31,39
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	1,00,76,93 3	34,54,43 ..	81,81,10 ..
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	5,14,11,64 2,43	3,01,00,02 ..	4,33,86,98 2,39
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,41,17,84 73	1 ..	1,31,03,88 72
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	10,74,26,57 1,78,55	.. ..	10,61,02,12 1,78,51
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	1,26,70,16,19 17,70,26	.. ..	1,22,78,87,89 16,79,27
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	46,30,95,15 1,07,86	41,71,01 ..	44,98,59,54 97,43
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	1,47,57,10 10,18	.. ..	1,41,63,67 10,16



## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	6,33,98	..	..	..
..	3	..	..	..
..	2,01,71,85	..	..	..
..	4	..	..	..
1,18,85,52	79,58,79	13,20,50	..	..
..	2,23	..	..	..
..	1,31,51,52	..	..	..
8,58,71	18,95,83	25,95,72	..	..
..	3	..	..	..
1,00,00,00	80,24,66	2,01,00,02	..	..
..	4	..	..	..
..	10,13,96	1	..	..
..	1	..	..	..
..	13,24,45	..	..	..
..	4	..	..	..
..	3,91,28,30	..	..	..
..	90,99	..	..	..
37,00,74	1,32,35,61	4,70,27	..	..
..	10,43	..	..	..
..	5,93,43	..	..	..
..	2	..	..	..

## 2016-17 के विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	65,99,53 1	.. ..	63,45,05 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	4,69,88,51 1,43	16,17,68,58 ..	4,02,56,29 1,36
020. आवास दत्तमत प्रभारित	88,16,78 1	14,90,47 ..	88,39,63 ..
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	16,01,95,92 1,08,90	34,66,39,10 ..	14,58,11,05 1,01,35
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	21,41,40 4,28	3,51,51,74 43,32	18,21,15 4,26
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	5,10,86,33 2,91	51,32,57 ..	4,89,52,48 2,87
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	2,16,39,85,01 25,09,36	46,14,99 ..	2,09,63,52,42 22,90,83
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	2,14,75,73 3	.. ..	2,00,62,95 ..
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	68,11,78,26 90,24	3,52,96,11 ..	64,42,85,91 75,67
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	31,76,92,90 2,21,48	38,76,32,70 ..	29,13,73,20 2,19,67

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	2,54,48	..	..	..
..	1	..	..	..
7,19,51,99	67,32,22	8,98,16,59	..	..
..	7	..	..	..
6,53,88	..	8,36,59	22,85	..
..	1	..	(आधिक्य ₹ 22,84,799)	..
22,02,98,24	1,43,84,87	12,63,40,86	..	..
..	7,55	..	..	..
3,14,38,77	3,20,25	37,12,97	..	..
43,29	2	3	..	..
25,59,67	21,33,85	25,72,90	..	..
..	4	..	..	..
23,15,80	6,76,32,59	22,99,19	..	..
..	2,18,53	..	..	..
..	14,12,78	..	..	..
..	3	..	..	..
1,72,49,79	3,68,92,35	1,80,46,32	..	..
..	14,57	..	..	..
29,80,1060	2,63,19,70	8,96,22,10	..	..
..	1,81	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम दत्तमत प्रभारित	9,49,64,20 1	2,74,80,00 ..	7,41,41,01 ..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास दत्तमत प्रभारित	48,33,03,94 1,22	17,42,68,00 1	42,06,50,62 1,19
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास दत्तमत प्रभारित	91,12,99,81 50,36	46,80,83,01 ..	73,78,92,80 49,44
031. पुनर्वास एवं सहायता	..	..	..
032. नागरिक आपूर्ति दत्तमत प्रभारित	3,76,42,56 2	4,50,78 ..	3,69,75,37 ..
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण दत्तमत प्रभारित	47,85,93,33 75,75	2,04,31,63 ..	45,21,83,64 75,65
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत दत्तमत प्रभारित	45,37,13,94 1	3 ..	42,09,87,15 ..
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं दत्तमत	4,20,51,70	2,80,55,40	2,73,33,10
036. सहकारिता दत्तमत प्रभारित	4,89,83,80 1	92,89,01 ..	4,76,70,62 ..

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
2,74,80,00	2,08,23,19	..	..	..
..	1	..	..	..
9,59,45,29	6,26,53,32	7,83,22,71	..	..
..	3	1	..	..
43,46,48,01	17,34,07,01	3,34,35,00	..	..
..	92	..	..	..
..	..	..	..	..
33,50	6,67,19	4,17,28	..	..
..	2	..	..	..
1,46,46,77	2,64,09,69	57,84,86	..	..
..	10	..	..	..
..	3,27,26,79	3	..	..
..	1	..	..	..
2,66,83,76	1,47,18,60	13,71,64	..	..
92,89,00	13,13,18	1	..	..
..	1	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
037. कृषि			
दत्तमत	24,82,89,20	5,88,96,90	21,60,89,86
प्रभारित	10,95	..	10,34
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,13,84,84	1,75,18	1,06,94,38
प्रभारित	23,20	..	23,17
039. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	7,41,75,62	3,63,87	7,21,30,06
प्रभारित	1,01	..	- 50
040. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	1,47,95	25,02	1,36,45
प्रभारित	1	..	..
041. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	68,30,54,52	34,93,64	61,30,37,34
प्रभारित	8,18	..	..
042. उद्योग			
दत्तमत	3,23,29,07	1,45,80	2,70,70,86
प्रभारित	3	..	..
043. खनिज			
दत्तमत	4,17,05,57	1,66,00,04	3,76,03,95
प्रभारित	6,70	..	6,68
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	34,11,94	35,01	28,05,53
प्रभारित	1,29	..	1,29

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
2,32,55,35	3,21,99,34	3,56,41,55	..	..
..	61	..	..	..
31,99	6,90,46	1,43,19	..	..
..	3	..	..	..
2,71,24	20,45,56	92,63	..	..
..	1,51	..	..	..
25,00	11,50	2	..	..
..	1	..	..	..
29,58,99	7,00,17,18	5,34,65	..	..
..	8,18	..	..	..
97,26	52,58,21	48,54	..	..
..	3	..	..	..
10,52,91	41,01,62	1,55,47,13	..	..
..	2	..	..	..
8,88	6,06,41	26,13	..	..
..	..	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
( ₹ सहस्र में )			
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	9	..
046. सिंचाई दत्तमत	20,44,94,74	15,03,68,48	19,53,83,55
प्रभारित	3,94,97	32,13	3,90,93
047. पर्यटन दत्तमत	66,77,10	49,12,67	65,14,08
प्रभारित	1	..	..
048. विद्युत दत्तमत	1,50,35,15,95	1,11,56,52,59	1,36,06,55,39
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	33,76	..	6,34
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	25,06,38,46	71,44,80	14,99,84,81
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	95,49,49,00	59,88,15,00	83,04,44,40
प्रभारित	1	..	..
<b>दत्तमत</b>	<b>12,34,27,11,70</b>	<b>3,71,33,44,70</b>	<b>11,24,48,03,74</b>
<b>योग प्रभारित</b>	<b>1,79,65,88,82</b>	<b>50,37,73,64</b>	<b>1,78,97,84,72</b>
<b>कुल योग</b>	<b>14,13,93,00,52</b>	<b>4,21,71,18,34</b>	<b>13,03,45,88,46</b>



## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	..	9	..	..
12,64,09,50	91,11,19	2,39,58,98	..	..
32,10	4,04	3	..	..
21,08,20	1,63,02	28,04,47	..	..
..	1	..	..	..
1,09,72,46,75	14,28,60,56	1,84,05,84	..	..
..	27,42	..	..	..
71,44,80	10,06,53,65	..	..	..
54,12,04,76	12,45,04,60	5,76,10,24	..	..
..	1	..	..	..
<b>3,08,14,65,67</b>	<b>1,09,79,48,12</b>	<b>63,18,79,03</b>	<b>40,16</b>	<b>..</b>
<b>50,15,32,09</b>	<b>68,04,10</b>	<b>22,41,55</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
<b>3,58,29,97,76</b>	<b>1,10,47,52,22</b>	<b>63,41,20,58</b>	<b>40,16</b>	<b>..</b>

**2016-17 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)**

निम्नलिखित दो दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
1.	002. मंत्री परिषद्	17,30,608	..
2.	020. आवास	22,84,799	..

## 2016-17 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2016-17 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	दत्तमत		
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
	( ₹ सहस्र में )		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	11,24,48,03,74	3,08,14,65,67	14,32,62,69,41
घटाइये : वसूलियों का योग	32,05,32,55	8,70,24,00	40,75,56,55
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	<b>10,92,42,71,19</b>	<b>2,99,44,41,67</b>	<b>13,91,87,12,86</b>
	प्रभारित		
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
	( ₹ सहस्र में )		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,78,97,84,72	50,15,32,09	2,29,13,16,81
घटाइये : वसूलियों का योग	41,90	..	41,90
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	<b>1,78,97,42,82</b>	<b>50,15,32,09</b>	<b>2,29,12,74,91</b>

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 426-427 पर दिया गया है ।

## भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार कार्यालय और अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें की लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: अक्टूबर 13, 2017

स्थान: नई दिल्ली,

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक  
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	11,76,78	13,15,17	12,26,31	- 88,86
अनुपूरक	1,38,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				88,34

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. ₹ 88.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 1,38.39 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।

**ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	1,75,26,62,86			
अनुपूरक	2,07,87,43	1,77,34,50,29	1,76,76,93,49	- 57,56,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				57,26,47

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

- ₹ 2,07,87.43 लाख के कुल अनुपूरक विनियोजन में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 2,07,87.34 लाख की राशि मुख्यतः राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु ली गयी जो विनियोजन के अन्तर्गत ₹ 57,56.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्याधिक थी।
- ₹ 57,56.80 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 30.33 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

**लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	29,41,54			
अनुपूरक	36,63,39	66,04,93	64,54,18	- 1,50,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,50,70

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

1. ₹ 1,50.75 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 36,63.39 लाख का प्रावधान मुख्यतः विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन तथा गोपनीय कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।



लोक ऋण ( समस्त प्रभारित )

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और  
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ सहस्र में )	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	47,20,49,00			
अनुपूरक	3,16,49,18	50,36,98,18	50,14,56,70	- 22,41,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				22,41.48

टिप्पणी तथा टीका :

पूंजी

1. ₹ 22,41.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 3,16,49.18 लाख का प्रावधान मुख्यतः बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान तथा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की विशेष प्रतिभूतियों के भुगतान हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।

## अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	52,24,99	54,98,12	52,41,20	– 2,56,92
अनुपूरक	2,73,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,53,05
<b>प्रभारित</b>				
मूल	32,01	32,01	23,10	– 8,91
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				8,91

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. ₹ 2,56.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,73.13 लाख का प्रावधान ए.सी. प्लांट और ब्रिक्स सम्मेलन पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
2. ₹ 2,56.92 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3.87 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान मंडल				
मू.	23,80.19	21,65.37	21,64.29	– 1.08
पु.	– 2,14.82			

₹ 2,14.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 4 माननीय सदस्यों के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने, 5 माननीय सदस्यों के संसदीय कार्य सचिव बनने तथा 3 माननीय सदस्यों के विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष बनने के परिणामस्वरूप इन सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान अन्य लेखा शीर्ष से होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय हुआ, (ii) कुछ सदस्यों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं करने तथा (iii) कुछ सदस्यों द्वारा यात्रा बिल प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 002 - मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2013. मंत्रिपरिषद्**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	9,34,23			
		10,69,23	10,86,54	+ 17,31
अनुपूरक	1,35,00			(आधिक्य ₹ 17,30,608)

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित

राशि

..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

- व्यय अनुदान से ₹ 17,30,608 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- ₹ 17.31 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,35.00 लाख का प्रावधान अपर्याप्त था।
- आधिक्य (अनुदान के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत रही बचत से प्रतिसंतुलित किया गया) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रहा:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>2013. मंत्रिपरिषद्</b>			
<b>108. यात्रा व्यय</b>			
मू.	50.00		
अ.	10.00	1,35.83	+ 17.31
पु.	75.83		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.83 लाख की अतिरिक्त निधियां मंत्रियों के विदेश यात्रा के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 17.31 लाख का अंतिम आधिक्य मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के विदेश यात्रा व्यय के भुगतान के कारण था।

### अनुदान संख्या 003 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,  
2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और  
3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,24,26,59		
अनुपूरक	22,05,61	3,46,32,20	3,27,32,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 18,99,59
<b>प्रभारित</b>			
मूल	2		
अनुपूरक	..	2	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 2
			18,99,48

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,72,73.58 लाख, ₹ 45,19.38 लाख, ₹ 22,90.39 लाख, ₹ 25,14.74 लाख तथा ₹ 18,99.59 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.48 प्रतिशत से 53.89 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- ₹ 22,05.61 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 22,05.60 लाख की राशि विश्व बैंक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन के अन्तर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु ली गयी जो ₹ 18,99.59 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमण्डल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्य मंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[01] कार्मिक विभाग के माध्यम से			
मू.	31,13.00		
पु.	- 3,22.09	27,90.91	27,90.91
			..

₹ 3,22.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, राज्य सरकार से पदस्थापन आदेशों के लिए प्रतीक्षारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 003 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग (कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामलात, स्टेट मिशन के वेतन तथा भत्ते)			
मू.	55,91.63		
पु.	- 6,23.37	49,68.26	49,68.26
			..
₹ 6,23.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) राज्य सरकार से पदस्थापन आदेशों के लिए प्रतीक्षाकरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, (iii) नये फर्नीचर की खरीद पर कम व्यय तथा (iv) पानी, बिजली तथा टेलीफोन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(04) वित्त विभाग			
मू.	25,90.10		
पु.	- 2,85.26	23,04.84	23,04.84
			..
090. सचिवालय			
(06) राजस्व विभाग एवं देवस्थान विभाग			
मू.	7,76.00		
पु.	- 1,80.80	5,95.20	5,95.20
			..
090. सचिवालय			
(07) विधि विभाग			
मू.	9,97.52		
अ.	0.02		
पु.	- 1,07.20	8,90.34	8,90.34
			..
090. सचिवालय			
(08) विभागीय जांच विभाग			
मू.	3,44.00		
पु.	- 1,31.10	2,12.90	2,12.90
			..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 7,04.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों के नहीं भरने को आरोपित की गयी।			
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति			
मू.	10,06.00		
पु.	- 1,42.61	8,63.39	8,63.39
			..

**अनुदान संख्या 003 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02) चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य विभाग तथा आयुर्वेद			
मू.	8,00.00	6,89.91	6,89.91
पु.	- 1,10.09		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,52.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों के नहीं भरने को आरोपित की गयी।

3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[01] राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
मू.	8,53.71	7,47.18	7,47.18
पु.	- 1,06.53		

₹ 1,06.53 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों के नहीं भरने को आरोपित की गयी।

090. सचिवालय			
(07) कृषिमय सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी, ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग			
मू.	8,50.00	6,99.73	6,99.61
पु.	- 1,50.27		

₹ 1,50.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों के नहीं भरने को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
102. जिला योजना संगठन			
(03) विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वितीय चरण हेतु व्यय			
मू.	1,00,00.00	1,33,00.00	1,33,00.00
अ.	22,05.58		
पु.	10,94.42		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,94.42 लाख की अतिरिक्त निधियां नयी योजनाओं को लागू करने तथा विद्यमान योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 004 – जिला प्रशासन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,34,58,78	4,41,02,95	4,19,46,11	– 21,56,84
अनुपूरक	6,44,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				21,12,46
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	6,66	6,62	– 4
अनुपूरक	6,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च 2017 में लिया गया ₹ 6,44.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 21,56.84 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 44.38 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 49,93.92 लाख, ₹ 36,60.88 लाख, ₹ 35,39.32 लाख, ₹ 41,69.68 लाख तथा ₹ 21,56.84 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 4.89 प्रतिशत से 14.87 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2053. जिला प्रशासन				
094. अन्य स्थापनाएँ				
(02) तहसील कार्यालय				
मू.	2,37,64.34	2,16,75.78	2,16,68.60	– 7.18
पु.	– 20,88.56			

₹ 20,88.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सूचना सहायकों के 206 स्वीकृत नये पदों सहित 4,275 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 7.18 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 004 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(03) सुशासन व्यवस्था			
मू.	6,22.60		
		2,19.45	2,19.46
पु.	- 4,03.15		+ 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 4,03.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
093. जिला स्थापनाएँ			
(02) दण्डाधीश			
मू.	9,06.97		
		10,53.28	10,53.00
पु.	1,46.31		- 0.28

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,46.31 लाख की अतिरिक्त निधियां 48 सूचना सहायकों के पद ग्रहण करने पर वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

094. अन्य स्थापनाएँ  
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएँ

मू.	67,53.62		
		70,95.15	70,92.79
पु.	3,41.53		- 2.36

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,41.53 लाख की अतिरिक्त निधियां 238 सूचना सहायकों के पद ग्रहण करने पर वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।



**अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग,  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,  
2062. सतर्कता और  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,67,01,63	2,06,43,37	1,94,34,66	- 12,08,71
अनुपूरक	39,41,74			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				11,41,36
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6	6	..	- 6
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 12,08.71 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 39,41.74 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 12,08.71 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 67.35 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग				
103. कर्मचारी चयन आयोग				
(01) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड				
मू.	12,07.57	20,46.44	19,81.55	- 64.89
अ.	9,54.00			
पु.	- 1,15.13			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,54.00 लाख का प्रावधान रिक्त पदों के भरने के पश्चात् वेतन एवं भत्तों, विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन तथा गोपनीय कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,15.13 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 64.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 005 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[02] फर्म प्रशिक्षण			
मू.	3,60.00		
अ.	2,20.00	4,76.31	4,76.31
पु.	- 1,03.69		..

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,20.00 लाख का प्रावधान प्रशिक्षणार्थियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,03.69 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान राज्य प्रशासनिक/पुलिस/लेखा एवं अन्य सेवा के नवीन बैच-2013 के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं होने को आरोपित की गयी।

114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव  
(02) गाड़ियों का एकत्रीकरण

मू.	27,21.87			
पु.	- 4,67.52	22,54.35	22,52.66	- 1.69

₹ 4,67.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 323 पदों के रिक्त रहने तथा वित्तीय वर्ष के अन्त तक विधानसभा सत्र चलने के कारण विधायकगणों द्वारा वाहनों के किराये के बिलों को प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी।

114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव  
(06) नागरिक विमानन निदेशालय  
[01] नागरिक विमानन निदेशालय

मू.	9,24.55			
पु.	- 1,39.74	7,84.81	7,84.82	+ 0.01

₹ 1,39.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वायुयान टोइंग उपकरण, ग्राउन्ड पावर यूनिट, पोर्टेबल पावर पैक तथा उच्चतम आवृत्ति उपकरण नहीं खरीदने तथा (ii) वरिष्ठ पायलट अधिकारी, प्रशिक्षित मैकेनिक, फ्लाईट डिस्पेचर तथा चालक की उपलब्धता नहीं होने को आरोपित की गयी।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि  
(08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई

मू.	1,76.72			
अ.	1,69.49	1,76.98	1,76.98	..
पु.	- 1,69.23			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,69.49 लाख का प्रावधान राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई में आधारभूत सुविधाओं के लिए लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए लगभग अनावश्यक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 1,69.23 लाख का प्रावधान नये विश्रांती भवन के शुभारम्भ नहीं होने के कारण कार्यालय व्यय तथा संविदात्मक प्रभार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,60,90,70			
अनुपूरक	36,04,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		6,96,95,07	6,54,54,17	- 42,40,90
<b>प्रभारित</b>				
मूल	79,97,85			
अनुपूरक	15,57,65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		95,55,50	91,18,89	- 4,36,61
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				4,27,55

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 36,04.37 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 42,40.90 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 6.85 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
3. बचत (जो अनुदान के अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
<b>2014. न्याय प्रशासन</b>				
<b>105. सिविल और सेशन न्यायालय</b>				
<b>(01) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय</b>				
मू.	2,07,78.84			
अ.	36,04.36			
पु.	- 17,83.01			
		2,26,00.19	2,25,94.82	- 5.37

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 36,04.36 लाख का प्रावधान (i) रिक्त पदों के भरने के पश्चात् वेतन एवं भत्तों के भुगतान, (ii) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (फेज- II), डिजिटलाईजेशन हेतु भारत सरकार से प्राप्त निधियों का उपयोग तथा (iii) फोटोस्टेट मशीन की खरीद की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 17,83.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने, (ii) न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने, (iii) नवीन मद नहीं खरीदे गये क्योंकि 917 फोटोस्टेट मशीन, 1941 यू.पी.एस. , अधीनस्थ न्यायालयों के लिये 203 कम्प्यूटर्स मय यू.पी.एस तथा न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु 1075 प्रिंटर खरीदने के लिए मार्च 2017 के प्रथम सप्ताह में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई तथा (iv) प्रशासनिक कारणों के कारण केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (फेज- II) हेतु भारत सरकार से प्राप्त सम्पूर्ण राशि का उपभोग नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 5.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### अनुदान संख्या 006 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय			
मू.	1,44,60.08		
पु.	- 15,76.38		
	1,28,83.70	1,28,83.69	- 0.01

₹ 15,76.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।

114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल)  
(02) गृह विभाग के माध्यम द्वारा  
[01] अभियोजन कर्मचारी वर्ग

मू.	66,84.81		
पु.	- 9,61.85		
	57,22.96	57,22.92	- 0.04

₹ 9,61.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 294 सहायक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने को आरोपित की गई क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन थी।

#### प्रभारित

- ₹ 15,57.65 लाख के कुल अनुपूरक विनियोजन में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ली गई ₹ 15,57.59 लाख की राशि प्रभृत विनियोजन के अन्तर्गत ₹ 4,36.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।
- ₹ 4,36.61 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 9.06 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन			
मू.	79,97.82		
अ.	15,57.59		
पु.	- 4,27.53		
	91,27.88	91,18.82	- 9.06

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 15,57.59 लाख का प्रावधान रिक्त पदों को भरने के पश्चात् वेतन तथा भत्तों के भुगतान, परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति तथा कम्प्यूटर की खरीद की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 4,27.53 लाख का प्रावधान (i) माननीय न्यायाधीशों के पदों के रिक्त रहने, (ii) माननीय मुख्य न्यायाधीश के आवास की साज-सज्जा के लिए स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त होने, (iii) 375 कम्प्यूटर्स मय यू.पी.एस. नहीं खरीदे गये तथा (iv) उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक परिसर में सफाई कार्य संविदा आधार पर लागू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 9.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 007 – निर्वाचन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन और**

**2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	71,64,43			
अनुपूरक	..	71,64,43	65,30,45	- 6,33,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6,26,87
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	1,69	1,71	1,68	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 6,33.98 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 7.11 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>2015. निर्वाचन</b>				
<b>102. निर्वाचन अधिकारी</b>				
मू.	19,29.53			
पु.	- 2,91.69	16,37.84	16,37.42	- 0.42
₹ 2,91.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।				

**अनुदान संख्या 007 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण			
मू. 45,00.00	42,99.47	42,95.22	- 4.25
पु. - 2,00.53			
31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.53 लाख का प्रावधान भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के आगामी चुनावों हेतु पर्याप्त पर्यवेक्षकों तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
108. मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना			
मू. 3,10.00	1,81.22	1,81.05	- 0.17
पु. - 1,28.78			
31 मार्च 2017 को ₹ 1,28.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 008 - राजस्व**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व और  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,54,81,02			
अनुपूरक	11	8,54,81,13	6,53,09,28	- 2,01,71,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,01,46,68
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3			
अनुपूरक	1	4	..	- 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,01,71.85 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 25.17 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 97,35.58 लाख, ₹ 72,08.34 लाख, ₹ 60,95.99 लाख, ₹ 1,14,46.44 लाख तथा ₹ 2,01,71.85 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.52 प्रतिशत से 23.60 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य (02) जिला कर्मचारी वर्ग				
मू.	48,19.35			
पु.	- 5,33.57	42,85.78	42,85.92	+ 0.14

₹ 5,33.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों के अन्य विभागों में स्थानान्तरण तथा अन्य निकायों में प्रतिनियुक्ति के कारण पदों के रिक्त रहने तथा (ii) डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण के अन्तर्गत निजी कम्पनियों द्वारा सर्वेक्षण कार्य किये जाने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 008 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व 103. भू-अभिलेख (02) जिला व्यय			
मू.	5,76,68.17		
पु.	- 46,76.22		
	5,29,91.95	5,29,69.88	- 22.07
31 मार्च 2017 को ₹ 46,76.22 लाख का प्रावधान 17,404 स्वीकृत पदों में से 6,939 पदों के रिक्त रहने तथा मजदूरी एवं कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 22.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
103. भू-अभिलेख (04) भू-अभिलेख सुधार योजना (भू-प्रबन्ध आयुक्त के माध्यम से)			
[02] भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50:50)			
मू.	1,44,17.02		
पु.	- 1,06,51.23		
	37,65.79	37,65.79	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,06,51.23 लाख का प्रावधान (i) डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 01.04.2016 से सेक्टर सेक्टर स्कीम में परिवर्तित होने तथा स्कीम का व्यय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के बचत खाते से किये जाने तथा (ii) सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण कार्य देरी से स्वीकृत किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,05,73.65 लाख) एवं (₹ 77.58 लाख) अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
103. भू-अभिलेख (07) राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम			
मू.	43,46.00		
पु.	- 37,78.34		
	5,67.66	5,67.66	..
31 मार्च 2017 को ₹ 37,78.34 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा पूर्व में जारी कुल निधियों में रही अवशेष राशि की सीमा तक निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं 099. राजस्व बोर्ड (01) मंडल और उसकी स्थापना			
मू.	21,77.34		
पु.	- 1,85.59		
	19,91.75	19,89.43	- 2.32
₹ 1,85.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 477 स्वीकृत पदों में से 184 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
099. राजस्व बोर्ड (02) राजस्व अपीलीय अधिकारी			
मू.	5,67.96		
पु.	- 1,76.63		
	3,91.33	3,91.31	- 0.02
₹ 1,76.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 154 स्वीकृत पदों में से 111 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			



**अनुदान संख्या 009 - वन**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी - 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,97,19,50	7,97,19,50	7,17,60,71	- 79,58,79
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				79,78,65

<b>प्रभारित</b>				
मूल	20,00	40,00	37,77	- 2,23
अनुपूरक	20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				68

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	75,44,11	1,32,06,02	1,18,85,52	- 13,20,50
अनुपूरक	56,61,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				13,10,56

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 79,58.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 79,78.65 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,54,23.07 लाख, ₹ 1,88,28.65 लाख, ₹ 1,17,24.21 लाख, ₹ 43,33.52 लाख तथा ₹ 79,58.79 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.78 प्रतिशत से 25.13 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य निदेशन			
मू.	26,74.41	24,09.13	24,08.38
पु.	- 2,65.28		
₹ 2,65.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			- 0.75
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,53,11.91	4,25,52.94	4,25,31.94
पु.	- 27,58.97		
₹ 27,58.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भर्ती में देरी के कारण वनरक्षकों एवं वनपाल के पदों के रिक्त रहने, (ii) कार्यभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने तथा (iii) वर्षा की कमी के कारण वृक्षारोपण कम होने को आरोपित की गयी।			- 21.00
₹ 21.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(11) एकीकृत वन सुरक्षा योजना (1:3)			
मू.	4,00.00	2,81.51	2,81.50
पु.	- 1,18.49		
₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से वन संरक्षण हेतु निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनुमानित किया गया। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,18.49 लाख की बचत रही जो मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण थी।			- 0.01
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज- II			
मू.	1,40,40.16	1,21,41.88	1,21,84.63
पु.	- 18,98.28		
₹ 18,98.28 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 42.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			+ 42.75

**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(26) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम			
[01] राज्य वन विकास अभिकरण			
मू.	1,02.75	..	..
पु.	- 1,02.75	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,02.75 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित की गयी।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव परिरक्षण  
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भोर

मू.	19,02.00	9,55.38	9,55.38	..
पु.	- 9,46.62			

₹ 19,02.00 लाख का प्रावधान प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में जानवरों की सुरक्षा हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 9,46.62 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो (i) रणथम्भोर बाघ फाउण्डेशन के निजी निक्षेप खाते में निधियाँ कम हस्तान्तरित होने, (ii) विशेष बाघ संरक्षण बल के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान पुलिस विभाग के माध्यम से किये जाने, (iii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा (iv) बाघ परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्रों में गैस कनेक्शन के वितरण हेतु अनुदान इस शीर्ष के बजाय कैम्पा के माध्यम से जारी किये जाने के कारण रही।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव परिरक्षण  
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का

मू.	15,26.66	8,11.70	8,11.70	..
पु.	- 7,14.96			

₹ 15,26.66 लाख का प्रावधान प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में जानवरों की सुरक्षा हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 7,14.96 लाख की प्रत्याशित बचत रही जो मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा बाघ परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्रों में गैस कनेक्शन के वितरण हेतु अनुदान इस शीर्ष के बजाय कैम्पा के माध्यम से जारी किये जाने के कारण रही।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव परिरक्षण  
(03) वन क्षेत्रों का संधारण

मू.	55,65.19	51,33.00	51,32.95	- 0.05
पु.	- 4,32.19			

₹ 4,32.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भर्ती में देरी के कारण वनरक्षकों के पदों के रिक्त रहने तथा (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(08) मुकुन्दरा नेशनल पार्क			
मू.	4,10.00		
पु.	- 1,60.45	2,49.55	2,49.55 ..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,60.45 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(09) टाइगर सफारी आवली			
मू.	3,00.01		
पु.	- 2,50.01	50.00	50.00 ..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,50.01 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(10) वन धन योजना			
मू.	4,06.35		
पु.	- 3,12.51	93.84	93.85 + 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 3,12.51 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 13,20.50 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 56,61.91 लाख का प्रावधान नाबार्ड द्वारा पोषित वनों में लघु निर्माण कार्य एवं कैम्पा परियोजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 13,20.50 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 9.94 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 27,44.09 लाख, ₹ 16,30.16 लाख, ₹ 88,48.59 लाख, ₹ 14,40.26 लाख तथा ₹ 13,20.50 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.82 प्रतिशत से 39.61 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

### अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
070. संचार तथा भवन			
(02) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से			
मू.                                 2,93.00			
पु.                                 - 1,93.00	1,00.00	1,00.00	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,93.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन तथा आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. वानिकी  
102. समाज तथा फार्म वानिकी  
(12) भाखड़ा नांगल नहर के किनारे वृक्षारोपण  
(राजस्थान के भाग से)

मू.                                 3,60.76			
पु.                                 - 1,92.81	1,67.95	1,67.95	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,92.81 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. वानिकी  
102. समाज तथा फार्म वानिकी  
(14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य

मू.                                 29,83.27			
अ.                                 53,95.38	71,57.36	71,47.42	- 9.94
पु.                                 - 12,21.29			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 53,95.38 लाख का प्रावधान नाबार्ड की सहायता से लघु निर्माण कार्यों हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 12,21.29 लाख का प्रावधान कार्यों के भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,49.45 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,71.84 लाख) किया गया क्योंकि नाबार्ड फेज-III के कार्य केवल मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत चयनित गाँवों में ही किया जाना था तथा चयनित गाँवों में कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं हुई।

₹ 9.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव  
110. वन्य जीव  
(01) वन क्षेत्रों का संधारण

मू.                                 3,07.80			
पु.                                 - 1,13.29	1,94.51	1,94.51	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,13.29 लाख का प्रावधान अधीनस्थ खण्डों द्वारा बीढ अभ्यारण धौलपुर चम्बल का चिन्हीकरण तथा वन विहार वन्य जीव अभ्यारण, धौलपुर द्वारा कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 009 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(06) बाघ परियोजना रणथम्भौर			
मू.	1,03.05	..	..
पु.	- 1,03.05	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,03.05 लाख का समस्त प्रावधान विशेष बाघ संरक्षण बल के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए भारत सरकार से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(02) फोरेस्ट/कैम्पा की विभिन्न परियोजना हेतु			
मू.	50.00	..	..
अ.	2,66.53	8,19.18	..
पु.	5,02.65	8,19.18	..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,02.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कैम्पा निधि में निवल वर्तमान मूल्य की राशि को जमा कराने के लिए उपभोक्ता विभाग से भारत सरकार के नियम एवं शर्तों के अनुसार वनभूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों में बदलाव के कारण प्राप्त होने से उपलब्ध करायी गयी।

02. पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीव			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यावरण वृक्षारोपण			
मू.	4,47.59	6,95.69	..
पु.	2,48.10	6,95.69	..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,48.10 लाख की अतिरिक्त निधियां योजना के अन्तर्गत बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा को लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,12,82,91			
अनुपूरक	..	4,12,82,91	2,81,31,39	- 1,31,51,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,31,52,39

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,31,51.52 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में ₹ 1,31,52.39 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2075. विविध सामान्य सेवाएं				
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण				
(01) मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को अन्तरण				
मू.	4,10,00.00			
पु.	- 1,31,80.78	2,78,19.22	2,78,19.22	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,31,80.78 लाख का प्रावधान जनवरी से दिसम्बर 2016 के दौरान प्राप्त वास्तविक गारंटी शुल्क को गारंटी मोचन निधि में हस्तांतरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,31,42.74 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 38.04 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और  
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण  
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान  
 पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	86,41,22	1,00,76,93	81,81,10
अनुपूरक	14,35,71		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 18,95,83
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3	3	..
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 3
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	34,54,43	34,54,43	8,58,71
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 25,95,72
			25,65,67

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मन्दिरों के पुनरुद्धार हेतु लिया गया ₹ 14,35.71 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 18,95.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 14.21 लाख अनुअभ्यर्पित रही।



**अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्व अक्षयनिधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान एवं धर्मपुरा			
मू.	14,87.22		
		13,67.42	13,67.41
पु.	- 1,19.80		- 0.01

₹ 1,19.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के तहत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) रिक्त पदों के विपरीत संविदा कार्मिकों की उपलब्धता न होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय

(03) ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुत्थान हेतु सहायता

मू.	0.01			
अ.	14,35.71	10,00.00	10,00.00	..
पु.	- 4,35.72			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 14,35.71 लाख का प्रावधान मंदिरों के पुनरुद्धार हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 4,35.72 लाख का प्रावधान आहरण एवं संवितरण अधिकारी की घोषणा नहीं किये जाने के कारण जल संसाधन विभाग को निधियों का हस्तांतरण न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(01) विज्ञान एवं तकनीक

मू.	8,67.13			
		6,46.12	6,46.10	- 0.02
पु.	- 2,21.01			

₹ 2,21.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क

मू.	5,37.04			
		1,49.18	1,49.18	..
पु.	- 3,87.86			

31 मार्च 2017 को ₹ 3,87.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 2,34.52 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,53.34 लाख) किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(04) विज्ञान एवं समाज			
मू.	1,53.04		
पु.	- 1,18.52	34.52	34.52
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,18.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(05) विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण			
मू.	7,14.18		
पु.	- 3,48.84	3,65.34	3,65.33
			- 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 3,48.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(06) जैव प्रोद्योगिकी			
मू.	2,51.88		
पु.	- 2,21.95	29.93	29.93
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,21.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(02) सी.ई.टी.पी. (सार्वजनिक निराकरण संयंत्र प्रदूषित)			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00	..	..
			..
₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए लघु उद्योगों से प्रदूषित निकासी को सार्वजनिक प्रदूषित निराकरण संयंत्र की स्थापना से निराकरण करने हेतु अनुमानित किया गया। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(05) राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड			
मू.	2,87.32		
पु.	- 1,77.65	1,09.67	1,09.67
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,77.65 लाख का प्रावधान निधियों की उपलब्धता तथा कम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

### अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(03) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना			
मू.	19,75.24	24,73.65	24,73.65
पु.	4,98.41		
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,98.41 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्र एवं राज्य के बीच फंडिंग पेटर्न अनुपात को 70:30 से 50:50 में परिवर्तित करने के परिणामतः योजना पर राज्यांश की वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

### पूंजी

#### दत्तमत

- ₹ 25,95.72 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 30.05 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक निर्माण			
विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	22,00.31	2,10.54	2,10.50
पु.	- 19,89.77		
			- 0.04

31 मार्च 2017 को ₹ 19,89.77 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

#### 800. अन्य व्यय

- (02) तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक निर्माण
- विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य
- [91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	1,76.02	16.84	16.84	..
पु.	- 1,59.18			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,59.18 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

#### 800. अन्य व्यय

- (03) तीर्थ यात्रियों के लिए विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य

मू.	5,51.98	2,85.43	2,55.43	- 30.00
पु.	- 2,66.55			

31 मार्च 2017 को ₹ 2,66.55 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 012 - अन्य कर**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,  
 2041. वाहन कर,  
 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और  
 3055. सड़क परिवहन  
 पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,92,15,79	5,14,11,64	4,33,86,98	- 80,24,66
अनुपूरक	21,95,85			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				80,23,64
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	2,43	2,39	- 4
अनुपूरक	2,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,01,00,02	3,01,00,02	1,00,00,00	- 2,01,00,02
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,01,00,02

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 21,95.85 लाख का प्रावधान रियायती यात्राओं की प्रतिपूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

**अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
मू.	16,00.00		
अ.	0.01	15,00.00	14,83.51
पु.	- 1,00.01		- 16.49

31 मार्च 2017 को ₹ 1,00.01 लाख का प्रावधान न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की बिक्री के अनुसार वेंडरों को कमीशन का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 16.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2041. वाहन कर

    101. संग्रहण प्रभार

    (01) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मू.	53,00.39			
		48,16.66	48,16.53	- 0.13
पु.	- 4,83.73			

₹ 4,83.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

    103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क

    (03) शीर्ष 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर से  
    स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय

मू.	8,06.22			
		1,75.74	1,75.74	..
पु.	- 6,30.48			

₹ 8,06.22 लाख का प्रावधान बिक्री कर, विद्युत् कर तथा मनोरंजन कर के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के अनुपात में मुख्य शीर्ष 2040- "बिक्री, व्यापार आदि पर कर" से संयुक्त स्थापना व्यय का वास्तविक हस्तान्तरण करने के लिए अनुमानित था। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक हस्तांतरण अनुमानों से कम था परिणामस्वरूप ₹ 6,30.48 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गयी।

3055. सड़क परिवहन

    190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

    (10) सुधार सम्बद्ध योजना-(रिफार्म लिंकड प्लान) राजस्थान  
    राज्य पथ परिवहन निगम को सहायतार्थ अनुदान

मू.	1,20,00.00			
		40,00.00	40,00.00	..
पु.	- 80,00.00			

31 मार्च 2017 को ₹ 80,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 60,41.73 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 19,58.27 लाख) किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(08) सड़क सुरक्षा निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,50.08	..	..
पु.	- 2,50.08		
₹ 2,50.08 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर			
101. संग्रहण प्रभार			
(03) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण			
मू.	18,90.76	22,87.44	..
पु.	3,96.68		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,96.68 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

3055. सड़क परिवहन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वायबिलिटी गेप फण्ड के लिए अनुदान			
मू.	20,00.00	29,01.65	..
पु.	9,01.65		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,01.65 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(07) सुधार सम्बद्ध योजना (रिफार्म लिंकड प्लान) राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूँजी			
मू.	3,00,00.00	..	..
पु.	- 3,00,00.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,00,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 2,00,00.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 99,99.99 लाख) किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड को उधार			
मू.	0.01	1,00,00.00	1,00,00.00
पु.	99,99.99	..	..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क  
पूंजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,38,25,57	1,41,17,84	1,31,03,88	- 10,13,96
अनुपूरक	2,92,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				10,12,89
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	73	72	- 1
अनुपूरक	72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1

#### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,92.27 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय				
मू.	24,65.12	19,12.88	19,12.65	- 0.23
अ.	1,25.30			
पु.	- 6,77.54			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,25.30 लाख का प्रावधान मानदेय तथा प्रोत्साहन पर हुये व्यय की पूर्ति हेतु अनावश्यक था जैसाकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।



### अनुदान संख्या 013 - (समाप्त)

₹ 24,65.12 लाख के कुल प्रावधान में से ₹ 10,00.00 लाख रेडियो/टेलीविजन/ समाचार पत्रों/ डिस्पले बोर्ड, वाल पेंटिंग के माध्यम से शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव से जन-जागरूकता लाने संबंधी जारी किये गये विज्ञापन द्वारा जारी सूचना शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों, शराब का अवैध उत्पादन तथा बिक्री की रोकथाम के लिए अनुमानित था। निधियां आई.ई.सी. गतिविधियों के तहत सरकार से मद्य संयम प्रचार प्रसार नीतियों से संबंधित किसी भी दिशा-निर्देश प्राप्त होने की प्रत्याशा हेतु भी अनुमानित थी। यद्यपि, ₹ 6,77.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) आई.ई.सी. गतिविधियों के अनुमान के विरुद्ध कम व्यय रहा, (ii) आबकारी भवनों के मरम्मत की स्वीकृति देर से प्राप्त होने तथा (iii) 231 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 72 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निरोधक दल			
मू.	73,10.78	70,02.38	70,01.55
पु.	- 3,08.40		- 0.83

₹ 3,08.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 3,234 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,327 पदों के रिक्त रहने तथा निरोधक दल से पूर्व सेना कर्मियों द्वारा त्याग पत्र/ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) निरोधक दल में होमगार्ड एवं अस्थायी रसोईयों की कम उपलब्धता को आरोपित की गई।

## अनुदान संख्या 014 - बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,32,63,49			
अनुपूरक	5,41,63,08	10,74,26,57	10,61,02,12	- 13,24,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				13,23,18
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	1,78,53	1,78,55	1,78,51	- 4
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 13,24.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,41,63.08 लाख का प्रावधान मुख्यतः राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत निवेश सहाय्य के भुगतान तथा जल संरक्षण उपकर निधि में निधियों के हस्तान्तरण हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 015 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,24,92,46,31			
अनुपूरक	1,77,69,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		1,26,70,16,19	1,22,78,87,89	- 3,91,28,30
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,00,04			
अनुपूरक	16,70,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		17,70,26	16,79,27	- 90,99
				3,25,56,68
				23

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च 2017 में मुख्यतः जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के कर्मचारियों के पेंशन भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,77,69.88 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 3,91,28.30 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 65,71.62 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01. सिविल				
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते				
(01) राज्य कर्मचारियों को पेंशन				
मू.	68,00,00.00			
पु.	- 6,70,00.00			
		61,30,00.00	60,70,10.32	- 59,89.68

31 मार्च 2017 को ₹ 6,70,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रूझान को देखते हुए अभ्यर्पित (₹ 2,04,65.55 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,65,34.45 लाख) की गई। अनुमानित प्रावधान में कटौती पेंशनर्स की मृत्यु, उनकी पेंशन पारिवारिक पेंशन में परिवर्तित होने तथा कोषालयों द्वारा जिला परिषदों व पंचायत समितियों के कर्मचारियों की पेंशन के वर्गीकरण को सही करने से हुए प्रभाव के कारण की गई।

₹ 59,89.68 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
105. परिवार पेंशन			
मू.	17,50,00.00	16,35,00.00	16,33,29.61
पु.	- 1,15,00.00		
			- 1,70.39

31 मार्च 2017 को ₹ 1,15,00.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया। अनुमानित प्रावधान में कटौती पारिवारिक पेंशनर्स की मृत्यु तथा कोषालयों द्वारा जिला परिषदों व पंचायत समितियों के कर्मचारियों की परिवार पेंशन के वर्गीकरण को सही करने से हुए प्रभाव के कारण की गई।

₹ 1,70.39 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर के पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

- 01. सिविल
- 200. अन्य पेंशन
- (01) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान

मू.	10,00.00	4,37.00	4,35.55
पु.	- 5,63.00		
			- 1.45

31 मार्च 2017 को ₹ 5,63.00 लाख का प्रावधान फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा मृतक/अशक्तता कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का पूर्वानुमान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
102. पेंशन का सारांशिकृत मूल्य			
मू.	6,70,00.00	7,36,50.00	7,36,23.62
पु.	66,50.00		
			- 26.38

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा पेंशन विभाग के पास पेंशन के सारांशिकृत मूल्य का भुगतान करने के लिए राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों के वास्तविक वेतन की जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 26.38 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
104. उपदान			
(01) राज्य कर्मचारियों को उपदान			
मू.	16,50,00.00		
पु.	75,70.00	17,25,70.00	17,25,35.19
			- 34.81

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75,70.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा उपदान के भुगतान हेतु राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के वास्तविक वेतन की गणना के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 34.81 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल  
104. उपदान  
(02) कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान

मू.	10,00.00			
पु.	1,43.25	11,43.25	11,43.16	- 0.09

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,43.25 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए उपलब्ध करायी गयी क्योंकि विभागीय स्तर पर कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु होने के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान का वास्तविक भुगतान निर्धारित नहीं किया जा सकता।

01. सिविल  
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन  
(01) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन

मू.	80,00.00			
अ.	1,77,69.88			
पु.	95,20.12	3,52,90.00	3,52,11.40	- 78.60

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95,20.12 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 78.60 लाख की अंतिम बचत कार्यालय महालेखाकार द्वारा संधारित लेखाओं में अंकमिलान के माध्यम से हुए सुधार का समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) में अद्यतनीकरण का प्रभाव नहीं होने के कारण रही।

01. सिविल  
115. छुट्टी नगदीकरण हित लाभ

मू.	10,00,00.00			
पु.	31,80.00	10,31,80.00	10,29,17.56	- 2,62.44

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,80.00 लाख की अतिरिक्त निधियां फरवरी 2017 तक मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए तथा सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हितलाभ के भुगतान हेतु राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों के वास्तविक वेतन के संदर्भ में सूचना नहीं होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,62.44 लाख की अंतिम बचत राज्य के बाहर पेंशनर्स द्वारा पेंशन आहरण के वास्तविक भुगतान का अनुमान नहीं होने के कारण रही।

### अनुदान संख्या 015 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
मू.	5,05,85.26		
		6,99,56.44	..
पु.	1,93,71.18		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,93,71.18 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्धारित अंशदान पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान के बराबर सरकारी अंशदान के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

#### प्रभारित

- ₹ 90.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च 2017 को द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 16,70.22 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 90.99 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 90.76 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
मू.	1,00.00		
		16,70.00	- 90.76
अ.	16,70.00	16,79.24	

मार्च 2017 को द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 16,70.00 लाख का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार के भुगतान की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 90.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय और  
6216. आवास के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	44,26,31,31		
अनुपूरक	2,04,63,84	46,30,95,15	44,98,59,54 - 1,32,35,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,29,59,90
<b>प्रभारित</b>			
मूल	6,03		
अनुपूरक	1,01,83	1,07,86	97,43 - 10,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10,42
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	41,71,00		
अनुपूरक	1	41,71,01	37,00,74 - 4,70,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			4,70,28
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>			

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. अनुदान के अन्तर्गत ₹ 1,32,35.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 2,04,63.84 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गई राशि ₹ 2,04,63.76 लाख अत्यधिक थी।
2. ₹ 1,32,35.61 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,75.71 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(03) पुलिस विश्वविद्यालय			
[01] सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू.	17,75.00		
		13,16.89	13,16.89
पु.	- 4,58.11		

31 मार्च 2017 को ₹ 4,58.11 लाख का प्रावधान सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि (i) नवीन मर्दों के क्रय की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई, (ii) विश्वविद्यालय में पद रिक्त रहे तथा (iii) विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन के अन्तर्गत विद्युत तथा जल पाईप लाईन के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

(02) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

मू.	64,86.25			
		57,12.86	57,12.55	- 0.31
पु.	- 7,73.39			

₹ 7,73.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 1,203 स्वीकृत पदों में से 268 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

104. विशेष पुलिस

(01) सिपाही दल

मू.	6,60,85.90			
अ.	29,00.00	6,82,06.75	6,78,61.72	- 3,45.03
पु.	- 7,79.15			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 29,00.00 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित एवं अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 7,79.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

₹ 3,45.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

109. जिला पुलिस

(01) सामान्य पुलिस

[01] सामान्य पुलिस (निदेशन)

मू.	23,64,29.77			
अ.	90,00.00	23,90,02.53	23,89,52.20	- 50.33
पु.	- 64,27.24			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 90,00.00 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित एवं अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 64,27.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

₹ 50.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(01) सामान्य पुलिस			
[03] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वारंट/ वाहनों का भुगतान			
मू.	13,00.00		
		9,25.69	9,25.69
पु.	- 3,74.31		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,74.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, उसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
109. जिला पुलिस			
(02) केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि के लिए रक्षादल			
[01] केन्द्रीय कार्यालय			
मू.	25,00.30		
		22,29.41	22,29.40
पु.	- 2,70.89		- 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 2,70.89 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[03] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन			
मू.	29,03.00		
		19,84.21	19,84.21
पु.	- 9,18.79		..
31 मार्च 2017 को ₹ 9,18.79 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
114. बेतार तथा कम्प्यूटर			
(01) वितंतु (विशेष पुलिस)			
मू.	57,21.36		
		52,53.78	52,53.76
पु.	- 4,67.58		- 0.02
₹ 4,67.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, मशीन एवं उपकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(02) अपराधिक शाखा का आधुनिकीकरण			
मू.	2,33.83		
		41.33	41.33
पु.	- 1,92.50		..
₹ 1,92.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(04) सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण			
मू.	36,38.10		
अ.	12,59.76	35,11.38	35,11.38
पु.	- 13,86.48		..
मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 12,59.76 लाख का प्रावधान पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत वाहनों की खरीद हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
₹ 13,86.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
116. न्यायालयिक विज्ञान			
(01) विधि विज्ञान शाला			
मू.	19,58.50		
पु.	- 1,44.37	18,14.13	17,85.81
			- 28.32
₹ 1,44.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः तकनीकी सेवाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 28.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
800. अन्य व्यय			
(01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड			
मू.	12,99.99		
पु.	- 6,35.47	6,64.52	6,64.52
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,35.47 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
106. सिविल रक्षा			
(01) सिविल सुरक्षा			
मू.	6,88.49		
पु.	- 1,58.93	5,29.56	5,72.25
			+ 42.69
₹ 1,58.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नागरिक सुरक्षा ईकाईयों द्वारा आपातकालिन कार्यवाही केन्द्र पर तैनात जिला त्वरित कार्यवाही दल द्वारा पूर्ण कार्य दिवस पूरे नहीं किये गये क्योंकि त्वरित कार्यवाही दल के संबंध में छः माह की अवधि हेतु तैनाती का प्रावधान किया गया था तथा (ii) भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
₹ 42.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
107. होम गार्ड			
(01) नगरीय गृह रक्षा			
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि			
मू.	2,41.01		
पु.	- 1,03.61	1,37.40	1,37.40
			..
₹ 1,03.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

### अनुदान संख्या 016 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(01) सामान्य पुलिस			
[04] रेलवे वारंट			
मू.	3,00.00		
पु.	1,60.00		
	4,60.00	5,41.27	+ 81.27

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,60.00 लाख की अतिरिक्त निधियां रेलवे वारंट के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

₹ 81.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

113. पुलिस कार्मिकों का कल्याण  
(01) पुलिस विभाग के कार्मिकों हेतु विशेष अनुदान

मू.	2,00.03		
पु.	3,59.51		
	5,59.54	5,59.54	..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,59.51 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण  
(03) विधि विज्ञान शाला का आधुनिकीकरण

मू.	50.00		
पु.	3,07.60		
	3,57.60	3,85.88	+ 28.28

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,07.60 लाख की अतिरिक्त निधियां विधि विज्ञान शाला के आधुनिकीकरण के तहत मशीन एवं उपकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

₹ 28.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### पूंजी

#### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(03) आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	41,70.97		
पु.	- 4,70.24		
	37,00.73	37,00.73	..

31 मार्च 2017 को ₹ 4,70.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 017 - कारागार**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2056. जेल**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,47,34,48	1,47,57,10	1,41,63,67	- 5,93,43
अनुपूरक	22,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				5,93,30
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	10,18	10,16	- 2
अनुपूरक	10,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 22.62 लाख का प्रावधान जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मानदेय का भुगतान करने हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल				
101. जेल				
(02) जिला जेल				
मू.	37,30.21	30,44.80	30,44.50	- 0.30
पु.	- 6,85.41			

₹ 6,85.41 लाख की प्रत्याशित बचत (i) जिला कारागृह अलवर के मुख्य जेल में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप वेतन तथा भत्तों एवं खाद्य सामग्रियों पर व्यय मुख्य जेल शीर्ष के अन्तर्गत होने, (ii) पदों का रिक्त रहने, (iii) खाद्य सामग्रियों के लिए निविदा दर कम प्राप्त होने तथा (iv) कैदियों की संख्या में कमी के कारण खाद्य सामग्रियों पर व्यय कम होने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(06) जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा			
मू.	9,61.10	1,98.00	1,97.99
पु.	- 7,63.10		
			- 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 7,63.10 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,62.17 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.93 लाख) किया गया क्योंकि (i) कारागृहों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग केनेक्टिविटी हेतु राजकाम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड को निधियां हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) जोधपुर मुख्य जेल में 4जी जैमर स्थापित नहीं होने, (iii) फर्म द्वारा आटोमेटिक चपाती बनाने की मशीन की आपूर्ति नहीं करने, (iv) नवीन कारागृह भवन दौसा का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाये गये तथा (v) सेमी आटो एनालाईजर नहीं खरीदे गये।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	6,67.14	9,22.86	9,23.43
पु.	2,55.72		
			+ 0.57

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,55.72 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) बंदी कल्याण कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, उत्सव निधि तथा खेलकूद निधि के लिए अनुदान जारी करने तथा (ii) बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

101. जेल			
(01) मुख्य जेल			
मू.	63,95.90	67,10.45	67,10.45
अ.	22.62		
पु.	2,91.93		
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,91.93 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जिला कारागृह अलवर के मुख्य जेल में परिवर्तन करने के पश्चात् वेतन तथा भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु तथा रिक्त पदों के विरुद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति होने, (ii) विद्युत् दर में वृद्धि के कारण विद्युत् पर बढ़े हुए व्यय, (iii) कारागृह में जैमर, सी.वी.टी.वी. कैमरे तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग लगाने तथा (iv) प्रहरी के रिक्त पदों के विरुद्ध बार्डर होम गार्ड्स तथा शहरी/ग्रामीण होम गार्ड्स की मुख्य जेल में तैनातगी के कारण उपलब्ध करायी गयी।

101. जेल			
(03) हवालार्तें			
मू.	26,56.01	29,89.89	29,89.52
पु.	3,33.88		
			- 0.37

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,33.88 लाख की अतिरिक्त निधियां हवालार्तों में प्रहरी के रिक्त रहे पदों के विरुद्ध बार्डर होम गार्ड्स एवं शहरी/ग्रामीण होम गार्ड्स की तैनातगी पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	40,63,62			
अनुपूरक	25,35,91	65,99,53	63,45,05	- 2,54,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,54,46
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 2,54.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रचार के लिए लिया गया ₹ 25,35.91 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>शीर्ष</b>				
2220. सूचना एवं प्रचार				
60. अन्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	29,01.62			
अ.	25,35.91	52,21.66	52,21.65	- 0.01
पु.	- 2,15.87			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्रचार के लिए लिया गया ₹ 25,35.91 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,15.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 242 स्वीकृत पदों में से 74 पदों के रिक्त रहने तथा सरकार के तीन वर्षों के कार्यकलाप की समाप्ति पर जिलाधीशों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की उपलब्धियों के प्रचार पर कम व्यय करने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 019 – लोक निर्माण कार्य

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य
- पूंजी – 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,69,88,51		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	4,69,88,51	4,02,56,29	- 67,32,22
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	1,42		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	1,43	1,36	- 7
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	16,17,68,48		
अनुपूरक	10		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	16,17,68,58	7,19,51,99	- 8,98,16,59
			8,93,20,95

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 67,32.22 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 40.16 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण			
मू.	51,99.75		
पु.	- 5,08.71	46,91.04	46,89.86
			- 1.18
₹ 5,08.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन			
मू.	2,29,53.22		
पु.	- 28,67.65	2,00,85.57	2,00,81.08
			- 4.49
₹ 28,67.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(01) अनुसंधान			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय			
मू.	16,41.17		
पु.	- 1,61.48	14,79.69	14,78.89
			- 0.80
₹ 1,61.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय			
मू.	14,69.00		
पु.	- 3,37.06	11,31.94	11,31.81
			- 0.13
₹ 3,37.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए			
[01] विशेष एवं सामान्य मरम्मत			
मू.	57,10.50		
पु.	- 5,04.05	52,06.45	51,99.00
			- 7.45
₹ 5,04.05 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य प्रभावित कर्मचारियों की मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 7.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(04) पंजीयक, राजस्व मण्डल			
मू.	13,70.00		
पु.	- 11,32.89	2,37.11	2,29.78
			- 7.33
31 मार्च 2017 को ₹ 11,32.89 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजस्व कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव कार्य के निष्पादन समय पर न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 7.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग			
मू.	7,00.00		
पु.	- 1,00.61	5,99.39	5,95.91
			- 3.48
31 मार्च 2017 को ₹ 1,00.61 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(12) महानिरीक्षक, पुलिस विभाग			
मू.	10,00.00		
पु.	- 2,83.50	7,16.50	7,16.21
			- 0.29
31 मार्च 2017 को ₹ 2,83.50 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग			
मू.	3,00.00		
		1,77.69	1,77.65
पु.	- 1,22.31		- 0.04

31 मार्च 2017 को ₹ 1,22.31 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

- 3. उचन्त** – लघु शीर्ष “उचन्त” में अंतरिम लेन-देन के रूप की वे प्राप्तियां और संवितरण सम्मिलित हैं। यद्यपि, उनको अंतिम रूप देने और लेखांकित करने के पूर्व आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, “उचन्त” में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

- (i) स्टॉक** – इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष “खरीद” भी परिचालित किया गया है। अतः स्टॉक उप-भाग में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किये गये हों, में से अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष दर्शाता है।
- (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** – इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, अपलिखित न की गयी रोकड़, भण्डार सामग्रियों में हानियां तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।
- (iii) वर्कशाप उचन्त** – सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2016-17 में इस अनुदान में “उचन्त” लेन देनों का विश्लेषण “उचन्त” के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

“उचन्त” लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
	(₹ लाख में)			
स्टॉक	(+ 4,53.61	..	..	(+ 4,53.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 2,23.57	..	..	(+ 2,23.57
योग	(+ 6,77.18	..	..	(+ 6,77.18

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 8,98,16.59 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,95.64 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,35,71.66 लाख, ₹ 2,77,73.48 लाख, ₹ 6,88,03.68 लाख, ₹ 3,19,13.49 लाख और ₹ 8,98,16.59 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के कुल बजट की 26.48 प्रतिशत से 55.52 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	62,93.68		
पु.	- 40,09.39	22,84.29	22,87.78
			+ 3.49
31 मार्च 2017 को ₹ 40,09.39 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	34,77.06		
पु.	- 16,51.26	18,25.80	17,78.15
			- 47.65
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	13,03.89		
पु.	- 6,19.22	6,84.67	6,66.70
			- 17.97

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 22,70.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 65.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,10,18.12		
पु.	- 14,24.55	95,93.57	95,84.62 - 8.95
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं-सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	11,59.10		
पु.	- 2,61.36	8,97.74	6,36.88 - 2,60.86
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलों)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	37,18.53		
पु.	- 18,80.89	18,37.64	18,18.67 - 18.97
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 35,66.80 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,88.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)			
मू.	20,52.00		
पु.	- 5,00.00	15,52.00	15,52.00 ..

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	1,23,45.13		
पु.	- 72,75.52		
		50,69.61	50,67.16
			- 2.45
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	18,85.66		
पु.	- 5,99.28		
		12,86.38	12,84.23
			- 2.15
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	21,06.19		
पु.	- 12,32.79		
		8,73.40	8,71.14
			- 2.26
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	4,38.05		
पु.	- 2,05.71		
		2,32.34	2,32.34
			..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	8,60.82		
पु.	- 2,62.33		
		5,98.49	5,98.48
			- 0.01
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	15,27.86		
पु.	- 12,98.68		
		2,29.18	2,28.91
			- 0.27

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू.	18,09.19		
पु.	- 5,90.46	12,18.73	12,18.73
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)			
मू.	2,42.91		
पु.	- 1,45.36	97.55	97.55
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(35) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,75.23		
पु.	- 3,91.52	83.71	83.71
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(40) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग			
मू.	17,69.91		
पु.	- 17,69.91	..	..
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(42) सामान्य भवन ( निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)			
मू.	7,98.96		
पु.	- 5,16.86	2,82.10	2,81.73
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(46) सामान्य भवन ( पेंशन विभाग के लिए भवन)			
मू.	3,55.00		
पु.	- 3,37.17	17.83	17.83
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(54) निदेशालय गोपालन			
मू.	4,42.48		
पु.	- 2,05.03	2,37.45	2,37.45

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(55) सामान्य भवन ( राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)			
मू.	8,84.96	3,16.66	3,16.65
पु.	- 5,68.30		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(56) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण			
मू.	1,14.38	..	..
पु.	- 1,14.38	..	..
उपरोक्त सोलह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,60,13.30 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	8,69.24	4,56.45	4,44.47
पु.	- 4,12.79		
31 मार्च 2017 को ₹ 4,12.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 11.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	18,58.41	16,36.71	16,35.10
पु.	- 2,21.70		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,21.70 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	43,07.85	30,29.26	30,29.26
पु.	- 12,78.59		
31 मार्च 2017 को ₹ 12,78.59 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,44.62		
		36.53	36.53
पु.	- 3,08.09		..
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[93] सड़क व सेतू हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,29.24		
		13.70	13.70
पु.	- 1,15.54		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 4,23.63 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	60,61.95		
		23,91.14	23,90.83
पु.	- 36,70.81		- 0.31
31 मार्च 2017 को ₹ 36,70.81 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,84.95		
		1,91.29	1,91.29
पु.	- 2,93.66		..
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[93] सड़क व सेतू हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,81.86		
		71.73	71.73
पु.	- 1,10.13		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 4,03.79 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटैकनिक)			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,55.12		
		1,91.50	1,91.50
पु.	- 2,63.62		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,63.62 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(05) एलोपैथी (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,81.43		
		1,59.31	1,59.31
पु.	- 1,22.12		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,22.12 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,23.01		
		1,01.77	1,01.77
पु.	- 1,21.24		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,21.24 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	28,87.41		
		10,65.59	10,65.59
पु.	- 18,21.82		..
31 मार्च 2017 को ₹ 18,21.82 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,30.99	85.25	85.25
पु.	- 1,45.74		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,45.74 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	12,35.65	7,69.03	7,68.96
पु.	- 4,66.62		- 0.07
31 मार्च 2017 को ₹ 4,66.62 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	13,44.12	3,18.76	3,18.76
पु.	- 10,25.36		..
31 मार्च 2017 को ₹ 10,25.36 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	31,37.26	20,97.01	20,88.33
पु.	- 10,40.25		- 8.68
31 मार्च 2017 को ₹ 10,40.25 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 8.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	8,04.95		
पु.	- 3,67.29	4,37.66	4,37.41
			- 0.25

31 मार्च 2017 को ₹ 3,67.29 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

- 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
- 105. एलोपैथी
- (11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय
- [90] निर्माण कार्य

मू.	5,61,50.00			
पु.	- 4,11,50.00	1,50,00.00	1,50,00.00	..

31 मार्च 2017 को ₹ 4,11,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 4,09,55.06 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,94.94 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

- 4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 101. परिवार कल्याण सेवाएं ग्रामीण
- (01) भवन

..	..	- 1,05.20	- 1,05.20
----	----	-----------	-----------

₹ 1,05.20 लाख का ऋण व्यय गत वर्ष की अवशेष राशि जमा कराने के कारण रहा।

- 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय
- 60. अन्य
- 101. भवन
- (02) अन्य कार्य
- [90] निर्माण कार्य

मू.	4,47.34			
पु.	- 2,96.23	1,51.11	1,51.11	..

31 मार्च 2017 को ₹ 2,96.23 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,49.12		
पु.	- 1,38.89	3,10.23	3,10.23
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,38.89 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[01] युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का भवन निर्माण			
मू.	3,62.64		
पु.	- 1,58.80	2,03.84	2,03.84
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,58.80 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] सैनिक विश्राम गृह का निर्माण			
मू.	2,39.56		
पु.	- 1,78.15	61.41	61.41
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,78.15 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
201. श्रम			
(02) खण्डीय एवं जिला कार्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,16.91		
पु.	- 4,83.06	33.85	33.85
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,83.06 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,05,22.69		
पु.	- 37,59.31		
	67,63.38	67,63.37	- 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 37,59.31 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	8,41.82		
पु.	- 7,93.23		
	48.59	48.59	..

203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,10.45		
पु.	- 1,98.30		
	12.15	12.15	..

203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[93] सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	3,15.68		
पु.	- 2,97.46		
	18.22	18.22	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 12,88.99 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	23,71.30		
पु.	- 16,00.56		
	7,70.74	7,70.74	..

31 मार्च 2017 को ₹ 16,00.56 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,89.70		
पु.	- 1,41.60	48.10	48.10
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,41.60 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(07) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XIX के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों के भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,59.29		
पु.	- 1,25.42	33.87	33.87
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,25.42 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
102. सामुदायिक विकास			
(01) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से (भवन)			
[02] मुख्यालय भवन का विस्तार एवं फर्निशिंग			
मू.	1,68.00		
पु.	- 1,68.00	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,68.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(06) खनिज भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,52.51		
पु.	- 2,47.27	5,05.24	5,05.24
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,47.27 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 020 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास

पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और

6216. आवास के लिये कर्जे

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	72,45,33			
अनुपूरक	15,71,45	88,16,78	88,39,63	+ 22,85
				<b>(आधिक्य ₹ 22,84,799)</b>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
				5,63,16
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	14,90,47			
अनुपूरक	..	14,90,47	6,53,88	- 8,36,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
				8,44,76

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- व्यय अनुदान से ₹ 22,84,799 अधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- ₹ 22.85 लाख का अंतिम आधिक्य को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 15,71.45 लाख का प्रावधान अपर्याप्त था तथा ₹ 5,63.16 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था।

**अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)**

3. आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[11] मुख्य शीर्ष 2059 के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय			
मू.	0.01		
		10,93.92	16,92.51
अ.	10,93.91		+ 5,98.59

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 10,93.91 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष 2059 के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु लिया गया था। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक था परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5,98.59 लाख का अधिक व्यय हुआ।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना			
मू.	16,55.05		
		13,23.02	13,22.58
पु.	- 3,32.03		- 0.44
₹ 3,32.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(02) न्याय विभाग			
[02] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	7,16.41		
अ.	2,34.09	8,62.17	8,57.72
पु.	- 88.33		- 4.45

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,34.09 लाख का प्रावधान आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अधिक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 88.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
800. अन्य व्यय			
(01) निर्माण			
[05] V व VI श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिए			
मू.	2,00.00		
पु.	-94.99		
	1,05.01	1,05.01	..
31 मार्च 2017 को ₹ 94.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**पूँजी**

**दत्तमत**

- ₹ 8,36.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 8,44.76 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 18,70.07 लाख, ₹ 3,07.62 लाख तथा ₹ 8,36.59 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट का 31.50 प्रतिशत से 74.20 प्रतिशत तक रहा। निरन्तर बचत का कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया है।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,42.48		
पु.	- 2,41.68		
	2,00.80	2,09.00	+ 8.20
31 मार्च 2017 को ₹ 2,41.68 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 8.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

01. सरकारी रिहायशी भवन
700. अन्य आवास
- (01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)
- [90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक  
निर्माण विभाग के माध्यम से)

मू.	4,87.31		
पु.	- 2,55.70		
	2,31.61	2,31.61	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,55.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 020 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,89.18		
पु.	- 2,49.44	1,39.74	1,39.71
			- 0.03

31 मार्च 2017 को ₹ 2,49.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 021 – सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3054. सड़क तथा सेतु

- पूंजी – 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	14,92,20,87			
अनुपूरक	1,09,75,05	16,01,95,92	14,58,11,05	– 1,43,84,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,73,90,84
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	1,08,89	1,08,90	1,01,35	– 7,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				7,55
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	34,66,39,09			
अनुपूरक	1	34,66,39,10	22,02,98,24	– 12,63,40,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				12,48,23,43

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,09,75.05 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 1,43,84.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,73,90.84 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

### अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100% केन्द्र)			
[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	3,31,25.00	1,72,03.00	1,85,33.45
पु.	- 1,59,22.00		
			+ 13,30.45

₹ 3,31,25.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा बताया गया व्यय अनुमान से कम होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 को ₹ 1,59,22.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,32,62.94 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 26,59.06 लाख) किया गया।

यद्यपि, वास्तविक व्यय अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 13,30.45 लाख का आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. राजकीय राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार  
[01] सड़कों का संधारण

मू.	1,23,02.60	1,11,64.29	1,11,51.16
पु.	- 11,38.31		
			- 13.13

₹ 11,38.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यभारित कर्मचारियों को गत वर्षों का बकाया तथा महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों पर भुगतान नहीं किये जाने एवं राजकीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत की कम आवश्यकता होने को आरोपित की गयी।

₹ 13.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. राजकीय राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(02) संधारण एवं जीर्णोद्धार (राष्ट्रीय उच्च मार्ग)  
[01] सड़कों का संधारण

मू.	3,31.75	2,30.34	2,30.34
पु.	- 1,01.41		
			..

₹ 1,01.41 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड का क्षेत्राधिकार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत रखे जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत कार्य भारित कर्मचारियों के राज्य सड़कों पर स्थानान्तरित किये जाने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] जिला सड़कें			
मू.	75,39.85		
पु.	- 5,70.61		
	69,69.24	69,67.96	- 1.28

₹ 5,70.61 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यभारित कर्मचारियों को पिछले वर्षों के बकाया का भुगतान नहीं किये जाने तथा जिला सड़कों पर अनुरक्षण एवं मरम्मत की कम आवश्यकता होने को आरोपित की गयी।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
800. अन्य व्यय  
(02) ग्रामीण सड़कें  
[04] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र  
आधुनिकीकरण परियोजना  
(अतिरिक्त परिचालन लागत)

मू.	1,68.00		
पु.	- 1,46.99		
	21.01	21.01	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,46.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
800. अन्य व्यय  
(02) ग्रामीण सड़कें  
[05] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र  
आधुनिकीकरण परियोजना (आधुनिकीकरण)

मू.	10,00.00		
पु.	- 9,07.35		
	92.65	90.66	- 1.99

31 मार्च 2017 को ₹ 9,07.35 लाख का प्रावधान विश्व बैंक के अनुबन्ध एवं निर्देशों के अनुसार परामर्शदात्री फर्मों द्वारा दावे संलग्न नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. जिला तथा अन्य सड़कें  
800. अन्य व्यय  
(02) ग्रामीण सड़कें  
[06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें

मू.	10,00.00		
पु.	- 7,93.33		
	2,06.67	2,06.67	..

31 मार्च 2017 को ₹ 7,93.33 लाख का प्रावधान प्रशासनिक व्यय के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	12,38.90		
पु.	- 1,28.58	11,10.32	11,09.57
31 मार्च 2017 को ₹ 1,28.58 लाख का प्रावधान कार्यभारित कर्मचारियों के बकाया का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.75
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
मू.	5,00,00.00	..	..
पु.	- 5,00,00.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,00,00.00 लाख का सम्स्त प्रावधान पेट्रोल और डीजल की बिक्री से उपकर राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय			
मू.	1,00.00		
पु.	1,73.18	2,73.18	2,73.18
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,73.18 लाख की अतिरिक्त निधियां अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के अनुसार क्षतिग्रस्त जिला सड़कों पर मरम्मत कार्य के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत			
मू.	1,54,04.65		
पु.	32,56.77	1,86,61.42	1,86,45.06
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,56.77 लाख की अतिरिक्त निधियां प्राथमिकता आधार पर क्षतिग्रस्त जिला सड़कों पर मरम्मत कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी।			- 16.36

₹ 16.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय			
[01] स्थापना			
मू.	0.01		
		49,81.64	66,90.66 + 17,09.02
पु.	49,81.63		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,81.63 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य शीर्ष 2059 के अन्तर्गत हुए व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमान से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 17,09.02 लाख का आधिक्य रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य  
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण  
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)

मू.	2,67,00.00		
अ.	1,09,75.05	8,15,83.00	8,15,83.00
पु.	4,39,07.95		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,39,07.95 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय सड़क निधि को अधिक राशि, जो भारत सरकार से प्राप्त हुई, का हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

- 5. केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्प्रीट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 8,15,83.00 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर ₹ 7,02,69.65 लाख व्यय हुए।

31 मार्च 2017 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 1,86,74.00 लाख का शेष था।

2016-17 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2016-17 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

## पूँजी

### दत्तमत

- ₹ 12,63,40.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, राशि ₹ 15,17.43 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 8,81,42.84 लाख, ₹ 6,05,49.40 लाख तथा ₹ 12,63,40.86 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 20.31 प्रतिशत से 36.45 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू. 50,33.82	47,00.00	47,00.00	..
पु. - 3,33.82			

₹ 50,33.82 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार अनुमानित किया गया था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा बताया गया व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 को ₹ 3,33.82 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित हुआ।

03. राज्य राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(01) निर्माण

मू. 39,49.51	21,20.93	20,83.92	- 37.01
पु. - 18,28.58			

31 मार्च 2017 को ₹ 18,28.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 37.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. राज्य राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान

मू. 39,49.51	25,10.76	25,10.48	- 0.28
पु. - 14,38.75			

31 मार्च 2017 को ₹ 14,38.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. राज्य राजमार्ग  
337. सड़क निर्माण कार्य  
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें  
[90] निर्माण कार्य

मू. 1,77,99.98	22,86.04	21,61.40	- 1,24.64
पु. - 1,55,13.94			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,55,13.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,24.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	14,24.00		
पु.	- 12,41.12	1,82.88	1,82.88
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,56.00		
पु.	- 3,10.28	45.72	45.72
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	5,34.00		
पु.	- 4,65.42	68.58	68.58
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 20,16.82 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	12,33.80		
पु.	- 7,48.60	4,85.20	4,85.20
31 मार्च 2017 को ₹ 7,48.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	4,41,50.44		
पु.	- 4,40,89.66	60.78	60.78
31 मार्च 2017 को ₹ 4,40,89.66 लाख के प्रावधान को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(12) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	1,17,73.45	..	..
पु.	- 1,17,73.45		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,17,73.45 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(13) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- III (जायका)			
मू.	58,86.73	..	..
पु.	- 58,86.73		
31 मार्च 2017 को ₹ 58,86.73 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	7,90,00.88	4,28,82.00	4,27,72.52 - 1,09.48
पु.	- 3,61,18.88		
31 मार्च 2017 को ₹ 3,61,18.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 3,48,63.13 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,55.75 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 1,09.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) शहरी सड़कें			
मू.	33,43.81	24,19.56	24,19.54 - 0.02
पु.	- 9,24.25		
31 मार्च 2017 को ₹ 9,24.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)			
मू.	48,63.01	25,64.93	24,68.54 - 96.39
पु.	- 22,98.08		

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतित्म)			
मू.	3,28,25.31		
पु.	- 1,14,80.02	2,13,45.29	2,13,45.22
			- 0.07
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,37,78.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
शीर्ष "5054-04-800(11)[16]" के अंतर्गत ₹ 96.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,45,37.15		
पु.	- 1,33,70.63	11,66.52	11,66.52
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,33,70.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	11,62.98		
पु.	- 11,41.66	21.32	21.32
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,90.74		
पु.	- 2,85.41	5.33	5.33
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	4,36.11		
पु.	- 4,28.11	8.00	8.00
			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 18,55.18 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	57,00.44		
पु.	- 34,82.57	22,17.87	21,93.65
			- 24.22
31 मार्च 2017 को ₹ 34,82.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 24.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[02] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन			
मू.	19,46.90		
पु.	- 16,88.06	2,58.84	2,58.84
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 16,88.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	6,11.79		
पु.	- 4,13.65	1,98.14	1,98.14
			..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	1,52.95		
पु.	- 1,03.42	49.53	49.53
			..

## अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[93] सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	2,29.42	74.30	74.30
पु.	- 1,55.12		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 6,72.19 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,58,51.56	69,55.11	65,37.81
पु.	- 88,96.45		- 4,17.30
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	59,44.35	26,08.16	24,51.70
पु.	- 33,36.19		- 1,56.46
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,22,32.64 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,73.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) मशीनें और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	39,62.91	17,38.78	16,30.52
पु.	- 22,24.13		- 1,08.26
31 मार्च 2017 को ₹ 22,24.13 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार औजार एवं संयंत्र पर प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 1,08.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	1,83,42.90	4,87,18.13	4,85,79.80
पु.	3,03,75.23		
			- 1,38.33
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,03,75.23 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से नई स्वीकृतियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 1,38.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू.	11,04.04	51,32.83	48,89.61
पु.	40,28.79		
			- 2,43.22
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,28.79 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 2,43.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] मिसिंग लिंक परियोजना-II (अष्टदशम्)			
मू.	6,07.88	7,84.03	7,73.94
पु.	1,76.15		
			- 10.09
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू.	6,07.88	8,83.15	8,61.14
पु.	2,75.27		
			- 22.01
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] सड़क उन्नयन परियोजना (द्विविंशतित्म)			
मू.	45,59.09	54,89.54	54,89.54
पु.	9,30.45		
			..

**अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू .	5,39,36.00		
पु .	93,62.64		
		6,32,98.64	6,32,98.64
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,07,44.51 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

शीर्ष "5054-04-800(11) [14] तथा [15] " के अंतर्गत ₹ 32.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और  
2705. कमान क्षेत्र विकास

पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और  
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	21,41,40			
अनुपूरक	..	21,41,40	18,21,15	- 3,20,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3,21,20
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3			
अनुपूरक	4,25	4,28	4,26	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,13,99,02			
अनुपूरक	37,52,72	3,51,51,74	3,14,38,77	- 37,12,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				36,88,91
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3			
अनुपूरक	43,29	43,32	43,29	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 3,20.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,21.20 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था ।



**अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	5,17.92		
		4,12.28	4,13.25
पु.	- 1,05.64		+ 0.97
₹ 1,05.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

102. चम्बल क्षेत्र का विकास  
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से  
[05] जल प्रबन्धन जनसहभागिता

मू.	1,07.00		
		37.02	37.02
पु.	- 69.98		..

31 मार्च 2017 को ₹ 69.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

107. गंग नहर परियोजना  
(01) आयुक्त क्षेत्रीय विकास के माध्यम से  
[01] निदेशन एवं प्रशासन

मू.	5,37.47		
		4,83.19	4,83.20
पु.	- 54.28		+ 0.01

₹ 54.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### पूँजी

#### दत्तमत

- ₹ 37,12.97 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 24.06 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 20,83.90 लाख, ₹ 1,02,24.32 लाख, ₹ 90,45.39 लाख, ₹ 74,49.71 लाख तथा ₹ 37,12.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.88 प्रतिशत से 25.98 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत के कारणों में से एक आयोजना सीमा में कमी था।

**अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू. 40,72.00	30,42.00	30,42.00	..
पु. - 10,30.00			
31 मार्च 2017 को ₹ 10,30.00 लाख का प्रावधान <i>मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान</i> के अन्तर्गत कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
103. मगरा क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू. 33,85.00	30,12.50	30,12.50	..
पु. - 3,72.50			
31 मार्च 2017 को ₹ 3,72.50 लाख का प्रावधान <i>मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान</i> के अन्तर्गत कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू. 1,02,50.50	93,51.00	93,51.00	..
पु. - 8,99.50			
31 मार्च 2017 को ₹ 8,99.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,84.56 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,14.94 लाख) किया गया ।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास			
मू. 17,99.73	10,19.75	10,19.17	- 0.58
अ. 0.01			
पु. - 7,79.99			
₹ 7,79.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास			
(03) अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[02] अमर सिंह जस्साना परियोजना			
मू. 1,80.52	58.29	58.29	..
पु. - 1,22.23			
31 मार्च 2017 को ₹ 1,22.23 लाख का प्रावधान फार्म पर विकास कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

## अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] मुख्यालय			
मू.	4,73.72		
पु.	- 1,69.36	3,04.36	3,04.35
			- 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 1,69.36 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[02] भूमि विकास कार्य			
मू.	9,08.29		
पु.	- 6,83.21	2,25.08	2,25.08
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,83.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[04] जल प्रबन्धन एवं जन सहभागिता			
मू.	3,70.01		
पु.	- 3,70.01	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,70.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[02] निदेशक, प्रशासन गंग नहर परिसर			
मू.	10,71.19		
अ.	0.01	9,35.14	9,35.13
पु.	- 1,36.06		- 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 1,36.06 लाख का प्रावधान मुख्यतः 90 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 022 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[03] भूमि विकास कार्य ( गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज- II			
मू.	1,95.00		
पु.	5,88.76	7,83.76	7,82.80
			- 0.96

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,88.76 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त हाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

108. भाखरा सिंचाई परियोजना

(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से  
[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)

मू.	16,35.11		
अ.	5,49.32	28,14.31	28,11.49
पु.	6,29.88		- 2.82

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,29.88 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त हाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

5. **मण्डी विकास निधि** - चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गयी थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2017 को निधि में जमा शेष ₹ 3.12 लाख था जो कि वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

**अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,10,86,27	5,10,86,33	4,89,52,48	– 21,33,85
अनुपूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				21,33,72
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	2,91	2,87	– 4
अनुपूरक	2,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	51,32,57	51,32,57	25,59,67	– 25,72,90
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				25,72,90

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास				
01. श्रम				
101. औद्योगिक सम्बन्ध				
(01) डिविजनल और जिला कार्यालय				
मू.	14,86.20	13,75.32	13,75.33	+ 0.01
पु.	– 1,10.88			

₹ 1,10.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ए.सी.पी. के सम्बन्ध में बकाया का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
102. कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा			
(01) निर्माणियों के निरीक्षक			
मू.	8,75.64	7,52.32	7,52.33 + 0.01
पु.	- 1,23.32		
₹ 1,23.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. रोजगार सेवाएं			
101. रोजगार सेवाएं			
(01) सामान्य कार्यालय			
मू.	16,94.67	15,33.29	15,33.29 ..
पु.	- 1,61.38		
₹ 1,61.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन निर्धारण तथा ए.सी.पी. से संबंधित मामलों के विचाराधीन होने तथा 2 कर्मचारियों की मृत्यु होने के कारण से पदों के रिक्त होने एवं त्योंहारों तथा प्रदर्शनियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	19,15.51	13,85.37	13,85.38 + 0.01
पु.	- 5,30.14		
31 मार्च 2017 को ₹ 5,30.14 लाख का प्रावधान मुख्यतः वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रार्थनापत्रों का कम संख्या में प्राप्त होना तथा बेरोजगार भत्ता योजना के अन्तर्गत प्राप्त से कम संख्या में लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति एवं कम्प्यूटर और हार्डवेयर का क्रय नहीं होना क्योंकि स्टेट-ई गवर्नेंस मिशन टीम से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में क्रय का अनुमोदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 72.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,57.30 लाख) किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	95,38.38	89,69.79	89,69.77 - 0.02
पु.	- 5,68.59		
₹ 5,68.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 2,389 स्वीकृत पदों में से 976 पदों (मय कनिष्ठ प्रशिक्षकों के 585 पद) के रिक्त रहने तथा अधीनस्थ संस्थाओं में प्रशिक्षकों के कम पदस्थापन के कारण रिक्त पदों के विपरीत कार्य आधार पर ली गयी संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(05) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.			
मू.	2,02.52		
अ.	0.01	28.67	28.66
पु.	- 1,73.86		- 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 1,73.86 लाख का प्रावधान मुख्यतः 198 स्वीकृत पदों में से 185 पदों (मय कनिष्ठ प्रशिक्षकों के 102 पद) के रिक्त रहने तथा अधीनस्थ संस्थाओं में प्रशिक्षकों के कम पदस्थापन के कारण रिक्त पदों के विपरीत कार्य आधार पर ली गयी संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. प्रशिक्षण  
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण  
(06) मॉडल आई.टी.आई. की स्थापना

मू.	4,73.52			
पु.	- 2,97.10	1,76.42	1,76.42	..

₹ 2,97.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सरकारी आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. में क्रमोन्नत होने के तहत मॉडल आई.टी.आई., उदयपुर हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी होने को आरोपित की गयी।

03. प्रशिक्षण  
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण  
(07) पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना

मू.	1,54.01			
अ.	0.01	41.28	41.28	..
पु.	- 1,12.74			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,12.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. प्रशिक्षण  
102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण

मू.	5,21.72			
पु.	- 2,25.18	2,96.54	2,96.53	- 0.01

₹ 2,25.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षु पदोन्नत योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षुओं को दी गई छात्रवृत्ति पर हुए खर्च तथा मूल प्रशिक्षण व्यय के पुर्नभरण तथा (ii) 65 स्वीकृत पदों में से 14 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
191. नगर निगम को सहायता  
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  
[01] विकास कार्य

मू.	10,89.12			
पु.	- 9,77.96	1,11.16	1,11.16	..

31 मार्च 2017 को ₹ 9,77.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

**अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [01] विकास कार्य			
मू.	13,04.73		
पु.	- 10,18.86	2,85.87	2,85.87

31 मार्च 2017 को ₹ 10,18.86 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01. श्रम 103. सामान्य श्रम कल्याण (07) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान			
मू.	3,00,00.00		
पु.	22,69.73	3,22,69.73	3,22,69.73

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,69.73 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त उपकर की वास्तविक राशि बोर्ड के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 203. रोजगार (04) प्रशिक्षण [01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	32,96.07		
पु.	- 16,59.59	16,36.48	16,36.48

₹ 32,96.07 लाख का प्रावधान महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण (डी.जी.ई.टी.) द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 16,59.59 लाख का प्रावधान (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) फर्मों द्वारा सामग्री की पूर्ण/आंशिक आपूर्ति न करने, (iii) निविदा में कम दरों की प्राप्ति तथा (iv) बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण भुगतान के बकाया रहने के कारण अभ्यर्पित (₹ 14,50.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,09.32 लाख) किया गया ।



**अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(10) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	17,02.81		
		6,27.52	6,27.52
पु.	- 10,75.29		..

₹ 17,02.81 लाख का प्रावधान महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण (डी.जी.ई.टी.) द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नयी आई.टी.आई. के लिये मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद इस शर्त के साथ कि मशीनरी आदि की खरीद से पहले भवन का निर्माण पूरा हो जाना चाहिये हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 10,75.29 लाख का प्रावधान (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) फर्मों द्वारा सामग्री की पूर्ण/आंशिक आपूर्ति न करने, (iii) निविदा में कम दरों की प्राप्ति तथा (iv) बिलों के समय पर प्राप्त न होने के कारण भुगतान के बकाया रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(14) पर्यटन प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	0.01		
		2,09.33	2,09.33
पु.	2,09.32		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,09.32 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा विद्यमान योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 024 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,

2202. सामान्य शिक्षा,

2203. तकनीकी शिक्षा,

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और

2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और

6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,08,76,08,65	2,16,39,85,01	2,09,63,52,42	– 6,76,32,59
अनुपूरक	7,63,76,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6,74,30,22
<b>प्रभारित</b>				
मूल	20	25,09,36	22,90,83	– 2,18,53
अनुपूरक	25,09,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,18,53
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	46,14,98	46,14,99	23,15,80	– 22,99,19
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				22,99,18

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 7,63,76.36 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,63,76.33 लाख लिया गया का प्रावधान ₹ 6,76,32.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्याधिक था।
- ₹ 6,76,32.59 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,02.37 लाख अनुभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(02) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	24,12.47		
पु.	- 3,40.72	20,71.75	20,70.22
			- 1.53
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय			
मू.	79,16.68		
पु.	- 13,17.14	65,99.54	65,99.54
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 16,57.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने तथा प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों के स्थानान्तरण को आरोपित की गई।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(06) सार्वजनिक पाठशालाएं			
मू.	10,02.96		
पु.	- 1,24.08	8,78.88	8,78.88
			..
₹ 1,24.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
105. अनौपचारिक शिक्षा			
(02) विकलांग हेतु एकीकृत शिक्षा			
मू.	2,61.01		
पु.	- 1,11.29	1,49.72	1,49.64
			- 0.08
31 मार्च 2017 को ₹ 1,11.29 लाख का प्रावधान सेवानिवृत्ति पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(05) अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	20,22.00		
पु.	- 4,93.84	15,28.16	15,22.38
			- 5.78

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(06) अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	19,70.00	17,95.80	17,86.43
पु.	- 1,74.20		- 9.37

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 6,68.04 लाख का प्रावधान प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय होने से प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थियों की कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 15.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
111. सर्व शिक्षा अभियान  
(01) शिक्षा गारन्टी स्कीम

मू.	30,53,88.05	30,32,78.66	30,32,78.66	..
पु.	- 21,09.39			

31 मार्च 2017 को ₹ 21,09.39 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)  
[01] स्थापना व्यय

मू.	16,58,58.17	13,47,03.00	13,46,89.22	- 13.78
पु.	- 3,11,55.17			

31 मार्च 2017 को ₹ 3,11,55.17 लाख का प्रावधान रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया का अंतिमीकरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 43,96.49 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,67,58.68 लाख) किया गया।

₹ 13.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)  
[01] स्थापना व्यय

मू.	2,43,47.52	2,02,30.03	2,02,27.09	- 2.94
पु.	- 41,17.49			

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)  
[01] स्थापना व्यय

मू.	2,22,53.11	1,70,74.16	1,70,74.14	- 0.02
पु.	- 51,78.95			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 92,96.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों का स्थानान्तरण तथा कर्मचारियों के पदोन्नति के पश्चात् निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	99,05.16	94,18.15	94,17.04
पु.	- 4,87.01		
₹ 4,87.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने तथा रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया का अंतिमीकरण नहीं होने को आरोपित की गयी।			- 1.11
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
मू.	30,08,00.00	25,03,53.09	25,03,49.32
पु.	- 5,04,46.91		
31 मार्च 2017 को ₹ 5,04,46.91 लाख का प्रावधान (i) कर्मचारियों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने, (ii) प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के साथ विलय के कारण पदों का स्थानान्तरण होने तथा (iii) वित्त विभाग द्वारा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) के निजी निक्षेप खाते में गैर वेतन अनुदान का हस्तान्तरण नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,00,00.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 4,46.91 लाख) किया गया।			- 3.77
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(14) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुर्नभरण-सामान्य व्यय			
मू.	1,64,47.00	1,38,06.10	1,38,05.88
पु.	- 26,40.90		
31 मार्च 2017 को ₹ 26,40.90 लाख का प्रावधान आठवीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों की कम मांग के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.22
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(02) अन्य संस्थान			
मू.	1,70.00	8.59	8.59
पु.	- 1,61.41		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,61.41 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(07) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ			
मू.	26,80.66	17,86.68	17,86.68
पु.	- 8,93.98		
31 मार्च 2017 को ₹ 8,93.98 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(11) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	45,20.53	1,78.58	1,78.58
पु.	- 43,41.95		..
31 मार्च 2017 को ₹ 43,41.95 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(03) व्यावसायिक शिक्षा			
मू.	47,61.05	21,84.75	21,84.75
पु.	- 25,76.30		..
31 मार्च 2017 को ₹ 25,76.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(05) विकलांग एकीकृत शिक्षा			
मू.	9,99.98	6,38.84	6,38.84
पु.	- 3,61.14		..
₹ 3,61.14 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय			
मू.	10,61,60.00	4,28,86.30	4,28,85.52
पु.	- 6,32,73.70		- 0.78
31 मार्च 2017 को ₹ 6,32,73.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,14,17.19 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 18,56.51 लाख) किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[01] बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय			
मू.	76,00.86	70,52.97	70,52.97
पु.	- 5,47.89		..
₹ 5,47.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साईकिल वितरण			
मू.	58,20.00		
		15,49.94	15,49.94
पु.	- 42,70.06		..
31 मार्च 2017 को ₹ 42,70.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(12) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा			
मू.	7,39.00		
		5,52.00	5,52.00
पु.	- 1,87.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,87.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(23) लैपटॉप वितरण			
मू.	41,40.00		
		7,89.36	7,89.36
पु.	- 33,50.64		..
31 मार्च 2017 को ₹ 33,50.64 लाख का प्रावधान निविदा में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) सैनिक विद्यालय			
मू.	34,55.00		
		19,33.59	19,33.59
पु.	- 15,21.41		..
31 मार्च 2017 को ₹ 15,21.41 लाख का प्रावधान संवेदकों से बिल प्राप्त नहीं होने कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(04) ओपन विश्वविद्यालय, कोटा को अनुदान			
मू.	6,70.01		
		5,02.50	5,02.50
पु.	- 1,67.51		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,67.51 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय को वेतन के लिए अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	11,31.31	4,93.63	4,93.63
पु.	- 6,37.68		..
₹ 6,37.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः माननीय न्यायालय के स्टे आर्डर के कारण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य रोकने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को "पूँजीगत परिसम्पतियों के सजृन हेतु अनुदान" कम जारी किये जाने को आरोपित की गई।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(11) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर			
मू.	2,00.00	72.86	72.86
पु.	- 1,27.14		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,27.14 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(12) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर			
मू.	5,10.00	1,06.00	1,06.00
पु.	- 4,04.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,04.00 लाख का प्रावधान प्रशासनिक एवं अन्य भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(13) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर			
मू.	3,53.76	47.82	47.82
पु.	- 3,05.94		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,05.94 लाख का प्रावधान शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(01) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
मू.	9,05.71	7,87.73	7,87.73
पु.	- 1,17.98		..
₹ 1,17.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
108. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
(01) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- सामान्य व्यय			
मू.	80,49.02	..	..
पु.	- 80,49.02	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 80,49.02 लाख का प्रावधान व्यय के वर्गीकरण में बदलाव के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 80,49.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.02 लाख) किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(03) कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
मू.	5,00.01	..	..
पु.	5,00.01	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,00.01 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा 35 सरकारी महाविद्यालयों में वर्चुअल लैब और स्मार्ट क्लास की स्थापना के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(01) निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा द्वारा			
मू.	12,06.31	11,02.93	11,02.91
पु.	- 1,03.38		- 0.02
₹ 1,03.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम			
(02) साक्षर भारत अभियान			
मू.	30,18.24	1,76.71	1,76.71
पु.	- 28,41.53		..
31 मार्च 2017 को ₹ 28,41.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(02) संस्कृत महाविद्यालय			
मू.	29,05.47	26,77.42	26,77.41
पु.	- 2,28.05		- 0.01
₹ 2,28.05 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने तथा रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधार पर कर्मिकों की नियुक्ति नहीं होने को आरोपित की गई।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(03) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	59,53.29	48,88.49	48,88.33
पु.	- 10,64.80		- 0.16
₹ 10,64.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों की पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने, आठवीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कम माँग तथा भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(03) बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालयों के लिए अन्य सेवाएं			
मू.	2,25.00	85.00	85.00
पु.	- 1,40.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,40.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
107. छात्रवृत्तियां			
(02) राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां			
मू.	4,60.00	1,93.46	1,93.46
पु.	- 2,66.54		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,60.00 लाख का प्रावधान राजस्थान तथा राज्य के बाहर आई.आई.टी., आई.आई.एम. तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु अनुमानित था। छात्रवृत्ति सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा वितरित की गई। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 2,66.54 लाख का प्रावधान अनुमान से कम लाभार्थियों की संख्या के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) तकनीकी शिक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
मू.	1,02.20	..	..
पु.	- 1,02.20		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,02.20 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा पोलोटेक्निक महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम के लिए स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(03) शारीरिक शिक्षा-विद्यालय			
मू.	6,27.50	4,79.95	4,79.04
पु.	- 1,47.55		- 0.91
31 मार्च 2017 को ₹ 1,47.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल केडेट कोर			
[01] बड़ी शाखाएं			
मू.	19,63.36		
पु.	- 2,19.30	17,44.06	17,43.96
			- 0.10
₹ 2,19.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने को आरोपित की गयी।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(02) नेशनल सर्विस स्कीम (5:7)			
[01] महाविद्यालय			
मू.	5,50.00		
पु.	- 2,61.23	2,88.77	2,88.77
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,61.23 लाख का प्रावधान <i>नेशनल सर्विस स्कीम</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(02) नेशनल सर्विस स्कीम (5:7)			
[02] उच्च माध्यमिक विद्यालय			
मू.	4,08.00		
पु.	- 4,08.00	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,08.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2015-16 के दौरान भी ₹ 4,08.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
104. खेल-कूद			
(01) राजस्थान स्पोर्ट्स कोन्सिल को अनुदान			
मू.	40,01.83		
पु.	- 3,59.33	36,42.50	36,42.50
			..
₹ 3,59.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
104. खेल-कूद			
(05) पाइका योजना			
मू.	11,47.00		
पु.	- 11,47.00	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 11,47.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(16) राजस्थान धरोवर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण			
मू.	17,76.93		
पु.	- 10,06.30	7,70.63	7,70.63

31 मार्च 2017 को ₹ 10,06.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

103. पुरातत्व विज्ञान  
(02) संग्रहालय एवं स्मारक

मू.	24,42.74		
पु.	- 11,38.76	13,03.98	13,03.98

₹ 24,42.74 लाख का प्रावधान (i) भस्तपुर (राणासांगा-पेनोरमा, सफेद महल, बैर किला), झालावाड़ ( मऊबोरदा तथा दलहनपुर), जैसलमेर (पटवों की हवेली) तथा बूंदी ( कमलेश्वर महादेव मंदिर) स्मारकों के रख-रखाव के लिए कार्यों का निष्पादन तथा (ii) 10 राजकीय स्मारकों के विकास कार्य हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 11,38.76 लाख का प्रावधान स्मारकों पर कार्य का कम निष्पादन तथा आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण की आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सामान्य व्यय			
मू.	91,27.34		
पु.	48,95.36	1,40,22.70	1,40,21.52

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 48,95.36 लाख की अतिरिक्त निधियां राजकीय विद्यालयों में कक्षा I से VIII तक सीबीएसई पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद पुस्तकों के वितरण के लिए उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा  
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय  
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय

मू.	39,93.00		
पु.	22,44.00	62,37.00	62,34.23

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,44.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन व भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	0.02		
पु.	2,07.26	2,07.28	..
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(05) विशिष्ट विद्यालय			
मू.	0.02		
पु.	1,00.52	1,00.53	- 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,07.78 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के आदेश की अनुपालन में अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) सामान्य व्यय			
मू.	50,44.52		
पु.	5,78.51	56,23.03	56,22.76 - 0.27
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,78.51 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(01) लड़कों के विद्यालय			
मू.	67,92,19.40		
अ.	7,63,76.32	86,34,65.10	86,33,67.22 - 97.88
पु.	10,78,69.38		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,78,69.38 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 97.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(18) आई.सी.टी.			
मू.	49,68.00		
पु.	40,35.15	90,03.15	90,03.15 ..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,35.15 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(20) गार्गी पुरस्कार			
मू.	20,70.00		
पु.	3,45.00	24,15.00	24,15.00
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,45.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(02) अन्य विद्यालय			
मू.	0.01		
पु.	9,82.61	9,82.62	9,82.62
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,82.61 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(11) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सामान्य व्यय)			
अ.	0.03		
पु.	80,59.97	80,60.00	80,60.00
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80,59.97 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(02) महाविद्यालय			
मू.	2,00.02		
पु.	4,28.20	6,28.22	6,28.22
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,28.20 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(01) साधारण व्यय			
मू.	1,06,09.72		
पु.	22,55.52	1,28,65.24	1,28,65.23
			- 0.01
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,55.52 लाख की अतिरिक्त निधियां माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में शैक्षणिक अधिकारियों को बकायों का भुगतान करने तथा नव नियुक्त व्याख्याताओं को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(01) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम			
मू.	2,74.76	9,30.00	9,30.00
पु.	6,55.24		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,55.24 लाख की अतिरिक्त निधियां तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश अधिक जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(15) आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण			
मू.	22,60.00	24,42.72	24,42.72
पु.	1,82.72		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,82.72 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(01) सामान्य व्यय			
मू.	8,88.69	9,98.00	9,97.94
पु.	1,09.31		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,09.31 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**प्रभारित**

- ₹ 25,09.16 लाख के कुल अनुपूरक विनियोजन में से, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 16,38.94 लाख का प्रावधान ₹ 2,18.53 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(06) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] भवन			
मू.	1,81.05	40.55	40.55
पु.	- 1,40.50		

31 मार्च 2017 को ₹ 1,40.50 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू. 13,75.35	8,20.11	8,20.11	..
पु. - 5,55.24			
31 मार्च 2017 को ₹ 5,55.24 लाख का प्रावधान (i) राज्य सरकार द्वारा 3 डी मुद्रण तथा रोबोटिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिये स्वीकृति जारी नहीं करने, (ii) क्रमोन्नत वर्तमान पॉलिटैक्निक योजना के अन्तर्गत पॉलिटैक्निक महाविद्यालय के स्तर पर कम क्रय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से -जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू. 22,82.09	12,63.33	12,63.33	..
पु. - 10,18.76			
31 मार्च 2017 को ₹ 10,18.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 9,47.73 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 71.03 लाख) किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. कला तथा संस्कृति			
104. अभिलेखागार			
(01) आकाइवल म्यूजियम			
मू. 5,00.00	20.00	20.00	..
पु. - 4,80.00			
₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान आकाइवल म्यूजियम के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, व्यय सीमा में कटौती के कारण 31 मार्च 2017 को ₹ 4,80.00 लाख अभ्यर्पित किये गये।			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(02) प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान			
मू. 1,50.00	50.00	50.00	..
पु. - 1,00.00			
31 मार्च 2017 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये ₹ 50.00 लाख के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



**अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,14,75,73	2,14,75,73	2,00,62,95	- 14,12,78
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				14,12,50
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन				
095. लेखा तथा खजाना निदेशालय				
(01) निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान				
मू.	14,74.71	13,07.99	13,07.56	- 0.43
पु.	- 1,66.72			
₹ 1,66.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) प्रतिस्पर्धी दरों के कारण निविदा की दरें कम प्राप्त होने, (iii) तकनीकी कारणों से कुछ बिलों का भुगतान लम्बित होने तथा (iv) नलकूपों इत्यादि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।				
097. खजाना स्थापना				
(01) खजाना स्थापना				
मू.	1,32,38.26	1,24,23.35	1,24,23.60	+ 0.25
पु.	- 8,14.91			

₹ 8,14.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 973 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) 333 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 298 मशीन विथ मेन कार्यरत होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(02) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण			
मू.	19,91.25	16,91.77	16,91.69
पु.	- 2,99.48		
			- 0.08

₹ 2,99.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 78 पदों के रिक्त रहने तथा 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के फार्म भरे नहीं होने के कारण पेंशन का पुनरीक्षण योजना लागू नहीं होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय  
(03) निदेशक, निरीक्षण

मू.	10,54.59	8,89.49	8,89.49	..
पु.	- 1,65.10			

₹ 1,65.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों में 298 स्वीकृत पदों में से 180 पदों के पूरे वर्ष रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ,  
2211. परिवार कल्याण और  
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	68,11,78,26		
अनुपूरक	..	68,11,78,26	64,42,85,91 – 3,68,92,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			3,68,11,04
<b>प्रभारित</b>			
मूल	52,65		
अनुपूरक	37,59	90,24	75,67 – 14,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			14,57
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,52,96,11		
अनुपूरक	..	3,52,96,11	1,72,49,79 – 1,80,46,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,80,17,94

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 3,68,92.35 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 81.31 लाख अनुभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[10] जनाना अस्पताल, जयपुर			
मू.	21,95.11	19,85.92	19,85.90
पु.	- 2,09.19		
₹ 2,09.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 357 स्वीकृत पदों में से 80 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			- 0.02
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[11] क्षय रोग अस्पताल, जयपुर			
मू.	9,62.79	8,47.50	8,47.42
पु.	- 1,15.29		
₹ 1,15.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 177 स्वीकृत पदों में से 70 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			- 0.08
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[16] न्यू जनाना अस्पताल, जयपुर			
मू.	18,55.04	16,72.35	16,72.35
पु.	- 1,82.69		
₹ 1,82.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 259 स्वीकृत पदों में से 72 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			..
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[31] महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा			
मू.	34,71.73	31,86.65	31,86.64
पु.	- 2,85.08		
₹ 2,85.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			- 0.01
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[06] औषधालय तथा सहायता चौकियां			
मू.	77,62.96	71,76.11	71,72.64
पु.	- 5,86.85		
₹ 5,86.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			- 3.47

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[03] क्षय क्लिनिक			
मू.	25,51.48	22,87.70	22,80.65
पु.	- 2,63.78		
₹ 2,63.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			- 7.05
₹ 7.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(06) सहायतार्थ अनुदान			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू.	15,54.76	11,29.80	11,29.80
पु.	- 4,24.96		
₹ 4,24.96 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	19,28.37	16,10.53	16,10.24
पु.	- 3,17.84		
₹ 3,17.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			- 0.29
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(01) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	16,96.02	13,54.64	13,54.36
पु.	- 3,41.38		
31 मार्च 2017 को ₹ 3,41.38 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.28
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
मू.	96,05.23	88,89.07	88,85.61
पु.	- 7,16.16		
₹ 7,16.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			- 3.46

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	4,16,16.27		
पु.	- 10,45.86	4,05,70.41	4,05,70.27
			- 0.14

₹ 10,45.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नये भर्ती कर्मचारियों के देरी से कार्यग्रहण, (ii) कुछ कर्मचारियों का अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण तथा (iii) सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति प्रकरणों के अन्तिमीकरण अनुमान कम होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलौपेथी  
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय  
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

मू.	1,13,80.01		
पु.	- 21,40.01	92,40.00	92,40.00
			..

31 मार्च 2017 को ₹ 21,40.01 लाख का प्रावधान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलौपेथी  
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय  
[03] स्टेट केंसर इंस्टीट्यूट हेतु सहायतार्थ अनुदान

मू.	50,00.00		
पु.	- 50,00.00	..	..
			..

31 मार्च 2017 को ₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना में बदलाव के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2015-16 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
105. एलौपेथी  
(05) झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी  
[01] सहायतार्थ अनुदान

मू.	40,26.79		
पु.	- 2,55.01	37,71.78	37,71.78
			..

31 मार्च 2017 को ₹ 2,55.01 लाख का प्रावधान झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन तथा वेतन हेतु कम अनुदान जारी किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(05) झालावाड अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
[02] टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
मू.	22,50.00	..	..
पु.	- 22,50.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 22,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न			
चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	9,17.71	6,14.54	6,14.54
पु.	- 3,03.17		..
₹ 3,03.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न			
चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	8,73.02	6,49.28	6,49.27
पु.	- 2,23.74		- 0.01
₹ 2,23.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 328 स्वीकृत पदों में से 293 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(20) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	70,15.54	59,80.16	59,77.72
पु.	- 10,35.38		- 2.44
₹ 10,35.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को कम सहायतार्थ अनुदान देने को आरोपित की गयी, क्योंकि अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में संचालित निगम द्वारा स्वयं की आय से व्यय की पूर्ति की गयी।			

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(21) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	35,44.00	..	..
पु.	- 35,44.00		

31 मार्च 2017 को ₹ 35,44.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार/राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य  
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण  
(22) स्वाइन फ्लू नियंत्रण कार्यक्रम (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से )

मू.	1,70.00	..	..
पु.	- 1,70.00		

31 मार्च 2017 को ₹ 1,70.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रदेश में स्वाइन फ्लू बीमारी के कम होने से अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों द्वारा बीमारी के नियंत्रण के लिए उपकरणों की खरीद की जरूरत न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य  
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं  
(01) जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगशालाएं

मू.	19,40.45	3,17.46	3,17.47	+ 0.01
पु.	- 16,22.99			

₹ 16,22.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण प्रयोगशालाओं के लिए मशीनों एवं उपकरणों की खरीद के कार्य-आदेश जारी न होने को आरोपित की गयी।

06. लोक स्वास्थ्य  
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता  
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता  
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता

मू.	1,94,99.94	1,46,25.00	1,46,25.00	..
पु.	- 48,74.94			

₹ 1,94,99.94 लाख के प्रावधान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का अनुदान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 48,74.94 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के पास गत वर्षों की उपलब्ध निधि का निर्धारित सीमा से अधिक अवशेष राशि के अधिशेष को उपयोग करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 23,88.88 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 24,86.06 लाख) किया गया।



## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(04) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	2,95,23.04	2,59,91.00	2,59,91.00
पु.	- 35,32.04		

31 मार्च 2017 को ₹ 35,32.04 लाख का प्रावधान पूर्व वर्षों की उपलब्ध अनुदान को समायोजित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2211. परिवार कल्याण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू.	8,34.16	6,50.14	6,49.54
पु.	- 1,84.02		

₹ 1,84.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

003. प्रशिक्षण			
(02) आकजलरी नर्स, मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
मू.	19,54.89	17,80.80	17,80.27
अ.	- 1,74.09		

31 मार्च 2017 को ₹ 1,74.09 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा छात्रवृत्तियों के लिए दावे प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
(01) राज्य सरकार द्वारा प्रचलित शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	22,05.04	20,01.16	20,01.15
पु.	- 2,03.88		

₹ 2,03.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	25,63.52	24,01.25	24,01.23
पु.	- 1,62.27		

31 मार्च 2017 को ₹ 1,62.27 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70)			
मू.	17,89.00	13,41.75	13,41.75
पु.	- 4,47.25		
31 मार्च 2017 को ₹ 4,47.25 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेन्स सर्विसेज (ई.एम.आर.आई.) (50:50)			
मू.	58,38.65	16,86.01	16,86.01
पु.	- 41,52.64		
31 मार्च 2017 को ₹ 41,52.64 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) (15:85)			
मू.	10,98,61.00	9,94,18.45	9,94,18.45
पु.	- 1,04,42.55		
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	80,71.88	21,81.66	21,81.66
पु.	- 58,90.22		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,63,32.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
(03) भरपाई (लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री के नियुक्ताओं के सहित)			
मू.	8,00.01	9,99.94	9,99.94
पु.	1,99.93		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.93 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[08] सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर

मू.	1,46,80.05	1,58,25.33	1,58,24.54	- 0.79
पु.	11,45.28			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,45.28 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) अस्पताल के तहखाने, चरक भवन एवं ट्रौमा केन्द्र में लघु निर्माण कार्य, (ii) एस.एम.एस. मेडिकल अस्पताल में उप केन्द्र की स्थापना से विद्युत् एवं जल खर्च, (iii) सुरक्षा कर्मियों, जोब आधारित मैनपावर एवं अस्पताल में सफाई के भुगतान हेतु संविदा खर्च तथा (iv) अस्पताल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण पर अधिक व्यय के लिए उपलब्ध करायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
110. अस्पताल तथा औषधालय  
(01) अध्यापन अस्पताल  
[24] महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर

मू.	51,37.74	58,28.25	58,28.24	- 0.01
पु.	6,90.51			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,90.51 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः रिक्त पदों के भरने एवं निविदा की दरों में वृद्धि हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(01) जिला स्तरीय संस्थापन  
[01] क्षेत्रीय और जिला स्थापना

मू.	35,81.35	40,18.21	40,18.04	- 0.17
पु.	4,36.86			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,36.86 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गई।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	4,83,63.24	5,04,44.37	5,04,30.40
पु.	20,81.13		- 13.97

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,81.13 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरने के कारण कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गई।

₹ 13.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	5,52,31.18	6,15,34.49	6,15,30.92
पु.	63,03.31		- 3.57

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63,03.31 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरने के कारण कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गई।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से			
[01] आयुर्वेद विभाग-राज्यांश राशि (15 प्रतिशत)			
मू.	13,20.00	16,87.92	16,87.92
पु.	3,67.92		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,67.92 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से राज्य वार्षिक कार्ययोजना से सम्बन्धित वर्ष 2016-17 के लिए अधिक स्वीकृतियां प्राप्त होने एवं 2015-16 के अवशेष राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उपलब्ध कराई गई।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,86,71.87	2,18,28.85	2,18,28.53
पु.	31,56.98		- 0.32

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,56.98 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) नर्सिंग कर्मियों एवं नर्सिंग शिक्षकों के पदों को भरने तथा (ii) नर्स श्रेणी II के पद का उन्नयन एवं वजीफा भुगतान के कारण वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(19) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू .	51,40.05	54,92.15	54,74.69
पु .	3,52.10		- 17.46

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,52.10 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में स्थापित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र के संचालन के लिए संविदा कर्मियों (मैन विद मशीन/सहायक कर्मी/फार्माशिष्ट) को बकाया मानदेय के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 17.46 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2211. परिवार कल्याण			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
अ .	8,40.00	11,39.90	11,39.91
पु .	2,99.90		+ 0.01

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,99.90 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से सामग्री प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### पूंजी

#### दत्तमत

- ₹ 1,80,46.32 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 28.38 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 67,06.86 लाख, ₹ 42,79.78 लाख, ₹ 1,22,96.68 लाख, ₹ 2,02,28.86 लाख तथा ₹ 1,80,46.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 23.01 प्रतिशत से 59.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	89,14.98	19,17.93	19,17.93
पु.	- 69,97.05		..

31 मार्च 2017 को ₹ 69,97.05 लाख का प्रावधान (i) अधीनस्थ कार्यालयों में नये भवन का निर्माण कार्य/अतिरिक्त कार्य एवं बजट भाषण में घोषित निर्माण कार्यों के लिए कार्यकारिणी एजेंसी द्वारा निविदा की तकनीकी प्रक्रिया समय पर निष्पादित नहीं किये जाने तथा (ii) अन्य तकनीकी कारणों से कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित (₹ 57,34.40 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,62.65 लाख) किया गया।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं  
(निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)
800. अन्य व्यय
- (02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं
- [01] स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण

मू.	1,48,00.00	79,12.00	79,12.00	..
पु.	- 68,88.00			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,48,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत नये स्वास्थ्य उप केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को राशि ₹ 68,88.00 लाख कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदा की तकनीकी प्रक्रिया का समय पर सम्पादन नहीं करने एवं अन्य तकनीकी कारणों से कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं  
(निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)
800. अन्य व्यय
- (02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं
- [02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

मू.	32,00.00	27,99.19	27,99.19	..
पु.	- 4,00.81			

31 मार्च 2017 को ₹ 32,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को राशि ₹ 4,00.81 लाख कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदा की तकनीकी प्रक्रिया का समय पर सम्पादन नहीं करने एवं अन्य तकनीकी कारणों से कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	34,32.88		
		20,27.57	
पु.	- 14,05.31		20,27.57
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 14,05.31 लाख का प्रावधान (i) कैथ लैब की निविदा का निरस्तीकरण, क्योंकि निविदा में अनुमोदित कम्पनी की दर तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित तकनीकी निविदा से अधिक थी, (ii) तकनीकी समिति द्वारा जैव सुरक्षा स्तर-3 प्रयोगशाला की निविदा का अनुमोदन नहीं किया जाना, (iii) कुछ उपकरणों की निविदा में अनुमान से कम दरों की प्राप्ति तथा (iv) कार्य की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	8,06.11		
		19.28	
पु.	- 7,86.83		19.28
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,86.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	6,62.83		
		2,46.65	
पु.	- 4,16.18		2,18.27
			- 28.38
₹ 4,16.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 28.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	22,88.24		
		99.86	
पु.	- 21,88.38		99.86
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 21,88.38 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से पेरामेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, (ii) संलग्न अस्पतालों में पर्याप्त एवं उचित जगह न मिलने के कारण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना न होना, (iii) बजट भाषण की घोषणा की अनुपालना में संक्रामक रोग संस्थान की स्थापना के लिए ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान अनुमानित किया गया, लेकिन भवन पूर्व में ही उपलब्ध था, केवल उपकरण खरीद की आवश्यकता होने के परिणामस्वरूप निधियां अभ्यर्पित की गयीं, (iv) भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त न होने के कारण मशीन एवं उपकरणों की कम खरीद तथा (v) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उम्मेद अस्पताल के नवीकरण कार्य का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	3,00.00		
		13,66.00	13,66.00
पु.	10,66.00		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,66.00 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजना की क्रियान्विति तथा विद्यमान योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



## अनुदान संख्या 027 – पेय जल योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई

पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	28,36,97,74	31,76,92,90	29,13,73,20	– 2,63,19,70
अनुपूरक	3,39,95,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,60,26,19
<b>प्रभारित</b>				
मूल	5,00	2,21,48	2,19,67	– 1,81
अनुपूरक	2,16,48			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,78
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	38,76,32,63	38,76,32,70	29,80,10,60	– 8,96,22,10
अनुपूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				8,78,97,30

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. ₹ 2,63,19.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,39,95.16 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 2,63,19.70 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,93.51 लाख अनुभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई				
01. जलपूर्ति				
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				
(02) जलपूर्ति योजना, अलवर				
मू.	33,22.22			
अ.	3,00.00	33,20.29	33,18.71	- 1.58
पु.	- 3,01.93			

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग एवं दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् व्यय तथा योजना के विस्तार के कारण व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 3,01.93 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

- 01. जलपूर्ति
- 101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
- (04) जलपूर्ति योजना, भरतपुर

मू.	17,98.05			
पु.	- 1,78.39	16,19.66	16,19.47	- 0.19

₹ 1,78.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

- 01. जलपूर्ति
- 101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
- (07) जलपूर्ति योजना, जयपुर

मू.	2,10,98.60			
अ.	39,00.00	2,38,83.03	2,38,79.76	- 3.27
पु.	- 11,15.57			

- 01. जलपूर्ति
- 101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
- (08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर

मू.	64,78.50			
अ.	7,50.00	66,63.80	66,61.39	- 2.41
पु.	- 5,64.70			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 46,50.00 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग एवं दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् व्यय तथा योजना के विस्तार पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 16,80.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर			
मू.	49,16.50		
अ.	3,65.00	49,67.46	47,65.41
पु.	- 3,14.04		- 2,02.05

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,65.00 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग एवं दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् व्यय तथा योजना के विस्तार पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 3,14.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

₹ 2,02.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(12) अन्य नगरीय जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	4,97,95.19		
अ.	63,50.00	5,14,67.18	5,14,56.10
पु.	- 46,78.01		- 11.08

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	11,21,45.65		
अ.	1,66,29.36	11,86,66.65	11,86,32.92
पु.	- 1,01,08.36		- 33.73

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,29,79.36 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग एवं दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् व्यय तथा योजना के विस्तार पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,47,86.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने, बिजली बिलों में विरोधाभास तथा संवेदकों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 44.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, साहबा गंधेली			
मू.	43,21.50		
अ.	17,00.00	57,01.87	56,91.81
पु.	- 3,19.63		- 10.06

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान विद्युत् के अधिक उपभोग एवं दरों में वृद्धि के कारण विद्युत् व्यय तथा योजना के विस्तार पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 3,19.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा बिजली बिलों में विरोधाभास को आरोपित की गयी।

₹ 10.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किराये पर वाहन रखना (ग्रामीण)			
[36] वाहनों का किराया			
मू.	8,88.00		
पु.	- 2,87.00	6,01.00	6,00.88
			- 0.12
31 मार्च 2017 को ₹ 2,87.00 लाख का प्रावधान वाहनों को किराये पर लेने में हुई देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
मू.	42,25.46		
पु.	- 6,39.44	35,86.02	35,84.60
			- 1.42
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पर्यवेक्षण			
मू.	39,34.04		
पु.	- 6,07.48	33,26.56	33,26.27
			- 0.29
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) निष्पादन			
मू.	2,67,79.21		
पु.	- 37,84.98	2,29,94.23	2,29,84.36
			- 9.87
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 50,31.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
शीर्ष "2215-02-001(03)" के अंतर्गत ₹ 9.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. मल जल तथा सफाई			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) शिल्पशाला			
मू.	50,96.86		
पु.	- 11,74.51	39,22.35	39,14.54
			- 7.81
31 मार्च 2017 को ₹ 11,74.51 लाख का प्रावधान मुख्यतः कर्मचारियों की निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा खुदाई कार्य का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 7.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
02. मल जल तथा सफाई			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) मल निकासी योजनाओं का संधारण			
[01] नगर पालिकाओं को सहायतार्थ			
मू.	6,60.00		
		4,40.85	
पु.	- 2,19.15		..

31 मार्च 2017 को ₹ 2,19.15 लाख का प्रावधान सीवरेज कर के कम संग्रहण के परिणामस्वरूप मल निकासी योजनाओं के संधारण हेतु नगरपालिकाओं को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 8,96,22.10 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 17,24.80 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,78,04.63 लाख, ₹ 2,00,41.29 लाख, ₹ 2,65,69.23 लाख, ₹ 4,81,46.76 लाख तथा ₹ 8,96,22.10 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के कुल बजट की 7.43 प्रतिशत से 23.12 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का अनुमान से कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों में बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	1,52,00.00		
		1,25,95.79	
पु.	- 26,04.21		- 46.10

31 मार्च 2017 को ₹ 26,04.21 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

₹ 46.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	24,64.00		
		20,31.03	
पु.	- 4,32.97		..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू.	4,78.40		
पु.	- 2,20.33	2,58.07	2,57.72
			- 0.35
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[24] चम्बल परियोजना, भरतपुर			
मू.	10,00.00		
पु.	- 8,10.32	1,89.68	1,89.68
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	10,30.50		
पु.	- 8,01.13	2,29.37	2,29.37
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[33] चूरु-झुन्झुनू जलप्रदाय योजना ( आपणी योजना फेज- II)			
मू.	24,04.50		
पु.	- 2,90.05	21,14.45	21,14.45
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[44] नागौर लिफ्ट कैनाल, फेज- I			
मू.	9,00.00		
पु.	- 5,57.92	3,42.08	3,42.08
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[51] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय योजना			
मू.	10,30.50		
पु.	- 6,67.79	3,62.71	3,62.71
			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जलपूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू.	61,83.00		
पु.	- 24,42.51	37,40.49	37,84.50
			+ 44.01
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना			
मू.	46,18.01		
पु.	- 10,00.41	36,17.60	36,17.60
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना फेज- II			
मू.	1,37,00.00		
पु.	- 31,95.57	1,05,04.43	1,05,04.43
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[69] नागदा- अन्ता- बलदेवपुरा जल प्रदाय योजना			
मू.	7,85.93		
पु.	- 1,36.53	6,49.40	6,49.40
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[72] चम्बल-बूंदी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	9,43.25		
पु.	- 4,00.02	5,43.23	5,43.23
			..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[73] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	24,04.50		
पु.	- 2,49.30	21,55.20	21,55.20
			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू.	41,22.00		
पु.	- 4,12.20	37,09.80	37,09.80
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[92] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना किशनगढ कस्बे की			
मू.	27,48.00		
पु.	- 6,87.00	20,61.00	20,61.00
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[93] नर्मदा नहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि			
मू.	6,87.00		
पु.	- 1,71.75	5,15.25	5,15.25
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[94] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ कस्बे की			
मू.	27,48.00		
पु.	- 17,20.63	10,27.37	10,27.37
उपरोक्त सत्रह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,41,96.43 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
शीर्ष "4215-01-101(01) [61] " के अंतर्गत ₹ 44.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(08) मूल्यहास आरक्षित निधि के विरुद्ध जल पूर्ति योजनाओं का पुनरूद्धार			
मू.	5,00.00		
पु.	- 3,76.05	1,23.95	1,23.95
31 मार्च 2017 को ₹ 3,76.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[08] चम्बल परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)			
मू.	6,87.01		
पु.	- 3,21.06	3,65.95	3,65.95
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[24] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाडा जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	12,36.61		
पु.	- 2,64.47	9,72.14	9,72.14
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[30] कोलायत (नोखा) जल पूर्ति योजना			
मू.	1,58.77		
पु.	- 1,31.24	27.53	27.53
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[31] कोलायत तहसील जलपूर्ति योजना			
मू.	11,01.90		
पु.	- 5,54.25	5,47.65	5,47.65
01. जलपूर्ति			..
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[36] फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	3,16.71		
पु.	- 2,65.67	51.04	48.85
01. जलपूर्ति			- 2.19
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनिया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	27,01.01		
पु.	- 13,57.17	13,43.84	13,43.84
01. जलपूर्ति			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानिया-ओसिया-बावड़ी-भोपालगढ़ जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	59,10.93	53,74.05	53,74.05
पु.	- 5,36.88		..
उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 34,30.74 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[49] ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम कार्यक्रम			
मू.	4,39.63	..	..
पु.	- 4,39.63		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,39.63 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(02) पाइपों द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[03] 2215-जलपूर्ति और सफाई 02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)			
मू.	73,54.91	65,41.59	65,41.59
पु.	- 8,13.32		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[05] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	1,68,48.97	1,50,41.86	1,50,41.86
पु.	- 18,07.11		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 26,20.43 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रोरेटा शुल्क के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[01] अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	5,27,11.32		
पु.	- 2,07,91.00	3,19,20.32	3,18,20.39
			- 99.93
31 मार्च 2017 को ₹ 2,07,91.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 99.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	5,00.00		
पु.	- 2,08.41	2,91.59	2,91.59
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनःस्थापना			
मू.	20,00.00		
पु.	- 13,45.34	6,54.66	6,54.66
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(12) पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	30,00.00		
पु.	- 8,06.53	21,93.47	21,93.39
			- 0.08
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(18) बीसलपुर-दूदू जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	57,43.22		
पु.	- 34,35.47	23,07.75	23,07.75
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू.	30,91.51		
पु.	- 22,29.60	8,61.91	8,61.91
			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू.	1,00,00.00		
पु.	- 8,91.44	91,08.56	91,26.15
			+ 17.59
उपरोक्त छः शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 89,16.79 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
शीर्ष "4215-01-102(21)" के अंतर्गत ₹ 17.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(35) सिस् की खरीद एवं पुनः उपयोग हेतु			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	16,62.81		
पु.	- 10,63.29	5,99.52	5,99.52
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(38) नागौर लिफ्ट कैनाल			
मू.	28,16.71		
पु.	- 8,82.30	19,34.41	19,34.41
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(40) डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	41,51.16		
पु.	- 29,15.16	12,36.00	12,36.00
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(43) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम			
मू.	17,50.00		
पु.	- 13,82.07	3,67.93	3,67.47
			- 0.46

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बोरावास मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू.	6,87.01		
पु.	- 3,06.45	3,80.56	3,80.56
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(50) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II			
मू.	20,92.24		
पु.	- 12,37.32	8,54.92	8,53.80
उपरोक्त छः शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 77,86.59 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(55) राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	7,60.61		
पु.	- 3,28.18	4,32.43	4,32.43
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(60) नर्मदा परियोजना (डी. आर.)			
मू.	19,42.16		
पु.	- 5,99.99	13,42.17	13,42.17
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर -दूढ़ परियोजना-चाकसू-फागी एवं बरसी			
मू.	1,41,29.79		
पु.	- 24,06.13	1,17,23.66	1,17,23.66
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(79) इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	6,87.00		
पु.	- 6,52.65	34.35	34.35

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(90) ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना पीलवा-सागरी-जम्बेश्वर नगर आर.जी.एल.सी. से आर.डी.111 (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू.	6,87.01		
पु.	- 1,71.76	5,15.25	5,15.25
			..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 41,58.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(59) निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	72,16.51		
पु.	- 48,24.99	23,91.52	23,91.52
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(61) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-II पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	36,88.68		
पु.	- 26,16.65	10,72.03	10,72.03
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(62) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-II पार्ट-सी ( 473 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	10,30.51		
पु.	- 10,27.48	3.03	3.03
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(63) जवाई-पाली-जोधपुर पाइपलाइन परियोजना फेज- II ( क्लस्टर परियोजना)			
मू.	2,34.96		
पु.	- 2,34.30	0.66	0.66
			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(64) ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	30,15.10		
पु.	- 19,90.18	10,24.92	10,24.92
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(65) गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	55,40.34		
पु.	- 31,43.09	23,97.25	23,97.25
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	9,74.01		
पु.	- 9,00.65	73.36	70.38
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(74) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	22,35.70		
पु.	- 7,68.45	14,67.25	14,67.25
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	32,24.96		
पु.	- 18,44.37	13,80.59	13,80.59
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(78) नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	9,74.01		
पु.	- 7,61.51	2,12.50	2,12.50

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(82) राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना से बावड़ीकलां- खारा एवं जलोड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	24,95.44		
पु.	- 9,87.56	15,07.88	15,07.88
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(83) राजीव गाँधी लिफ्ट केनाल योजना से घाटोर, कानासर एवं बाप जल पूर्ति परियोजना			
मू.	13,01.91		
पु.	- 4,23.69	8,78.22	8,78.22
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(85) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	94,73.59		
पु.	- 55,98.45	38,75.14	38,76.56
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(86) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	48,77.70		
पु.	- 30,91.24	17,86.46	17,95.52
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(87) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहायता राशि			
मू.	25,00.00		
पु.	- 12,58.26	12,41.74	12,41.74
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(97) राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड़, जिला झालावाड़			
मू.	17,17.50		
पु.	- 8,94.80	8,22.70	8,22.70

उपरोक्त सोलह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 3,03,65.67 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

शीर्ष "4215-01-102(86)" के अंतर्गत ₹ 9.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II ( ई.ए.पी.)			
मू.	2,38,14.85	2,38,14.42	2,28,38.01
पु.	- 0.43		
			- 9,76.41
₹ 9,76.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(08) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	97,75.00	63,94.26	63,60.01
पु.	- 33,80.74		
			- 34.25
₹ 33,80.74 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 34.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(98) आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	2,27,59.62	60,50.99	60,04.68
पु.	- 1,67,08.63		
			- 46.31
31 मार्च 2017 को ₹ 1,67,08.63 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुर्नविनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 46.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
799. उर्चत			
(01) स्टॉक			
मू.	1,50,00.00	73,01.74	72,87.92
पु.	- 76,98.26		
			- 13.82
₹ 76,98.26 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 13.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
799. उर्चत			
(02) विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम			
मू.	5,00.00	..	..
पु.	- 5,00.00		
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	8,15.39		
पु.	3,09.39	11,24.78	11,24.78
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[53] जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन आधारित योजनाएं (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)			
मू.	17.18		
पु.	1,72.70	1,89.88	1,81.51
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[76] शहरी जलप्रदाय योजना, जालौर (शहरी)			
मू.	0.01		
पु.	2,57.60	2,57.61	2,57.61
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[80] पिपलाद जलपूर्ति योजना			
मू.	1,53.20		
पु.	2,12.82	3,66.02	3,66.02
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[84] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	9,73.99	9,74.00	9,74.00

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[88] जवाई-पाली पाईप लाइन परियोजना फेज- II पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	7,55.70		
पु .	1,58.53	9,14.23	9,14.23
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[23] बीसलपुर बांध से टोक-उनियारा एवं देवली जलपूर्ति योजना			
मू .	19,57.51		
पु .	17,88.49	37,46.00	37,46.00
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू .	13,74.01		
पु .	45,07.54	58,81.55	58,81.55
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[50] अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना जिला बांरा (ग्रामीण)			
अ.	0.01		
पु .	1,12.39	1,12.40	1,12.40
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[51] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
अ .	0.01		
पु .	1,12.39	1,12.40	1,12.40

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[52] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी			
अ .	0.01		
		36,29.05	36,29.05
पु .	36,29.04		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(20) चूरु-झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना फेज-II)			
मू .	17,17.51		
		86,47.16	86,47.16
पु .	69,29.65		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू .	60,06.01		
		82,31.38	82,31.38
पु .	22,25.37		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(54) फतेहपुर- लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू .	27,48.01		
		40,72.20	40,72.20
पु .	13,24.19		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(76) बांसवाड़ा- प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना			
मू .	14,61.01		
		63,74.24	63,74.24
पु .	49,13.23		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(80) कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुन्झुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू .	13,74.01		
		45,01.95	45,01.95
पु .	31,27.94		..

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(84) भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	13,17.51	17,09.03	17,09.03
पु.	3,91.52		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(89) ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना मलार-जोड़-हिंगाडोल फलौदी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू.	15.28	1,45.92	1,45.92
पु.	1,30.64		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(95) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	13,22.64	50,17.33	50,17.33
पु.	36,94.69		
उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,49,72.11 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं (एन.सी.आर.पी.बी.)			
मू.	33,96.28	44,91.50	40,67.03
पु.	10,95.22		
			- 4,24.47

**अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(25) नहरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत			
मू.	50,00.00		
		55,95.58	54,83.18
पु.	5,95.58		- 1,12.40

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,90.80 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 5,36.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

6. **उचन्त लेन-देन** : 2016-17 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उचन्त उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+ 20,45.73	72,87.92	68,69.48	(+ 24,64.17
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 32,54.20	..	15.75	(+ 32,38.45
<b>योग</b>	<b>(+ 52,99.93</b>	<b>72,87.92</b>	<b>68,85.23</b>	<b>(+ 57,02.62</b>

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और  
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	9,49,64,18		
अनुपूरक	2	9,49,64,20	7,41,41,01 – 2,08,23,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2,08,22,74
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	..	1	.. – 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,74,80,00		
अनुपूरक	..	2,74,80,00	2,74,80,00 ..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी एम के एस वाई)			
अदर इन्टरवेंशन			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	68,69.00		
पु.	- 68,69.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 68,69.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अदर इन्टरवेंशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 57,28.46 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,40.54 लाख) किया गया।

**अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	3,02,26.19		
पु.	- 33,56.93	2,68,69.26	2,68,69.26
31 मार्च 2017 को ₹ 33,56.93 लाख का प्रावधान "फोर वाटर कंसेप्ट" योजना को निधि के ड्राईवर्जन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड घटक			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	4,32,74.69		
पु.	- 1,84,73.02	2,48,01.67	2,48,01.67
31 मार्च 2017 को ₹ 1,84,73.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,66,25.09 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 18,47.93 लाख) किया गया।			..
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[01] अनुदान			
मू.	59,05.00		
पु.	- 46,71.10	12,33.90	12,33.90
31 मार्च 2017 को ₹ 46,71.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना			
[01] अनुदान			
मू.	31,66.65		
पु.	- 29,94.09	1,72.56	1,72.56
31 मार्च 2017 को ₹ 29,94.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..



**अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु (राज्यांश)			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	22,52.53		
पु.	- 19,92.67	2,59.86	2,59.86
			..

31 मार्च 2017 को ₹ 19,92.67 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	0.01		
पु.	20,05.68	20,05.69	20,05.69
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,05.68 लाख की अतिरिक्त निधियां माइक्रो स्टोरेज टैंकों का जलग्रहण उपचार और प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान हेतु उपलब्ध कराई गई।

05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जल संरक्षण उप कर निधि से व्यय			
[01] जल ग्रहण विकास एव भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	0.01		
पु.	1,50,76.36	1,50,76.37	1,50,76.37
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50,76.36 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना के प्रथम चरण के व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना			
[01] अनुदान			
मू.	20,20.00		
पु.	6,83.03	27,03.03	27,03.03
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,83.03 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

अनुदान संख्या 029 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास,  
2217. शहरी विकास और  
3055. सड़क परिवहन  
पूंजी - 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय ,  
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और  
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	40,23,78,56	48,33,03,94	42,06,50,62	- 6,26,53,32
अनुपूरक	8,09,25,38			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6,26,52,78
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	1,22	1,19	- 3
अनुपूरक	1,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	17,42,67,98	17,42,68,00	9,59,45,29	- 7,83,22,71
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				7,67,44,24
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 6,26,53.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए कुल ₹ 8,09,25.38 लाख की अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गई राशि ₹ 8,09,25.37 लाख अत्यधिक थी।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

2. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,38,60.31 लाख, ₹ 2,11,37.65 लाख, ₹ 5,65,51.93 लाख, ₹ 5,41,67.28 लाख तथा ₹ 6,26,53.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.61 प्रतिशत से 19.75 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	44,59.38		
पु.	- 25,53.80	19,05.58	..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[08] जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	6,60.00		
पु.	- 5,55.59	1,04.41	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 31,09.39 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अनुदान (गैर वेतन) में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	6,80.05		
पु.	- 6,80.05	..	..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[11] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	3,30.00		
पु.	- 3,30.00	..	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 10,10.05 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अनुदान (गैर वेतन) में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी			
[01] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	5,40.00	..	..
पु.	- 5,40.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 5,40.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान (गैर वेतन) में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	0.04		
अ.	1,94,99.98	1,47,20.00	1,47,20.00
पु.	- 47,80.02		..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,99,99.88		
अ.	94,99.98	2,14,00.00	2,14,00.00
पु.	- 80,99.86		..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,99,99.88		
अ.	94,99.98	2,14,00.00	2,14,00.00
पु.	- 80,99.86		..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	0.04		
अ.	1,93,99.98	1,45,60.00	1,45,60.00
पु.	- 48,40.02		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,78,99.92 लाख का प्रावधान स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निधियां प्राप्त होने के कारण लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्याधिक था।

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 ₹ 2,58,19.76 लाख का प्रावधान स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निधियां कम प्राप्त होने/देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) स्थानीय निकायों के संचालक			
मू.	8,44.60		
पु.	- 1,55.86	6,88.74	6,88.74

₹ 1,55.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

- 80. सामान्य
- 191. नगर निगमों को सहायता
- (14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान
- [04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान

मू.	7,99.32		
पु.	- 5,44.25	2,55.07	2,55.07

31 मार्च 2017 को ₹ 5,44.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

- 80. सामान्य
- 191. नगर निगमों को सहायता
- (29) सार्वजनिक रोशनी
- [01] विद्युत् बिलों का भुगतान

मू.	1,00,00.00		
पु.	- 1,00,00.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,00,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 58,48.54 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 41,51.46 लाख) किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

- 80. सामान्य
- 191. नगर निगम को सहायता
- (30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय
- [01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

मू.	10,99.04		
पु.	- 7,55.70	3,43.34	3,43.34

31 मार्च 2017 को ₹ 7,55.70 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(35) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] 14 वें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान			
मू.	1,82,01.80		
पु.	- 10,66.32	1,71,35.48	1,71,35.48
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(35) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] 14 वें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान			
मू.	53,71.95		
पु.	- 35,28.56	18,43.39	18,43.39
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 45,94.88 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	1,59,08.53		
पु.	- 1,41,45.20	17,63.33	17,63.33
31 मार्च 2017 को ₹ 1,41,45.20 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,41,45.14 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.06 लाख) किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	19,97.61		
पु.	- 7,20.53	12,77.08	12,77.08
31 मार्च 2017 को ₹ 7,20.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी.) (10:10:80)			
[01] विकास कार्य			
मू.	97,03.06	42,74.46	42,74.46
पु.	- 54,28.60		..

31 मार्च 2017 को ₹ 54,28.60 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(32) जल एवं सीवरेज परियोजना  
[01] जल एवं सीवरेज परियोजना

मू.	50,15.10	41,90.70	41,90.70	..
पु.	- 8,24.40			

31 मार्च 2017 को ₹ 8,24.40 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(33) सार्वजनिक रोशनी  
[01] विद्युत् बिलों का भुगतान

मू.	60,00.00	..	..	..
पु.	- 60,00.00			

₹ 60,00.00 लाख का प्रावधान नगरीय निकायों से विद्युत् कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक रोशनी के विद्युत् बिलों के दावे के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 60,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य  
800. अन्य व्यय  
(01) नगर तथा देशी आयोजन संगठन (0:100)

मू.	12,99.81	11,81.79	11,81.73	- 0.06
पु.	- 1,18.02			

₹ 1,18.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) निष्कासन/मृत्यु तथा स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने तथा (ii) कर्मचारियों द्वारा समर्पित अवकाश का लाभ नहीं लेने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	0.09		
अ.	93,10.00	60,57.71	60,57.71
पु.	- 32,52.38		..

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपुरक अनुदान द्वारा ₹ 93,10.00 लाख का प्रावधान माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि नाथद्वारा के लिए पार्किंग प्रोजेक्ट तथा ग्रामीण गौरव पथ के निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 32,52.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(10) मास्टर प्लान एवं अन्य योजनाएं			
[01] नगर नियोजन विभाग के माध्यम से			
मू.	10,27.19		
पु.	- 3,32.33	6,94.86	6,94.86

₹ 3,32.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
मू.	10,00.03		
पु.	5,70.62	15,70.65	15,70.65

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,70.62 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक ) सेवा चयन आयोग			
मू.	31.36		
पु.	6,45.73	6,77.09	6,77.07

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,45.73 लाख की अतिरिक्त निधियां नयी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजन पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,54,44.20		
पु.	15,84.06	1,70,28.26	1,70,28.26
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,84.06 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(40) जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय			
[01] स्थानीय निकाय विभाग से व्यय			
अ.	0.01		
पु.	1,30.87	1,30.88	1,30.88
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,30.87 लाख की अतिरिक्त निधियां जल संरक्षण उपकर निधि के अन्तर्गत नई योजना के कार्यान्वयन और मौजूदा योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[01] सामान्य			
अ.	0.01		
पु.	1,06.89	1,06.90	1,06.90
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,06.89 लाख की अतिरिक्त निधियां अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत नई योजना के कार्यान्वयन और मौजूदा योजना के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	3,86,09.68		
पु.	43,13.80	4,29,23.48	4,29,23.48
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,13.80 लाख की अतिरिक्त निधियां नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अधिक अनुदान जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[01] विद्युत प्रभार हेतु			
मू.	17,60.00		
पु.	1,60.00	19,20.00	19,20.00

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,60.00 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् पर किये गये व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(37) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान  
[02] 14 वें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान

मू.	1,23,28.05		
पु.	35,28.56	1,58,56.61	1,58,56.61

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,28.56 लाख की अतिरिक्त निधियां 14 वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना  
[01] सबके लिए आवास (शहरी)

मू.	0.02		
अ.	38,00.27	44,51.88	44,51.88
पु.	6,51.59		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,51.59 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य  
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(43) जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय  
[01] स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से

अ.	0.01		
पु.	3,96.58	3,96.59	3,96.59

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,96.58 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	16,28.97		
		20,59.00	20,59.00
पु.	4,30.03		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,30.03 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 7,83,22.71 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 15,78.47 लाख अन्वर्धित रहे।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,93,94.06 लाख, ₹ 4,14,99.19 लाख, ₹ 5,73,42.54 लाख, ₹ 3,22,58.37 लाख तथा ₹ 7,83,22.71 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 16.58 प्रतिशत से 44.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	17,16.75		
		6,83.06	6,83.06
पु.	- 10,33.69		..

31 मार्च 2017 को ₹ 10,33.69 लाख का प्रावधान शहरी जनसहभागी योजना के लिये निधियां कम जारी किये जाने के कारण अन्वर्धित किया गया, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर.ओ.बी.)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिये			
मू.	1,03,00.50		
		26,33.91	26,33.91
पु.	- 76,66.59		..

31 मार्च 2017 को ₹ 76,66.59 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्वर्धित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(05) रेन बसेरा निर्माण			
मू.	1,03.00	..	..
पु.	- 1,03.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,03.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(06) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,21,57.60	1,72,74.00	1,72,74.00
पु.	- 2,48,83.60		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,48,83.60 लाख का प्रावधान अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,50,94.91 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 97,88.69 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(04) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	1,31,60.58	29,71.95	29,71.95
पु.	- 1,01,88.63		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,01,88.63 लाख का प्रावधान राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छ: प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00	16.01	- 3,83.99
पु.	- 4,83.99		- 4,00.00
31 मार्च 2017 को ₹ 4,83.99 लाख का प्रावधान कुछ विकास कार्यों के विवादित बिलों एवं ऐसा एक बिल की जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अन्तर्गत विचाराधीन होने से भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 3,83.99 लाख का ऋण व्यय जोधपुर क्षेत्र के कार्य के पेटे जोधपुर विकास प्राधिकरण से राशि ₹ 4,00.00 लाख के अंशदान प्राप्त होने तथा निदेशक ए डी बी परियोजना, राजस्थान द्वारा जमा कराये जाने के कारण रहा।			

## अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	2,49,99.84		
पु.	- 1,20,42.65	1,29,57.19	1,20,87.75
			- 8,69.44

₹ 1,20,42.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों में 161 स्वीकृत पदों में से 68 पदों के रिक्त रहने तथा कार्यस्थल पर कार्यों की समाप्ति में रुकावट के कारण एशियन विकास बैंक के द्वारा द्वितीय चरण के विकास कार्यों की समय अवधि को बढ़ाने को आरोपित की गयी।

₹ 8,69.44 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. तृतीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	3,75,00.00		
पु.	- 2,68,89.73	1,06,10.27	1,06,10.25
			- 0.02

₹ 2,68,89.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 114 स्वीकृत पदों में से 73 पदों के रिक्त रहने तथा गंगानगर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़ तथा भीलवाड़ा में विकास कार्यों की निविदाएँ प्रक्रियाधीन होने को आरोपित की गई।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(06) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] प्रोग्राम लोन			
मू.	1,50,00.00		
अ.	0.02	58.78	- 2,50.23
पु.	- 1,49,41.24		- 3,09.01

₹ 1,50,00.00 लाख का प्रावधान बीकानेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, माउण्ट आबू तथा कोटा के विकास कार्यों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, बीकानेर में विकास के लिए कार्य आदेश निर्गमित किया गया परन्तु न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण फर्म द्वारा कार्य शुरू नहीं हो सका तथा अन्य शहरों में विकास कार्यों हेतु निविदाएँ प्रक्रियाधीन होने के परणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,49,41.24 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

₹ 2,50.23 लाख का ऋण व्यय मैसर्स टेक्नोक्राफ्ट कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (₹ 2,90.40 लाख) तथा मैसर्स कृष्णा कान्स्ट्रक्टर (₹ 1,49.60 लाख) द्वारा बैंक गारण्टी याचना से सम्बन्धित कुल राशि ₹ 4,40.00 लाख जमा कराये जाने के कारण रहा। राशि आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा जमा कराई गई।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
मू.	15,00.00	..	..
पु.	- 15,00.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 15,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं  
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज  
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि  
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड

मू.	4,42.00	..	..
पु.	- 4,42.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 4,42.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को कर्ज जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं  
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज  
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)  
[01] एशियन विकास बैंक ऋण

मू.	2,50,00.00	1,21,98.63	1,21,98.63	..
पु.	- 1,28,01.37			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,28,01.37 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
800. अन्य व्यय				
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता				
[01] विशेष अनुदान				
मू.	0.01	4,00.00	4,00.00	..
पु.	3,99.99			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,99.99 लाख का प्रावधान स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(03) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विकास कार्य			
मू.	0.02		
पु.	71,66.47	71,66.49	..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71,66.47 लाख की अतिरिक्त निधियां जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) स्मार्ट सिटी योजना			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड			
मू.	0.02		
पु.	99,99.98	1,00,00.00	1,00,00.00 ..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत जयपुर के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) स्मार्ट सिटी योजना			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड			
मू.	0.02		
पु.	99,99.98	1,00,00.00	1,00,00.00 ..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत उदयपुर के लिए भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) मेट्रो रेल परियोजना			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का उधार			
मू.	0.01		
पु.	26,96.45	26,96.46	26,96.46 ..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,96.45 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 029 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)			
[02] राज्य सरकार को उधार			
मू.	0.01		
पु.	24,99.99	25,00.00	25,00.00
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू.	15,00.00		
पु.	35,00.00	50,00.00	50,00.00
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



## अनुदान संख्या 030 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2216.	आवास,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर  
 पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6216. आवास के लिए कर्ज,  
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,  
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज,  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज,  
 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	91,12,99,59		
अनुपूरक	22	91,12,99,81	73,78,92,80 - 17,34,07,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			17,29,11,96
<b>प्रभारित</b>			
मूल	9		
अनुपूरक	50,27	50,36	49,44 - 92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			92

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>पूँजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	46,66,89,75	46,80,83,01	43,46,48,01	- 3,34,35,00
अनुपूरक	13,93,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3,30,04,43

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:****राजस्व****दत्तमत**

- ₹ 17,34,07.01 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 4,95.05 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
(01) भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से				
[01] भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण (50 : 50)				
मू.	28,33.05	4,85.47	4,85.47	..
पु.	- 23,47.58			

31 मार्च 2017 को ₹ 23,47.58 लाख का प्रावधान (i) 01.04.2016 से डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के सेन्टर सैक्टर स्कीम में परिवर्तित होने एवं योजना का व्यय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के बचत खाते से किये जाने तथा (ii) सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण कार्य की देरी से स्वीकृति के कारण कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**2202. सामान्य शिक्षा**

## 01. प्रारम्भिक शिक्षा

## 111. सर्व शिक्षा अभियान

(03) जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोगना  
(शिक्षा गारन्टी स्कीम)

मू.	6,32,98.67	5,94,58.49	5,94,58.49	..
पु.	- 38,40.18			

₹ 38,40.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	1,41,75.05		
पु.	- 31,72.11	1,10,02.94	1,10,02.89
			- 0.05
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	14,11.10		
पु.	- 3,59.76	10,51.34	10,51.34
			..
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
मू.	1,82,50.00		
पु.	- 25,70.53	1,56,79.47	1,56,79.47
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 61,02.40 लाख का प्रावधान कार्मिकों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने तथा प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में विलय के कारण पदों के स्थानान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिए			
मू.	3,61.45		
पु.	- 1,38.90	2,22.55	2,22.55
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,38.90 लाख का प्रावधान मुख्यतः कार्मिकों की पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने तथा प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में विलय के कारण पदों के स्थानान्तरण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन			
[02] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	41,78.60		
पु.	- 4,57.12	37,21.48	37,21.49
			+ 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 4,57.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन			
[03] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	46,33.10	40,00.00	40,00.00
पु.	- 6,33.10		
31 मार्च 2017 को ₹ 6,33.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण			
मू.	59,00.00	47,13.91	47,13.91
पु.	- 11,86.09		
31 मार्च 2017 को ₹ 11,86.09 लाख का प्रावधान शिक्षा के अधिकार के तहत पात्र विद्यार्थियों के प्रवेश पर निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण विद्यार्थियों के वास्तविक सत्यापन के आधार पर किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	67,00.00	16,93.65	16,93.65
पु.	- 50,06.35		
31 मार्च 2017 को ₹ 50,06.35 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[03] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	2,07,44.00	74,55.47	74,55.47
पु.	- 1,32,88.53		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,32,88.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[03] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	12,21.50	9,21.22	9,21.22
पु.	- 3,00.28		..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,00.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[03] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	66,34.62	48,66.45	48,66.45
पु.	- 17,68.17		..

₹ 17,68.17 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू.	5,88,37.60	4,64,30.05	4,64,25.97
पु.	- 1,24,07.55		- 4.08

₹ 1,24,07.55 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[03] व्यावसायिक शिक्षा			
मू.	4,69.18	3,15.49	3,15.49
पु.	- 1,53.69		..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,53.69 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(10) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	9,72.00	4,07.58	4,07.58
पु.	- 5,64.42		
31 मार्च 2017 को ₹ 5,64.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(11) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	11,80.00	2,96.02	2,96.02
पु.	- 8,83.98		
31 मार्च 2017 को ₹ 8,83.98 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) लेपटॉप वितरण			
मू.	8,10.00	3,27.04	3,27.04
पु.	- 4,82.96		
31 मार्च 2017 को ₹ 4,82.96 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू.	41,69.00	35,80.02	35,79.88
पु.	- 5,88.98		
₹ 5,88.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर			
मू.	4,59.00	46.65	46.65
पु.	- 4,12.35		
31 मार्च 2017 को ₹ 4,12.35 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय को अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जनजातियों के लिए			
मू.	27,00.02	7,80.00	7,80.00
पु.	- 19,20.02		
31 मार्च 2017 को ₹ 19,20.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	6,28.66	27.28	27.28
पु.	- 6,01.38		
31 मार्च 2017 को ₹ 6,01.38 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2205. कला एवं संस्कृति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	2,89.98	1,35.32	1,35.32
पु.	- 1,54.66		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,54.66 लाख का प्रावधान पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	71,62.77	67,05.47	67,05.29
पु.	- 4,57.30		
₹ 4,57.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा संविदा कर्मियों (ए.एन.एम./जी.एन.एम.) के नियमित पदों पर चयन के परिणामस्वरूप संविदा व्ययों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	16,29.53	12,18.70	12,18.35
पु.	- 4,10.83		
31 मार्च 2017 को ₹ 4,10.83 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अस्पताल तथा औषधालय-आयुर्वेद			
मू.	30,69.05		
		27,56.86	27,56.86
पु.	- 3,12.19		..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,12.19 लाख का प्रावधान (i) नव नियुक्त कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने में देरी, (ii) कुछ कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का अन्य लेखा शीर्षों को हस्तान्तरण तथा (iii) अनुमान से कम सुनिश्चित वृत्ति पदोन्नति के प्रकरणों का अन्तिमीकरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय  
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय  
समूह, उदयपुर

मू.	11,32.30		
		9,04.69	9,04.69
पु.	- 2,27.61		..

₹ 2,27.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय  
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय  
समूह, कोटा

मू.	11,52.37		
		9,79.07	9,79.08
पु.	- 1,73.30		+ 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 1,73.30 लाख का प्रावधान मुख्यतः 100 स्वीकृत पदों में से 56 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय  
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी

मू.	19,89.71		
		15,27.71	15,27.71
पु.	- 4,62.00		..

31 मार्च 2017 को ₹ 4,62.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन के लिए कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज निगम को अनुदान			
मू.	37,00.02	27,75.00	27,75.00
पु.	- 9,25.02		..
₹ 37,00.02 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज निगम को अनुदान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 9,25.02 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल सर्विसेज निगम के पास निधि की निर्धारित सीमा से अधिक उपलब्ध पिछले वर्षों की अवशेष राशि में से अधिक शेष को उपयोजित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	16,05.33	13,99.00	13,98.99
पु.	- 2,06.33		- 0.01
₹ 2,06.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	7,20.00	..	..
पु.	- 7,20.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,20.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार/राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	11,45.80	3,13.11	3,13.11
पु.	- 8,32.69		..
31 मार्च 2017 को ₹ 8,32.69 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन			
मू.	15,83.90	86.67	86.67
पु.	- 14,97.23		..
31 मार्च 2017 को ₹ 14,97.23 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	9,17.86		
पु.	- 5,62.00		
	3,55.86	3,55.86	..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,62.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू.	31,27.48		
पु.	- 28,33.33		
	2,94.15	2,94.15	..
31 मार्च 2017 को ₹ 28,33.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (10:10:80)			
[03] विकास कार्य			
मू.	19,07.55		
पु.	- 10,67.59		
	8,39.96	8,39.96	..
31 मार्च 2017 को ₹ 10,67.59 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(32) जल एवं सीवरेज परियोजना			
[03] जल एवं सीवरेज परियोजना (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	9,85.50		
पु.	- 1,62.00		
	8,23.50	8,23.50	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,62.00 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जनजाति के लिए सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	4,20.00	1,87.70	1,87.70
पु.	- 2,32.30		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,32.30 लाख का प्रावधान सहयोग एवं उपहार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	30,00.00	25,00.00	25,00.00
पु.	- 5,00.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजना से निधियों का अन्तरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[44] अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु सहायता (वि.के.स.)			
मू.	4,42.00	..	..
पु.	- 4,42.00		..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[53] स्वरोजगार हेतु सहायता (वि.के.स.)			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00		..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[55] कौशल विकास परियोजना			
मू.	6,00.00	..	..
पु.	- 6,00.00		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[56] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता			
मू.	4,41.21	..	..
पु.	- 4,41.21	..	..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[10] पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)			
मू.	2,60.00	..	..
पु.	- 2,60.00	..	..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[18] कौशल विकास परियोजना			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00	..	..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 23,43.21 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[51] पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)			
मू.	9,50.00	5,67.13	..
पु.	- 3,82.87	5,67.13	..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[54] कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण (वि.के.स.)			
मू.	24,00.00	8,38.58	..
पु.	- 15,61.42	8,38.58	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 19,44.29 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[01] कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
मू .	3,61.25	..	..
पु .	- 3,61.25	..	..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[04] पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)			
मू .	4,50.00	..	..
पु .	- 4,50.00	..	..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[10] कौशल विकास परियोजना			
मू .	2,00.00	..	..
पु .	- 2,00.00	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 10,11.25 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा			
मू .	2,19,17.30	1,94,59.41	..
पु .	- 24,57.89	1,94,59.41	..

31 मार्च 2017 को ₹ 24,57.89 लाख का प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान			
मू.	19,65.49		
पु.	- 2,00.00		
	17,65.49	17,65.49	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) माडा व बिखरी के आश्रम छात्रावास			
मू.	3,60.94		
पु.	- 3,60.94		
		..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,60.94 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[18] सहरियाओं के लिए एकीकृत विकास परियोजना			
मू.	22,00.00		
पु.	- 4,00.00		
	18,00.00	18,00.00	..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[01] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	20,18.89		
पु.	- 8,88.21		
	11,30.68	11,30.66	- 0.02
₹ 8,88.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[05] परियोजना निर्माण			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00		
		..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटराइजेशन पर कम व्यय तथा भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[10] वनबन्धु कल्याण की योजनाओं का क्रियांवयन हेतु अनुदान			
मू.	10,50.00	..	..
पु.	- 10,50.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 10,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	13,24.16	9,58.79	9,58.79
पु.	- 3,65.37		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,65.37 लाख का प्रावधान आश्रम छात्रावासों के संचालन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	4,20.00	1,95.71	1,95.71
पु.	- 2,24.29		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,24.29 लाख का प्रावधान बेरोजगारी भत्ता के लिए लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	2,80.00	70.38	70.38
पु.	- 2,09.62		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,09.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02. समाज कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से [07] मिशन ग्राम्य शक्ति	मू. 2,50.00 पु. - 2,50.00	..	..
₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> को लागू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा [11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	मू. 59,50.30 पु. - 4,75.91	54,74.39	54,02.62 - 71.77
31 मार्च 2017 को ₹ 4,75.91 लाख का प्रावधान (i) <i>इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन</i> के लिए अनुमानों के विपरीत आवेदनों की कम स्वीकृति, (ii) भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनरों का उनके द्वारा बताये गये पते पर उपलब्ध नहीं होने तथा (iii) पेंशनरों की मृत्यु के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 71.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना [03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	मू. 59,40.00 पु. - 3,66.01	55,73.99	55,44.51 - 29.48
31 मार्च 2017 को ₹ 3,66.01 लाख का प्रावधान (i) <i>मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना</i> के लिए अनुमानों के विपरीत आवेदनों की कम स्वीकृति, (ii) भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनरों का उनके द्वारा बताये गये पते पर उपलब्ध नहीं होने तथा (iii) पेंशनरों की मृत्यु के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 29.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना [03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	मू. 29,70.00 पु. - 4,48.15	25,21.85	25,04.22 - 17.63
31 मार्च 2017 को ₹ 4,48.15 लाख का प्रावधान (i) <i>मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना</i> के लिए अनुमानों के विपरीत आवेदनों की कम स्वीकृति, (ii) भौतिक सत्यापन की कमी/पेंशनरों का उनके द्वारा बताये गये पते पर उपलब्ध नहीं होने तथा (iii) पेंशनरों की मृत्यु के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 17.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	7,78.33		
पु.	- 4,14.23	3,64.10	3,64.10
₹ 4,14.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	4,60.00		
पु.	- 3,34.92	1,25.08	1,25.08
₹ 4,60.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,34.92 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) पॉलीप्रोपलीन कैमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों का प्रकोप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने तथा (iii) पम्प सेट पर अनुदान केवल उन कृषकों को जारी की गयी जिनके पास फार्म पोण्ड है परिणामस्वरूप अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	30,00.00		
पु.	- 14,23.59	15,76.41	15,76.41
₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, बायोफर्टिलाइजर वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			..
31 मार्च 2017 को ₹ 14,23.59 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने, (ii) दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित बीज का कम वितरण, (iii) पॉलीप्रोपलीन कैमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों के प्रकोप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (iv) फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम में अन्य योजनाओं की तुलना में कम मात्रा में अनुदान के कारण लाभार्थी किसानों की संख्या कम रहने, (v) पम्प सेट पर अनुदान केवल उन कृषकों को जारी की गयी जिनके पास फार्म पोंड है परिणामतः कम अनुदान जारी की गयी तथा (vi) वित्त विभाग द्वारा किराये पर वाहन की स्वीकृति नहीं जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	7,54.29	2,06.47	2,06.47
पु.	- 5,47.82		..
₹ 7,54.29 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध संरक्षण उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, मोटे अनाजों का प्रदर्शन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2017 को ₹ 5,47.82 लाख का प्रावधान (i) बाजरा, ज्वार, मक्का एवं जौ बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित एवं संकर बीजों का कम वितरण, (ii) बीजों की कम उपलब्धता को देखते हुए मक्का फसल प्रदर्शन का कम आयोजन तथा (iii) क्लस्टर प्रदर्शन में प्रति इकाई कम लागत के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	35,45.93	32,41.42	32,41.43
पु.	- 3,04.51		+ 0.01
₹ 3,04.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कृषि पर्यवेक्षकों के 186 पदों तथा सहायक कृषि अधिकारियों के 52 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में गैर कृषि योग्यता प्राप्त कृषि पर्यवेक्षकों को 1998 से बकाया के भुगतान हेतु निधियां अनुमानित की गयी, का कुछ विभागों द्वारा आहरण नहीं करने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	12,84.92	4,24.87	4,24.87
पु.	- 8,60.05		..
31 मार्च 2017 को ₹ 8,60.05 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	27,68.21	4,79.28	4,79.28
पु.	- 22,88.93		..
₹ 27,68.21 लाख का प्रावधान जल बचाने एवं अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई योजना को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 22,88.93 लाख का प्रावधान कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनजातीय कृषकों के लिए कोई विशेष अनुदान तय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	18,19.80	3,49.71	3,49.71
पु.	- 14,70.09		

₹ 18,19.80 लाख का प्रावधान सोलर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 14,70.09 लाख का प्रावधान लघु खेतिहर भूमि किसानों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(57) मिशन फॉर लिवलिहुड

मू.	13,35.00	6,07.50	6,07.50
पु.	- 7,27.50		

31 मार्च 2017 को ₹ 7,27.50 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना

मू.	32,27.00	3,17.34	3,17.34
पु.	- 29,09.66		

31 मार्च 2017 को ₹ 29,09.66 लाख का प्रावधान (i) परियोजना की पुनर्संरचना में विलम्ब क्योंकि विश्व बैंक, राज्य सरकार तथा भारत सरकार के बीच परियोजना के लिए परियोजना में पुनरीक्षण तथा वित्तीय संविदा के अगस्त 2016 में हस्ताक्षर होने, (ii) परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न खरीद में देरी के कारण परियोजना गतिविधियों को लागू होने में देरी तथा (iii) विभिन्न गतिविधियों जैसे नहरों के सुदृढीकरण, जल संग्रहण विकास, सतही जल प्रबन्धन तथा सोलर पम्प की क्रियान्विति नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)  
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	51,10.00	21,31.48	21,31.47	- 0.01
पु.	- 29,78.52			

₹ 29,78.52 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप निधियां प्राथमिकता एवं आवश्यकता के अनुसार जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(72) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन  
[01] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन

मू.	5,27.85	3,02.85	3,02.85
पु.	- 2,25.00		

31 मार्च 2017 को ₹ 2,25.00 लाख का प्रावधान (i) बीज उत्पादन कार्यक्रम में अनुसूचित जनजातीय कृषकों द्वारा कम रुचि दिखाने के कारण अनुदान कम जारी किया गया तथा (ii) चम्बल तथा आर.एल.डी.सी. के बन्द होने के कारण जिप्सम की आपूर्ति 4 संस्थानों में से केवल 2 जिप्सम परिवहन तथा वितरण संस्थानों द्वारा ही किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	7,20.01	..	..
पु.	- 7,20.01	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[03] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	22,28.01	..	..
पु.	- 22,28.01	..	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 29,48.02 लाख का प्रावधान जल संसाधन, जल ग्रहण तथा भू संरक्षण, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए अनुमानित था। यद्यपि, उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 29,48.02 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित विभागों को वर्तमान में उनके लेखा शीर्षों के अन्तर्गत निधियों को सीधे ही जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[04] भू संरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से			
मू.	35,59.01	12,83.00	12,83.00
पु.	- 22,76.01		..
31 मार्च 2017 को ₹ 22,76.01 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	25,68.63	8,39.97	8,39.93
पु.	- 17,28.66		- 0.04
31 मार्च 2017 को ₹ 17,28.66 लाख का प्रावधान मुख्यतः दवाओं तथा औषधियों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[29] पशुधन नस्ल सुधार योजना हेतु अनुदान			
मू.	3,69.28	..	..
पु.	- 3,69.28	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,69.28 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
अदर इंटरवेंशन			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	13,48.00	..	..
पु.	- 13,48.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 13,48.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	59,40.00	52,92.00	..
पु.	- 6,48.00	52,92.00	..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,48.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	84,92.39	67,56.67	..
पु.	- 17,35.72	67,56.67	..
31 मार्च 2017 को ₹ 17,35.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान			
मू.	23,62.00	5,17.39	..
पु.	- 18,44.61	5,17.39	..
31 मार्च 2017 को ₹ 18,44.61 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना			
[02] अनुदान			
मू.	12,66.67	72.47	72.47
पु.	- 11,94.20		..

31 मार्च 2017 को ₹ 11,94.20 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इंदिरा आवास योजना			
[02] अनुदान (राज्यांश)			

मू. 6,48,10.20

72,83.18

72,83.18

..

पु. - 5,75,27.02

₹ 6,48,10.20 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में नये मकानों के निर्माण/मकानों के उन्नयन के लिए चयनित आश्रय रहित बी.पी.एल. परिवारों को एक मुश्त वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित किया गया था।

यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 5,75,27.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			

मू. 6,08,00.00

2,68,53.70

2,68,53.70

..

पु. - 3,39,46.30

31 मार्च 2017 को ₹ 3,39,46.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,59,17.39 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 80,28.91 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

60. अन्य कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) स्टेट बी.पी.एल. परिवार हेतु आवास			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			

मू. 6,30.00

2,95.40

2,95.40

..

पु. - 3,34.60

31 मार्च 2017 को ₹ 3,34.60 लाख का प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभान्वित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु (राज्यांश)			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	5,61.85	3,00.00	3,00.00
पु.	- 2,61.85		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,61.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(16) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप /गतिविधियां			
मू.	5,76.10	..	..
पु.	- 5,76.10		
31 मार्च 2017 को ₹ 5,76.10 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,71,44.40	1,18,50.40	1,18,50.40
पु.	- 1,52,94.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,52,94.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,86.30	..	..
पु.	- 1,86.30		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,86.30 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(23) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	9,93.60	3,56.90	3,56.90
पु.	- 6,36.70		
31 मार्च 2017 को ₹ 6,36.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई 27. माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) यूनिट-II (नहर)			
मू.	15,59.83		
पु.	- 2,62.21	12,97.62	12,96.79
			- 0.83
₹ 2,62.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 103 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 49 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) कार्यभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कर्मचारियों के पदों को समाप्त किये जाने के कारण मजदूरी पर कम व्यय हुआ क्योंकि कार्यभारित कर्मचारियों का संवर्ग डाइंग केडर है, को आरोपित की गयी।			
2702. लघु सिंचाई 01. सतही जल 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम [01] मुख्य अभियंता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से			
मू.	10,20.00		
पु.	- 9,42.79	77.21	77.21
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 9,42.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (03) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतिकरण [01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	3,37.15		
पु.	- 2,48.25	88.90	88.90
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,48.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान 01. भारतीय सर्वेक्षण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क			
मू.	3,75.38		
पु.	- 3,75.38	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,75.38 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [03] जिला कार्यालय			
मू.	14,24.34		
पु.	- 6,30.63	7,93.71	7,93.72
			+ 0.01
₹ 6,30.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	3,10.21	..	..
पु.	- 3,10.21		

31 मार्च 2017 को ₹ 3,10.21 लाख का समस्त प्रावधान स्टेट डाटा सेन्टर के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[12] स्वान होरीजेंटल

मू.	6,62.38	4,58.64	4,58.64	..
पु.	- 2,03.74			

31 मार्च 2017 को ₹ 2,03.74 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराइजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(05) भामाशाह योजना, 2014  
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	38,15.88	29,15.84	29,15.84	..
पु.	- 9,00.04			

31 मार्च 2017 को ₹ 9,00.04 लाख का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा मनरेगा के तहत मजदूरी के लेने देन पर बैंकों का कमीशन तय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3456. सिविल पूर्ति  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना  
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना

मू.	10,79.04	8,39.91	8,39.91	..
पु.	- 2,39.13			

31 मार्च 2017 को ₹ 2,39.13 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अंत्योदय परिवारों को खाद्य का संग्रहण एवं परिवहन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य			
मू.	2,43.02	..	..
पु.	- 2,43.02	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,43.02 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[03] विकास कार्य			
मू.	2,56.63	..	..
पु.	- 2,56.63	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,56.63 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	74.12	3,12.00	..
पु.	2,37.88	3,12.00	..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,37.88 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्याज अनुदान के दावे अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	15,13.50	17,17.12	..
पु.	2,03.62	17,17.12	..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,03.62 लाख अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	15,43.00	17,37.76	17,33.71
पु.	1,94.76		
			- 4.05
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,94.76 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	15,14.04	18,09.23	18,09.22
पु.	2,95.19		
			- 0.01
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,95.19 लाख की अतिरिक्त निधियां खाली पदों को भरने के पश्चात् वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं -अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-राज्यांश राशि			
मू.	4,80.00	8,00.00	8,00.00
पु.	3,20.00		
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,20.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वार्षिक कार्य योजना 2016-17 के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	30,26.00	33,41.68	33,41.68
पु.	3,15.68		
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,15.68 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	14,84.40	23,44.87	23,44.87
पु.	8,60.47		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,60.47 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	70,08.88	84,23.62	84,23.62
पु.	14,14.74		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,14.74 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	30,34.32	40,97.56	40,97.56
पु.	10,63.24		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,63.24 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोगना			
मू.	0.02	8,53.94	8,53.94
पु.	8,53.92		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,53.92 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[57] विभागीय योजनाओं का सर्वे एवं मूल्यांकन			
मू.	0.01		
पु.	5,89.37	5,89.38	5,89.38 ..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,89.37 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[28] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
अ.	0.01		
पु.	6,34.67	6,34.68	6,34.68 ..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,34.67 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय-जन जाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	84,26.60		
पु.	7,10.41	91,37.01	91,36.37 - 0.64
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,10.41 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों, प्रोत्साहन तथा मानदेय पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुत्थान हेतु सहायता			
[01] जनजाति क्षेत्र के मंदिर			
अ.	0.01		
पु.	4,58.55	4,58.56	4,58.56 ..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,58.55 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से <i>बेनेश्वर धाम मंदिर</i> के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(28) फसल बीमा (50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयंश)			
मू.	1,01,45.02		
अ.	0.02	1,57,57.42	1,57,57.41
पु.	56,12.38		- 0.01
₹ 1,01,45.02 लाख का प्रावधान खरीफ फसल 2016 से राज्य के किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56,12.38 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) बीमित राशि में वृद्धि क्योंकि जिलेवार फसलवार बीमित राशि का निर्धारण जिलेवार गत तीन वर्षों के औसत उत्पादन को भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये समर्थन मूल्य के आधार पर किये जाने तथा (ii) अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टरवार, जिलेवार, फसलवार प्रदान की गई प्रीमियम दरों में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[09] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के माध्यम से			
मू.	15.00		
पु.	1,51.11	1,66.11	1,66.11
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,51.11 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[10] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के माध्यम से			
मू.	55.00		
पु.	1,72.00	2,27.00	2,27.00
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,72.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैड फण्डेड)(एम पावर)			
मू.	4,10.00		
पु.	1,70.40	5,80.40	5,80.40
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,70.40 लाख की अतिरिक्त निधियां गोट क्लस्टर एवं खेती समूह के कार्यों के लिए दो नए ब्लॉक्स के लिए आजीविका गतिविधियों की स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[28] खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	5,31.95		
		8,24.10	8,24.06
पु.	2,92.15		- 0.04

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,92.15 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(04) गोपालन विभाग  
[01] गौ-शालाओं को अनुदान

मू.	0.01		
		12,57.01	12,57.01
पु.	12,57.00		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 12,57.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम  
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट  
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी

मू.	0.01		
		3,26.74	3,26.74
पु.	3,26.73		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,26.73 लाख की अतिरिक्त निधियां सूक्ष्म स्टोरेज टैंकों के जलग्रहण उपचार और प्रतिबद्ध देनदारियों का भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(08) ग्रामीण आजीविका परियोजना  
[02] अनुदान

मू.	8,08.00		
		10,74.66	10,74.66
पु.	2,66.66		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,66.66 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)			
अ .	0.01		
		3,12,78.39	3,12,78.39
पु .	3,12,78.38		..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,12,78.38 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12%)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	49,68.32		
		72,17.60	72,17.60
पु .	22,49.28		..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,49.28 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू .	60,00.00		
		79,80.00	79,80.00
पु .	19,80.00		..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,80.00 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के कार्यान्वयन और वर्तमान योजनाओं के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू .	8,42.00		
		12,20.40	12,20.40
पु .	3,78.40		..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,78.40 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पर्यटन के विकास के लिए प्रचार द्वारा अग्रेसिव मार्केटिंग पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	54.00		
पु.	2,56.00	3,10.00	3,10.00

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,56.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतिम से अंतिम तक सूचना प्रौद्योगिकीकरण के लिए पॉइन्ट ऑफ सेल मशीन वाजिब कीमत वाली दुकानों के लिए राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर को बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) सिविल पूर्ति योजना  
[09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना

मू.	0.01	3,88.00	3,88.00	..
पु.	3,87.99			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,87.99 लाख की अतिरिक्त निधियां गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय परिवारों के लिए शक्कर की दरें ₹ 13.50 प्रति कि.ग्रा. से ₹ 10.00 प्रति कि.ग्रा. कमी के पश्चात् अन्तर राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना  
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु

मू.	44,57.79	48,68.47	48,68.47	..
पु.	4,10.68			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,10.68 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्य के संग्रहण और परिवहन पर गत वर्ष की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 13,93.26 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 13,93.22 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 3,34,35.00 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,30.57 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) पुलिस आवास			
[02] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	6,75.00	..	..
पु.	- 6,75.00		

31 मार्च 2017 को ₹ 6,75.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,12.45	1,72.05	1,72.05
पु.	- 3,40.40		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,40.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	8,98.23	6.00	6.00
पु.	- 8,92.23		..
31 मार्च 2017 को ₹ 8,92.23 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	8,13.07	..	..
पु.	- 8,13.07		..
31 मार्च 2017 को ₹ 8,13.07 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) न्यायिक भवन (जनजाति क्षेत्र उपयोगना)			
मू.	23,02.65	5,61.37	5,59.13
पु.	- 17,41.28		- 2.24
31 मार्च 2017 को ₹ 17,41.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) सामान्य भवन (आबकारी विभाग)			
मू.	3,02.07	27.58	27.58
पु.	- 2,74.49		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,74.49 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	17,74.12		
पु.	- 3,35.81	14,38.31	14,38.31

31 मार्च 2017 को ₹ 3,35.81 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महाविद्यालय शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	15,26.55	4,14.74	4,13.10
पु.	- 11,11.81		- 1.64

31 मार्च 2017 को ₹ 11,11.81 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	8,13.64	6,01.00	6,01.00
पु.	- 2,12.64		

31 मार्च 2017 को ₹ 2,12.64 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	30,00.00	15,76.50	15,76.50
पु.	- 14,23.50		

31 मार्च 2017 को ₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत नये स्वास्थ्य उप केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 14,23.50 लाख की राशि कार्यकारी अभिकरण द्वारा निर्माण कार्यों के लिए निविदाओं की तकनीकी प्रक्रिया समय पर निष्पादित नहीं किये जाने तथा अन्य तकनीकी कारणों से कार्यों की धीमी गति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	15,00.00	3,27.70	3,27.70
पु.	- 11,72.30		..

₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत नये सामुदायिक केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 11,72.30 लाख की राशि कार्यकारी अभिकरण द्वारा निर्माण कार्यों के लिए निविदाओं की तकनीकी प्रक्रिया समय पर निष्पादित नहीं किये जाने तथा अन्य तकनीकी कारणों से कार्यों की धीमी गति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय  
समूह, जयपुर

मू.	5,75.29	1,90.42	1,90.42	..
पु.	- 3,84.87			

31 मार्च 2017 को ₹ 3,84.87 लाख का प्रावधान कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा  
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय  
समूह, उदयपुर

मू.	11,76.50	..	..	..
पु.	- 11,76.50			

31 मार्च 2017 को ₹ 11,76.50 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा  
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय  
समूह, बीकानेर

मू.	9,40.31	2,00.00	2,00.00	..
पु.	- 7,40.31			

31 मार्च 2017 को ₹ 7,40.31 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,40.30 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	82,22.10		
पु.	- 65,25.39	16,96.71	16,81.43
			- 15.28
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[04] बीसलपुर-दूदू जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	19,88.67		
पु.	- 19,34.03	54.64	54.64
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[24] डीग जल पूर्ति योजना			
मू.	8,05.40		
पु.	- 7,58.53	46.87	46.87
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[32] निवाई एवं टोक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	16,03.46		
पु.	- 9,92.98	6,10.48	6,10.48
			..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,02,10.93 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
शीर्ष "4215-01-796(01) [01]" के अंतर्गत ₹ 15.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[34] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-बी (68 गांवों की कलस्टर योजना)			
मू.	12,28.45		
पु.	- 10,66.76	1,61.69	1,61.69
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[38] गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	24,01.68		
पु.	- 20,58.62	3,43.06	3,43.06
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[41] बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसु, फागी एवं बस्सी			
मू.	74,89.94		
पु.	- 35,04.40	39,85.54	39,85.54
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[48] बांसवाडा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	18,17.97		
पु.	- 9,77.71	8,40.26	8,40.26
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[59] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	19,80.78		
पु.	- 14,22.51	5,58.27	5,58.27
01. जलपूर्ति			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[71] आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	44,72.42		
पु.	- 35,53.56	9,18.86	9,18.86
01. जलपूर्ति			..

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,25,83.56 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[02] 2215- जल पूर्ति और सफाई 01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिये संधारण-प्रतिशतता व्यय (ओ.एण्ड एम.)			
मू.	36,50.90		
पु.	- 4,00.00	32,50.90	32,50.90
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[10] नर्मदा जलप्रदाय योजना (एफ.आर.) (नाबार्ड)			
मू.	3,51.26		
पु.	- 2,08.96	1,42.30	1,42.30
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-प्रथम			
मू.	5,53.51		
पु.	- 3,04.10	2,49.41	2,49.41
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[27] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2			
मू.	3,85.60		
पु.	- 3,01.13	84.47	84.47
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	6,07.51		
पु.	- 4,28.83	1,78.68	1,78.68
			..



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[35] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	2,02.51	..	..
पु.	- 2,02.51	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[37] ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	6,41.50	..	..
पु.	- 6,41.50	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[45] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	4,70.01	4.12	..
पु.	- 4,65.89	4.12	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[47] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	7,88.70	4,55.08	..
पु.	- 3,33.62	4,55.08	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[51] नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	4,70.01	1,17.50	..
पु.	- 3,52.51	1,17.50	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[54] नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जल पूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	6,05.01	3,15.07	..
पु.	- 2,89.94	3,15.07	..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[55] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से बावड़ीकलां खारा एवं जलोडा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	11,42.41		
		6,22.56	6,22.56
पु.	- 5,19.85		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[56] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से घटोर, कानासर एवं बाप जलपूर्ति परियोजना			
मू.	5,50.36		
		2,68.45	2,68.45
पु.	- 2,81.91		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[60] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	11,84.59		
		4,99.02	4,97.61
पु.	- 6,85.57		- 1.41
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[70] राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड, जिला झालावाड			
मू.	3,37.50		
		1,42.58	1,42.58
पु.	- 1,94.92		..
उपरोक्त चौदह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 52,11.24 लाख का प्रावधान कार्य निष्पादन कम/नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	15,50.00		
		9,14.45	9,14.45
पु.	- 6,35.55		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	2,02.50	..	..
पु.	- 2,02.50	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II			
मू.	27,00.00	20,70.07	..
पु.	- 6,29.93	20,70.07	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[24] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय योजना (शहरी)			
मू.	2,02.50	28.98	..
पु.	- 1,73.52	28.98	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[52] पुनरुद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ़ कस्बे की			
मू.	5,40.00	1,22.18	..
पु.	- 4,17.82	1,22.18	..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 20,59.32 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	12,15.00	5,00.17	..
पु.	- 7,14.83	5,00.17	..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,14.83 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	3,37.50		
पु.	- 2,03.20	1,34.30	1,34.30
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,03.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	20,25.00		
पु.	- 15,07.18	5,17.82	5,17.82
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 15,07.18 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	82,87.90		
पु.	- 48,93.58	33,94.32	33,94.32
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 48,93.58 लाख का प्रावधान अमृत योजनान्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	25,87.30		
पु.	- 20,03.59	5,83.71	5,83.71
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 20,03.59 लाख का प्रावधान राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत योजनान्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] नहरों का सुदृढीकरण			
मू.	11,00.00		
		7,72.00	7,72.00
पु.	- 3,28.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,28.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	5,00.00		
		..	..
पु.	- 5,00.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[04] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	5,00.00		
		..	..
पु.	- 5,00.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू.	2,50.00		
		..	..
पु.	- 2,50.00		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[08] जनजाति भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	4,00.00	..	..
पु.	- 4,00.00	..	..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 16,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड-पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू.	9,00.00	2,02.95	2,02.95
पु.	- 6,97.05	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,97.05 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,10.48 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,86.57 लाख ) किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[18] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	13,35.81	..	..
पु.	- 13,35.81	..	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 23,35.81 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[16] बाउण्ड्रीवॉल निर्माण तथा मरम्मत			
मू.	5,00.00	..	..
पु.	- 5,00.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[04] बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	2,50.00	..	..
पु.	- 2,50.00	..	..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[03] जन जाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	2,50.00	..	..
पु.	- 2,50.00	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] जनजाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	32,79.47	19,40.84	19,40.84
पु.	- 13,38.63		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[29] छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य			
मू.	15,81.73	4,64.51	4,64.51
पु.	- 11,17.22		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 24,55.85 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[21] पब्लिक स्कूल भवन निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 10,00.00	5,99.96	5,99.96	..
पु. - 4,00.04			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[22] आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 5,00.00	..	..	..
पु. - 5,00.00			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 9,00.04 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय कम/ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू. 6,00.00	..	..	..
पु. - 6,00.00			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[06] वनबन्धु कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन			
मू. 4,50.00	..	..	..
पु. - 4,50.00			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 10,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	6,30.02	..	..
पु.	- 6,30.02	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,30.02 लाख का प्रावधान 48 अनुसूचित जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 6,30.02 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाये जाने बाबत कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[04] नाबार्ड सहायतान्तर्गत अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन का निर्माण			
मू.	1,56.28	4.76	..
पु.	- 1,51.52	4.76	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,51.52 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) आंगनवाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	10,07.50	4,43.50	..
पु.	- 5,64.00	4,43.50	..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,64.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय कम के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र तथा उपकरण			
मू.	10,05.52	4,04.79	..
पु.	- 6,00.73	4,04.79	..
₹ 10,05.52 लाख का प्रावधान महानिदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित नये पाठ्यक्रम के अनुसार नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मशीनरी एवं उपकरण की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 6,00.73 लाख की राशि (i) खरीद आदेश जारी होने के बाद भी फर्मों द्वारा औजार एवं संयंत्र की आपूर्ति कम/नहीं किये जाने तथा (ii) संस्थानों से बिल प्राप्त नहीं हुए जहाँ फर्मों द्वारा मार्च के अन्तिम सप्ताह में आपूर्ति की गयी, के कारण अभ्यर्पित की गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	24,97.88		
		8,05.69	8,05.69
पु.	- 16,92.19		..

₹ 24,97.88 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 16,92.19 लाख की राशि (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन किये जाने, (ii) निर्माण अभिकरण का देरी से निर्धारण तथा (iii) नियम के अनुसार भूमि के आवंटन में देरी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण  
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	1,99.83		
		10.31	10.31
पु.	- 1,89.52		..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,89.52 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन किए जाने तथा अन्य अभिकरणों जैसे, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम द्वारा किये गये कार्यों पर कोई अलग से प्रतिशतता व्यय के दावे नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप प्रतिशतता व्यय का कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) तीर्थ यात्रियों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य  
[90] निर्माण कार्य

मू.	4,94.48		
		..	..
पु.	- 4,94.48		..

31 मार्च 2017 को ₹ 4,94.48 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)  
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से

मू.	5,00.00		
		..	..
पु.	- 5,00.00		..

31 मार्च 2017 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप निधियां प्राथमिकता तथा आवश्यकता के अनुसार जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	6,75.00		
पु.	- 3,57.24	3,17.76	3,17.76
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,57.24 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप निधियां प्राथमिकता तथा आवश्यकता के अनुसार जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	14,15.00		
पु.	- 5,29.10	8,85.90	8,85.90
			..
₹ 14,15.00 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा किसान सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 5,29.10 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा समस्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू.	8,10.00		
पु.	- 2,03.00	6,07.00	6,07.00
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,03.00 लाख का प्रावधान <i>मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान</i> के अन्तर्गत कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	5,50.68		
पु.	- 4,79.50	71.18	71.18
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[02] बांई मुख्य नहर			
मू.	2,95.00		
		38.08	38.08
पु.	- 2,56.92		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 7,36.42 लाख का प्रावधान संवेदकों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00		
		3,64.01	3,64.01
पु.	- 6,35.99		..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,35.99 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] नहरों के सुदृढीकरण			
मू.	21,66.00		
		1,44.44	1,44.44
पु.	- 20,21.56		..
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) माही नहरी तंत्र का उन्नयन/पुनर्जीवीकरण/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	20,00.00		
		9,28.83	9,28.34
पु.	- 10,71.17		- 0.49

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 30,92.73 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	42,52.75	35,73.38	35,19.62
पु.	- 6,79.37		
₹ 6,79.37 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			- 53.76
₹ 53.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[03] राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
मू.	17,33.95	15,17.96	15,17.96
पु.	- 2,15.99		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,15.99 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00	2,64.91	2,62.16
पु.	- 2,35.09		
₹ 2,35.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			- 2.75
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	12,55.00	9,48.92	8,95.24
पु.	- 3,06.08		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 5,41.17 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 53.68

शीर्ष "4702-796-(04)[01]" के अंतर्गत ₹ 53.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(13) जल संग्रहण संरचना (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	7,00.00	..	..
पु.	- 7,00.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 7,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर, अजमेर)			
मू.	2,54.77	27.26	27.26
पु.	- 2,27.51		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,27.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	50,70.00	29,18.37	29,18.37
पु.	- 21,51.63		..
31 मार्च 2017 को ₹ 21,51.63 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटरी संसाधनों की कम आवश्यकता के परिणामस्वरूप अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	20,74.03	9,53.53	9,53.53
पु.	- 11,20.50		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	20,19.02		
		9,39.51	9,39.51
पु.	- 10,79.51		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 22,00.01 लाख का प्रावधान क्रमशः राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर तथा जोधपुर द्वारा आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटरी संसाधनों की कम आवश्यकता के परिणामस्वरूप अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	13,81.96		
		7,63.06	7,63.06
पु.	- 6,18.90		..

31 मार्च 2017 को ₹ 6,18.90 लाख का प्रावधान अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटरी संसाधनों की कम आवश्यकता के परिणामस्वरूप अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	14,00.00		
		2,60.71	2,60.71
पु.	- 11,39.29		..

₹ 14,00.00 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 11,39.29 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	4,50.00	..	..
पु.	- 4,50.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 4,50.00 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु मशीनरी एवं उपकरण की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इन सामानों की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 को ₹ 4,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित			
[03] खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	13,99.94	..	..
पु.	- 13,99.94		
31 मार्च 2017 को ₹ 13,99.94 लाख का प्रावधान वन विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों में पौधारोपण तथा निर्माण कार्यों के द्वारा पर्यावरणीय सुधारों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2017 को ₹ 13,99.94 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 99.94 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 13,00.00 लाख) किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	7,76.55	2,58.12	2,58.12
पु.	- 5,18.43		..
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	7,76.55	4,42.03	4,42.03
पु.	- 3,34.52		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 8,52.95 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	26,28.33	2,00.46	2,00.46
पु.	- 24,27.87		..
31 मार्च 2017 को ₹ 24,27.87 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,10.26	16.04	16.04
पु.	- 1,94.22		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,94.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	2,31.23	80.83	46.01
पु.	- 1,50.40		- 34.82
31 मार्च 2017 को ₹ 1,50.40 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 34.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-1(ए.डी.बी.)			
मू.	89,46.90	11.44	11.44
पु.	- 89,35.46		..
31 मार्च 2017 को ₹ 89,35.46 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-11 (विश्व बैंक)			
मू.	23,85.84	..	..
पु.	- 23,85.84		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- III (जायका)			
मू.	11,92.92	..	..
पु.	- 11,92.92		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 35,78.76 लाख का प्रावधान परियोजना की शुरुआत नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[09] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतितम्)			
मू.	9,54.34	4,53.04	4,04.97
पु.	- 5,01.30		- 48.07
31 मार्च 2017 को ₹ 5,01.30 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा ₹ 48.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[10] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतितम्)			
मू.	64,41.77	39,14.47	39,33.10
पु.	- 25,27.30		+ 18.63
31 मार्च 2017 को ₹ 25,27.30 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा ₹ 18.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,55,30.97	87,06.87	86,39.28
पु.	- 68,24.10		- 67.59
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	25,08.86	16.00	16.00
पु.	- 24,92.86		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 93,16.96 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
शीर्ष "5054-04-796(07)" के अंतर्गत ₹ 67.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,00.70	1.28	1.28
पु.	- 1,99.42		..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,99.42 लाख का प्रावधान कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	16,18.14	5,41.32	5,41.24
पु.	- 10,76.82		- 0.08

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें )			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	31,47.80	12,92.24	12,87.45
पु.	- 18,55.56		- 4.79

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 29,32.38 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें )			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	11,80.47	4,84.59	4,82.79
पु.	- 6,95.88		- 1.80

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें )			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	7,86.97	3,23.06	3,21.86
पु.	- 4,63.91		- 1.20

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 11,59.79 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	11,99.57	2,60.51	2,60.51
पु.	- 9,39.06		..
31 मार्च 2017 को ₹ 9,39.06 लाख का प्रावधान (i) मेवाड़ कॉम्प्लेक्स चरण- II के लिए कार्यकारी अभिकरण के रूप में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निधियों की कम मांग, (ii) मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में विकास कार्य के लिए कार्यकारी अभिकरण के रूप में राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम द्वारा निधियों की कम मांग, (iii) ईको पर्यटन, बर्ड पार्क, उदयपुर के लिए वन विभाग द्वारा कार्यकारी अभिकरण तय करने में देरी, (iv) जयसमन्द झील, उदयपुर में फ्लोटिंग मरीना के संचालन के लिए उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण निविदाओं को निरस्त किये जाने तथा (v) सज्जनगढ़ महल, उदयपुर में एल ई डी लाइट तथा गंगेश्वर महादेव, प्रतापगढ़ के विकास के लिए वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[09] ई-मित्र			
मू.	2,38.33	..	..
पु.	- 2,38.33		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,38.33 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी. आई. एस.			
मू.	9,23.77	3,35.22	3,35.22
पु.	- 5,88.55		..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,88.55 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] ई-डिस्ट्रिक्ट			
मू.	3,77.57	..	..
पु.	- 3,77.57		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,77.57 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	14,00.00	3,16.59	3,16.59
पु.	- 10,83.41		..
31 मार्च 2017 को ₹ 10,83.41 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] सम्पर्क केन्द्र ऑपरेशन			
मू.	3,33.00	..	..
पु.	- 3,33.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,33.00 लाख का समस्त प्रावधान कम्प्यूटराइजेशन पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
मू.	1,00,18.24	88,51.10	88,51.10
पु.	- 11,67.14		..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
मू.	77,50.84	68,47.93	68,47.93
पु.	- 9,02.91		..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
मू.	78,80.92	69,61.23	69,61.23
पु.	- 9,19.69		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 29,89.74 लाख का प्रावधान जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय सुदृढीकरण के लिए सुधारों को लागू करने के लिए विश्व बैंक से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	28,51.24	1,27.49	1,27.49
पु.	- 27,23.75		..
31 मार्च 2017 को ₹ 27,23.75 लाख का प्रावधान राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	6,00.00	15,75.00	15,75.00
पु.	9,75.00		
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,75.00 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड के तहत नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकरणों को भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[05] चुरू-झुन्झुनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (ई.ए.पी.)			
मू.	3,37.51	21,87.75	21,87.75
पु.	18,50.24		
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[15] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय योजना			
मू.	8,27.38	12,73.10	12,73.10
पु.	4,45.72		
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना			
मू.	30,55.01	37,15.01	37,15.01
पु.	6,60.00		
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[22] फत्तेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	5,40.01		
		8,00.40	8,00.40
पु.	2,60.39		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[49] बांसवाडा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना			
मू.	7,05.01		
		28,58.03	28,58.03
पु.	21,53.02		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[53] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
मू.	2,70.01		
		10,51.34	10,51.34
पु.	7,81.33		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[57] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	5,37.51		
		10,03.83	10,03.83
पु.	4,66.32		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[58] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	2,70.01		
		13,14.73	13,14.73
पु.	10,44.72		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[68] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	2,92.91		
पु.	13,63.44	16,56.35	16,56.35
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[74] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट-बी			
अ.	0.01	8,52.64	8,52.64
पु.	8,52.63		
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 98,77.81 लाख की अतिरिक्त निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[14] चम्बल भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना			
मू.	9,07.47	14,07.47	14,07.47
पु.	5,00.00		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[37] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	1,52.46	4,90.44	4,90.44
पु.	3,37.98		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	0.01	4,19.75	4,19.75
पु.	4,19.74		



**अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं (एन.सी.आर.पी.बी.)			
मू.	6,60.00		
पु.	4,73.16	11,33.16	10,84.61
			- 48.55
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[47] जवाई, पाली पाईपलाईन परियोजना फेज-द्वितीय पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	1,48.50		
पु.	2,21.50	3,70.00	3,70.00
			..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,52.38 लाख की अतिरिक्त निधियां शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
शीर्ष "4215-01-796(02) [44] " के अंतर्गत ₹ 48.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन			
मू.	0.02		
पु.	14,06.36	14,06.38	14,06.38
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,06.36 लाख की अतिरिक्त निधियां जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	20,38.99	20,39.00	20,39.00
			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[03] जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरूत्थान			
मू .	4,23.00		
		11,68.00	11,68.00
पु .	7,45.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू .	16,50.00		
		22,00.00	22,00.00
पु .	5,50.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू .	10,00.00		
		23,05.50	23,05.50
पु .	13,05.50		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू .	5,95.24		
		19,60.09	19,60.09
पु .	13,64.85		..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[19] टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	10,00.00	19,21.60	19,21.60
पु.	9,21.60		..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 69,25.94 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[14] माँ-बाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण			
मू.	0.01	1,97.40	1,97.40
पु.	1,97.39		..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,97.39 लाख की अतिरिक्त निधियां माँ-बाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण कार्यों में त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	5,00.00	38,93.03	38,93.03
पु.	33,93.03		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[05] आश्रम छात्रावासों (छात्रा) का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	10,00.00	22,05.35	22,05.35
पु.	12,05.35		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,98.38 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	5,87.95		
पु.	9,92.05	15,80.00	15,80.00
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,92.05 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड चरण-III में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत चयनित गांवों के कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
अ.	0.01		
पु.	6,00.06	6,00.07	6,00.07
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,00.06 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	14,56.42		
पु.	9,76.32	24,32.74	24,32.70
			- 0.04
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,76.32 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/ उन्नयन / आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	3,25.00		
पु.	3,58.13	6,83.13	6,82.85
			- 0.28

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) लहसी परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	1,04.00	5,80.68	5,40.05
पु.	4,76.68		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,34.81 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			40.63
शीर्ष "4701-67-796(02)" के अंतर्गत ₹ 40.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] परियोजनाओं का पुनर्जीवनीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	3,20.00	6,54.76	6,50.16
पु.	3,34.76		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	33,56.10	70,95.34	70,90.40
पु.	37,39.24		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,74.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			- 4.60
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	69,30.00	1,03,05.00	1,03,05.00
पु.	33,75.00		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33,75.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में अंश पूंजी में निवेश छबड़ा सुपर थर्मल बिजली परियोजना को आगे निधियां जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन			
मू.	0.01		
पु.	6,67.49	6,67.50	..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,67.49 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	36,04.50		
पु.	55,39.21	91,43.71	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,08,00.00		
पु.	31,27.20	1,39,27.20	..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 86,66.41 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[25] विकास केन्द्र			
मू.	1,12.00		
पु.	3,24.10	4,36.10	..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेन्टर और नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर (नोक)			
मू.	5,60.00		
पु.	6,31.50	11,91.50	..

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] कमाण्ड और कन्ट्रोल सेंटर			
मू.	13,58.00		
पु.	18,94.91		
		32,52.91	32,52.91
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,50.51 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना प्रौद्योगिकी पर अधिक व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	24.00		
पु.	3,53.00		
		3,77.00	3,77.00
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 24.00 लाख का प्रावधान बजट में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में वर्ष के दौरान पंचायत समिति स्तर में 100 ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनों के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,53.00 लाख की अतिरिक्त निधियां डिसास्टर रिकवरी के लिए केन्द्रीयकृत भामाशाह डाटा हब के सृजन के लिए तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना मय डाटा बैक-अप स्थापना तथा आधारभूत रिकवरी हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
मू.	3,82,58.83		
पु.	1,89,44.46		
		5,72,03.29	5,72,03.29
			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
मू.	3,52,79.68		
अ.	13,93.17		
पु.	1,89,32.24		
		5,56,05.09	5,56,05.09
			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
मू.	3,62,60.23		
पु.	65,14.39		
		4,27,74.62	4,27,74.62
			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,43,91.09 लाख की अतिरिक्त निधियां उदय योजना के अंतर्गत बांड जारी करके राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विद्युत वितरण कंपनियों को ऋण जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 030 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम			
मू.	53,02.09	58,89.19	58,89.19
पु.	5,87.10		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,87.10 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।



अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

### अनुदान संख्या 032 - नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3456. सिविल पूर्ति और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर

पूंजीगत परिव्यय और

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,30,76,49			
अनुपूरक	45,66,07	3,76,42,56	3,69,75,37	- 6,67,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6,62,28
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	..	2	..	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,50,78			
अनुपूरक	..	4,50,78	33,50	- 4,17,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4,17,28

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

##### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 6,67.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गयी ₹ 45,66.07 लाख की राशि अत्यधिक थी।
- ₹ 6,67.19 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4.91 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(09) उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के आधुनिकीकरण			
मू.	3,50.75		
		33.50	33.50
पु.	- 3,17.25		..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,17.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

102. नागरिक आपूर्ति  
(11) भार एवं माप  
[01] उपभोक्ता मामलें

मू.	1,00.00		
		..	..
पु.	- 1,00.00		..

विधि प्रबन्ध विज्ञान प्रकोष्ठ का कार्य उपभोक्ता मामलात विभाग को 1 अक्टूबर 2016 को हस्तांतरित किया गया था। 31 मार्च 2017 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान पदों के सृजन, सेवा नियम तथा मशीनरी की पर्याप्त खरीद के अभाव के कारण अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 033 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और  
 2236. पोषण
- पूंजी - 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और  
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	45,63,64,01	47,85,93,33	45,21,83,64
अनुपूरक	2,22,29,32		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 2,64,09,69
<b>प्रभारित</b>			
मूल	50	75,75	75,65
अनुपूरक	75,25		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 10
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,04,31,62	2,04,31,63	1,46,46,77
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 57,84,86

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 2,22,29.32 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गयी ₹ 2,22,29.30 लाख की राशि अनावश्यक थी क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 2,64,09.69 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 22,40.21 लाख अनुभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

3. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,74,38.54 लाख, ₹ 2,00,06.06 लाख, ₹ 2,33,27.05 लाख, ₹ 8,08,08.91 लाख तथा ₹ 2,64,09.69 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.89 प्रतिशत से 13.89 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचतों के लिए विभिन्न कारण बताये गये।

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	88,80.47		
		66,16.09	66,15.71
पु.	- 22,64.38		- 0.38
₹ 22,64.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, छात्रावासों की मरम्मत तथा रखरखाव एवं खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(01) अनुसूचित जाति उप परियोजना			
मू.	60,00.00		
		12,43.94	12,43.93
पु.	- 47,56.06		- 0.01
₹ 47,56.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अनुदान (गैर संवेतन) कम जारी होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम तथा गतिविधियां			
मू.	37,67.40		
		32,63.04	32,63.03
पु.	- 5,04.36		- 0.01
₹ 5,04.36 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने तथा अनुदान (गैर संवेतन) कम जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	7,23.55	5,12.23	5,12.24
पु.	- 2,11.32		+ 0.01
₹ 2,11.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः खाद्य सामग्री पर कम व्यय तथा अनुदान (गैर संवेतन) कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत छात्रावासों का संचालन			
मू.	6,54.80	4,42.35	4,42.34
पु.	- 2,12.45		- 0.01
₹ 2,12.45 लाख की प्रत्याशित बचत छात्रावासों में खाद्य सामग्री पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्राथमिक शिक्षा विद्यालय)			
मू.	10,00.00	6,66.05	6,65.98
पु.	- 3,33.95		- 0.07
31 मार्च 2017 को ₹ 3,33.95 लाख का प्रावधान मुख्यतः छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति तथा वजीफा			
मू.	95,43.45	75,74.65	75,74.65
पु.	- 19,68.80		..
31 मार्च 2017 को ₹ 19,68.80 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,76.68 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 17,92.12 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू.	6,00.01	4,92.24	4,92.24
पु.	- 1,07.77		..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,07.77 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदनों के अपूर्ण/कम प्राप्त होने तथा बैंक द्वारा समय पर राशि स्वीकृत न करने से लाभार्थियों को भुगतान में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
102. बाल कल्याण  
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से  
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना

मू.	59,28.58	40,00.00	40,00.00	..
पु.	- 19,28.58			

31 मार्च 2017 को ₹ 19,28.58 लाख का प्रावधान अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. समाज कल्याण  
103. महिला कल्याण  
(05) महिला विकास कार्यक्रम  
[01] महिला विकास कार्यक्रम

मू.	5,77.92	4,58.76	4,58.16	- 0.60
अ.	0.01			
पु.	- 1,19.17			

₹ 1,19.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अनुदान (गैर संवेतन) कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. समाज कल्याण  
103. महिला कल्याण  
(05) महिला विकास कार्यक्रम  
[14] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स

मू.	5,20.00	3,85.00	3,85.00	..
पु.	- 1,35.00			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,35.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(20) मिशन ग्राम्य शक्ति			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	10,60.00	..	..
पु.	-10,60.00		

₹ 10,60.00 लाख का प्रावधान *मिशन ग्राम्य शक्ति योजना* हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 10,60.00 लाख का समस्त प्रावधान *मिशन ग्राम्य शक्ति योजना* के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान भी, समस्त प्रावधान क्रमशः अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित तथा अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
103. महिला कल्याण  
(21) स्वाधार गृहों के संचालन हेतु सहायता  
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से

मू.	1,65.42	26.09	26.09	..
पु.	- 1,39.33			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,39.33 लाख का प्रावधान अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. समाज कल्याण  
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण  
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता

मू.	18,15.48	15,64.60	15,64.15	- 0.45
पु.	- 2,50.88			

₹ 2,50.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 755 स्वीकृत पदों में से 413 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु  
[10] समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

मू.	3,96.36	1,78.32	1,78.32	..
पु.	- 2,18.04			

₹ 2,18.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[23] बेटों बचाओ-बेटों पढ़ाओ			
मू.	2,33.62		
		53.47	53.47
पु.	- 1,80.15		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,80.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) संयुक्त सहायता के लिये अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ			
मू.	3,32.50		
		2,07.65	2,07.65
पु.	- 1,24.85		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,24.85 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने के कारण विशेष योग्यजनों को अंग उपकरण के वितरण हेतु केम्प आयोजित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[02] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में			
कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू.	7,00.00		
		4,99.85	4,99.85
पु.	- 2,00.15		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,00.15 लाख का प्रावधान स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित मानसिक विमंदित पुनर्वास गृहों को अनुदान के कम वितरण के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि इन संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का सत्यापन जिला कलेक्टरों अथवा जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य अधिकारी के माध्यम से कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने, रिपोर्ट में कमियाँ तथा कमियों की पूर्ति नहीं हुई।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[08] सहयोग योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	11,20.00		
		6,67.25	6,67.25
पु.	- 4,52.75		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,52.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[01] नवजीवन योजनान्तर्गत छात्रावास संचालन			
मू.	2,12.54	98.23	98.23
पु.	- 1,14.31		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,14.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	15,50.00	12.84	12.84
पु.	- 15,37.16		..
31 मार्च 2017 को ₹ 15,37.16 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से छात्रवृत्ति के आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
104. निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि			
(02) प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण			
मू.	33,56.67	30,36.85	30,36.85
पु.	- 3,19.82		..
₹ 3,19.82 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान मंहगाई भत्ते की दरों में अनुमान से कम वृद्धि होने तथा कुछ कर्मचारियों के वेतन का नियमितिकरण/ए.सी.पी. न होने के कारण वेतन तथा भत्तों की अन्तर राशि का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(01) राज्य बीमा विभाग			
मू.	56,99.78	53,18.84	53,18.83
पु.	- 3,80.94		- 0.01
₹ 3,80.94 लाख की प्रत्याशित बचत (i) वर्ष के दौरान मंहगाई भत्तों की दरों में अनुमान से कम वृद्धि होने, (ii) कुछ कर्मचारियों के वेतन का नियमितिकरण/ए.सी.पी. न होने के कारण वेतन तथा भत्तों की अन्तर राशि का भुगतान न होने, (iii) जिला कार्यालय, सिरौही के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नक्शे का ब्ल्यू प्रिंट तैयार न करने तथा (iv) उदयपुर ग्रामीण कार्यालय हेतु मौलिक प्रस्ताव में परिवर्तन करने के परिणामतः सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी रूपरेखा तैयार करने में देरी को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
मू.	18,00.01		
पु.	- 4,67.40	13,32.61	13,34.58 + 1.97
31 मार्च 2017 को ₹ 4,67.40 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान लाभार्थियों की कम संख्या द्वारा पेंशन आहरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	1,36,22.54		
पु.	- 18,52.76	1,17,69.78	1,16,12.64 - 1,57.14
31 मार्च 2017 को ₹ 18,52.76 लाख का प्रावधान मांग के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान तथा इसके अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 1,57.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	26,29.21		
पु.	- 4,37.03	21,92.18	21,73.00 - 19.18
31 मार्च 2017 को ₹ 4,37.03 लाख का प्रावधान मांग के अनुसार विधवा पेंशन के भुगतान तथा इसके अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 19.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन			
मू.	21,00.00		
पु.	- 3,08.08	17,91.92	17,91.91 - 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 3,08.08 लाख का प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का मांग के अनुसार भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष प्रोग्राम			
मू.	2,28,85.00		
पु.	- 32,41.65	1,96,43.35	1,96,18.90
			- 24.45

31 मार्च 2017 को ₹ 32,41.65 लाख के प्रावधान का अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 24.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
101. विशेष पोषण कार्यक्रम  
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा  
[02] एकीकृत बाल विकास योजना

मू.	1,30,61.90	1,05,45.01	1,05,45.43	+ 0.42
पु.	- 25,16.89			

₹ 25,16.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
101. विशेष पोषण कार्यक्रम  
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा  
[10] आई.सी.डी.एस. - IV (विश्व बैंक)

मू.	17,64.96	8,07.98	8,07.89	- 0.09
पु.	- 9,56.98			

₹ 9,56.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण  
101. विशेष पोषण कार्यक्रम  
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा  
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना

मू.	1,01,36.17	37.48	37.48	..
पु.	- 1,00,98.69			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,00,98.69 लाख का प्रावधान खाद्य सामग्री पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,79.12 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 99,19.57 लाख ) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[13] सशर्त मातृत्व लाभ योजना			
मू.	30,00.00		
पु.	- 5,77.10		
		24,22.90	24,20.29
			- 2.61
31 मार्च 2017 को ₹ 5,77.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	50,00.00		
पु.	6,17.04		
		56,17.04	56,17.04
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,17.04 लाख की अतिरिक्त निधियां विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर-मेट्रिक छात्रवृत्ति पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजना-न्तर्गत ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	9,00.00		
पु.	8,92.89		
		17,92.89	17,92.89
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,92.89 लाख की अतिरिक्त निधियां देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना			
मू.	5,50.00		
पु.	1,49.97		
		6,99.97	6,99.97
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,49.97 लाख की अतिरिक्त निधियां देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के तहत अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[15] सामूहिक विवाह अनुदान योजना			
मू.	2,88.00	5,62.43	5,60.72
पु.	2,74.43		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,74.43 लाख की अतिरिक्त निधियां सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[26] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
अ.	0.01	23,16.17	23,16.17
पु.	23,16.16		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,16.16 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री राजश्री योजना पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[07] निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	1,01,13.17	1,30,00.00	1,29,98.45
पु.	28,86.83		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,86.83 लाख की अतिरिक्त निधियां पालनहार योजना के तहत निराश्रित बच्चों के लिए अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत सहायता			
मू.	15,00.00	55,00.00	55,00.00
पु.	40,00.00		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(11) पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर हेतु अनुदान			
[01] राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनुदान			
मू.	5,95.00		
		12,99.44	12,93.44
पु.	7,04.44		- 6.00

₹ 5,95.00 लाख का प्रावधान पीड़ित, भयंकर एवं घृणित अपराध के परिणामस्वरूप घायल अथवा जो जान गंवा चुके उनके आश्रितों तथा जिसे राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना-2011 के अन्तर्गत पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति के उद्देश्य हेतु निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,04.44 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई ई सी) द्वारा योजना के बारे में जानकारी के कारण योजना के लाभ का उपयोग करने हेतु आगे आने वाले पीड़ितों की संख्या में वृद्धि से निरन्तर बढ़ते हुए व्यय की मांग की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 6.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
800. अन्य व्यय  
(02) आयुक्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से  
[02] नवीन अंशदायी पेंशन योजना

मू.	10,65.58		
		11,92.21	11,92.21
पु.	1,26.63		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,26.63 लाख की अतिरिक्त निधियां बीमा/प्रावधायी निधि शीर्ष के बजाय एन.पी.एस. शीर्ष के माध्यम से हुए आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का भुगतान तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्राप्त लेखों के वार्षिक संधारण पर बढ़े हुए व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
800. अन्य व्यय  
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से  
[01] मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन

मू.	15,00.00		
		23,94.92	23,94.46
पु.	8,94.92		- 0.46

₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन के भुगतान हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,94.92 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में मूल अनुमान से वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 57,84.86 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 84.76 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू. 6,00.00	3,67.19	3,67.19	..
पु. - 2,32.81			

31 मार्च 2017 को ₹ 2,32.81 लाख का प्रावधान ठेकेदारों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम			
मू. 55,84.23	51,13.95	51,13.95	..
पु. - 4,70.28			

31 मार्च 2017 को ₹ 4,70.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 4,15.15	2,64.87	2,64.87	..
पु. - 1,50.28			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,50.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन निर्माण			
मू.	3,76.12		
पु.	- 1,99.93	1,76.19	1,76.19
31 मार्च 2017 को ₹ 1,99.93 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(14) मानसिक पुनर्वास गृह भवन का निर्माण			
मू.	1,50.00	..	..
पु.	- 1,50.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू.	40,65.00	..	..
पु.	- 40,65.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 40,65.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
वर्ष 2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	4,12.94		
पु.	- 2,35.25	1,77.69	1,57.26
31 मार्च 2017 को ₹ 2,35.25 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 20.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(11) पशु पालकों के बच्चों के लिए योजना			
[01] आवासीय विद्यालय भवन			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,50.00	50.00	50.00

31 मार्च 2017 को ₹ 4,50.00 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू.	5,00.00		
पु.	- 3,22.13	1,77.87	1,77.87

31 मार्च 2017 को ₹ 3,22.13 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत			
मू.	51,52.40		
पु.	- 27,18.40	24,34.00	24,34.00

31 मार्च 2017 को ₹ 27,18.40 लाख का प्रावधान लघु निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 20,56.03 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,62.37 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत			
मू.	9,96.44		
पु.	- 9,96.44	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 9,96.44 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

वर्ष 2015-16 के दौरान भी, ₹ 9,97.35 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

**अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	-3,00.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय संस्थानों से ऋण की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू.	10,61.85	12,52.37	- 37.28
पु.	1,90.52	12,15.09	- 37.28

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,90.52 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 37.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(03) राज्य सरकार के पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार			
मू.	0.01	45,00.00	45,00.00
पु.	44,99.99	..	..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पेंशनर चिकित्सा निधि की कटौति की वास्तविक राशि की तुलना में अधिक चिकित्सा पुर्नभरण दावों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप निधि को ऋण देने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 034 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

पूंजी - 6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	23,25,65,04	45,37,13,94	42,09,87,15	- 3,27,26,79
अनुपूरक	22,11,48,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,70,62,22
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 3,27,26.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर 2016 (₹ 18,23,28.00 लाख) तथा मार्च 2017 (₹ 3,88,20.90 लाख) में ₹ 22,11,48.90 लाख का अनुपूरक अनुदान सूखें से राहत पर हुए व्यय की पूर्ति तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त समतुल्य राशि निधि को स्थानान्तरित करने हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 3,27,26.79 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 56,64.57 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 4,08,26.84 लाख, ₹ 87,46.94 लाख, ₹ 1,27,01.03 लाख, ₹ 3,50,72.22 लाख तथा ₹ 3,27,26.79 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.12 प्रतिशत से 28.21 प्रतिशत के बीच थी। बचत का कारण मुख्यतः राहत कार्यों पर कम व्यय बताया गया।

**अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)**

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
101. आनुग्रहिक राहत			
(11) वृद्ध-असक्त एवं निस्सहाय बच्चों के लिए राहत			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,96.50	3.50	3.50
			..

31 मार्च 2017 को ₹ 4,96.50 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(07) ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	7,50.01		
अ.	10,00.00	11,84.88	11,84.88
पु.	- 5,65.13		..

सितम्बर 2016 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 5,65.13 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(08) नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(10) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति			
मू.	70,00.00		
पु.	- 60,96.53	9,03.47	8,96.65
			- 6.82

31 मार्च 2017 को ₹ 60,96.53 लाख का प्रावधान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जलापूर्ति पर जिलों द्वारा कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 18,97.76 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 41,98.77 लाख) किया गया।

₹ 6.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(02) परिवहन			
मू.	25,00.00	..	..
पु.	- 25,00.00		
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(03) पशु पोषण केन्द्र			
मू.	11,00.00	..	..
पु.	- 11,00.00		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 36,00.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा				
104. चारे की पूर्ति				
(06) पशु शिविर/गौशाला				
मू.	1,51,00.00			
अ.	1,00,00.00	1,28,43.85	1,28,07.40	- 36.45
पु.	- 1,22,56.15			

सितम्बर 2016 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा राहत कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,00,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 1,22,56.15 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,21,81.06 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 75.09 लाख) किया गया।

₹ 36.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. सूखा				
105. पशु चिकित्सा				
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत				
मू.	9,50.00	..	..	..
पु.	- 9,50.00			
01. सूखा				
282. लोक स्वास्थ्य				
(02) दवाइयों की पूर्ति				
मू.	5,00.00	..	..	..
पु.	- 5,00.00			

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 14,50.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[08] अन्य विशेष राहत कार्य			
मू.	1,39,93.45		
पु.	- 1,39,93.45	..	- 0.74
31 मार्च 2017 को ₹ 1,39,93.45 लाख का समस्त प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों पर व्यय के निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,39,93.44 लाख) किया गया।			
₹ 0.74 लाख का ऋण व्यय गत वर्ष की अवशेष राशि जमा कराने के कारण था।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[13] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	50,00.00	2,44.90	2,44.90
पु.	- 47,55.10		..
31 मार्च 2017 को ₹ 47,55.10 लाख का प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्यों के निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. अनुग्रहिक राहत			
(08) अन्य मद			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00		..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
105. पशु चिकित्सा			
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	5,10.00	..	..
पु.	- 5,10.00		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 6,10.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	1,00,00.00	66,87.30	66,18.78
पु.	- 33,12.70		- 68.52
31 मार्च 2017 को ₹ 33,12.70 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 68.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(05) सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	65,00.01		
पु.	- 61,69.37	3,30.64	3,30.64
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 61,69.37 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 61,69.36 लाख) किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जल पूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	2,50.00		
पु.	- 2,50.00	..	..
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(02) पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,72.31	27.69	27.69
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(03) पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,62.29	37.71	37.71
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(04) पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	3,00.00		
पु.	- 2,99.26	0.74	0.71
			- 0.03
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(05) गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	3,00.00		
पु.	- 2,98.25	1.75	0.65
			- 1.10



## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(06) गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,45.33	54.67	54.65
			- 0.02
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(07) गंभीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	2,00.00		
पु.	- 1,95.75	4.25	4.25
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(08) आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू.	5,00.00		
पु.	- 2,51.84	2,48.16	2,46.58
			- 1.58
उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 26,75.03 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर			
कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	14,00.00		
पु.	- 14,00.00	..	..
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर			
कृषि आदान अनुदान			
[03] बादल फटना			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00	..	..
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर			
कृषि आदान अनुदान			
[04] पाला			
मू.	4,00.00		
पु.	- 4,00.00	..	..
			..

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	4,00.00	..	..
पु.	- 4,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	10,00.00	..	..
पु.	- 10,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[04] पाला			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	2,80.00	..	..
पु.	- 2,80.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
115. भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 39,80.00 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता			
मू.	2,00.00		
पु.	- 1,87.92	12.08	12.08
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	20,00.00		
पु.	- 16,99.23	3,00.77	3,00.77
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 18,87.15 लाख का प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
191. नगर निगम को सहायता			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
193. नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समान को सहायता			
मू.	1,20.00		
पु.	- 1,20.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(02) दवाइयों की पूर्ति			
मू.	4,00.00		
पु.	- 4,00.00	..	..
उपरोक्त चार शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 8,20.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशन			
मू.	7,87.60		
पु.	- 1,42.47	6,45.13	6,45.02
₹ 1,42.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(07) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की सुदृढीकरण योजना			
[02] जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण			
मू.	1,01.40	..	..
पु.	- 1,01.40	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,01.40 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

5 उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[18] लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	1,50,00.00	7,39,41.63	7,34,84.38
अ.	3,60,00.00		
पु.	2,29,41.63		
		- 4,57.25	

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,29,41.63 लाख की अतिरिक्त निधियां राहत कार्यों पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी जो शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।

₹ 4,57.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	12,00.00	30,66.94	26,45.36
पु.	18,66.94		
		- 4,21.58	
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	8,00.00	40,74.96	34,04.89
पु.	32,74.96		
		- 6,70.07	

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51,41.90 लाख की अतिरिक्त निधियां राहत कार्यों पर बड़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी जो उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 10,91.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
05. राज्य आपदा मोचन निधि			
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अंतरण राज्य आपदा मोचन निधि			
मू.	11,58,00.00		
अ.	9,11,64.00	21,48,82.00	21,48,82.00
पु.	79,18.00		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 79,18.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी जिसका निधि को स्थानान्तरण होना अपेक्षित था।

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[17] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	2,25,00.00		
अ.	8,29,84.90	10,59,70.56	10,20,21.41
पु.	4,85.66		- 39,49.15

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,85.66 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ राहत कार्यों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 39,49.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

7. **राज्य आपदा मोचन निधि:**-चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 5 वर्षों के लिये *राज्य आपदा मोचन निधि* को यथावत रखा। सम्पूर्ण वर्ष के आवंटन का 75% अंशदान आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में भारत सरकार करेगी और शेष राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। निधि ब्याज वाली है। निधि से निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि की जायेगी जो एक अथवा अधिक किशतों में विभक्त की जावे जब तक कि भारत सरकार विपरीत निर्देश जारी न करें।

2016-17 के दौरान ₹ 21,48.82 करोड़ (जिसने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के विरुद्ध ₹ 9,11.64 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त भी शामिल है) को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नाम की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 20,54.34 करोड़ को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।

31 मार्च 2017 को ₹ 3,26.05 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2016-17 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

### अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,  
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
 पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,20,51,69	4,20,51,70	- 1,47,18,60
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,47,18,20
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,78,86,77	2,80,55,40	- 13,71,64
अनुपूरक	1,68,63		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			13,29,43

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 35,25.48 लाख, ₹ 22,43.96 लाख, ₹ 4,49,51.62 लाख, ₹ 54,83.45 लाख तथा ₹ 1,47,18.60 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 17.69 प्रतिशत से 53.03 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] जिला कार्यालय			
मू.	52,23.32	39,42.56	..
पु.	- 12,80.76		

₹ 12,80.76 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा कार्यालय व्यय कम होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[06] हाईरिंग ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस एण्ड एनएसी टेस्ट			
मू.	4,76.00		
पु.	- 3,82.51	93.49	93.49

31 मार्च 2017 को ₹ 3,82.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	15,06.74		
पु.	- 15,06.74	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 15,06.74 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2015-16 के दौरान भी इसी कारण से समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[09] ई-मित्रा			
मू.	2,96.03		
पु.	- 2,93.27	2.76	2.76

31 मार्च 2017 को ₹ 2,93.27 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[10] आरोग्य ऑन लाईन			
मू.	2,72.00		
पु.	- 1,77.00	95.00	95.00

31 मार्च 2017 को ₹ 1,77.00 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू.	32,17.30	22,27.68	22,27.68
पु.	- 9,89.62		..

31 मार्च 2017 को ₹ 9,89.62 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[13] स्टेट सर्विस डिलेवरी गेट वे

मू.	2,77.44	..	..
पु.	- 2,77.44		..

31 मार्च 2017 को ₹ 2,77.44 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[25] राज सम्पर्क

मू.	8,92.97	6,12.00	6,12.00
पु.	- 2,80.97		..

31 मार्च 2017 को ₹ 2,80.97 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[27] ई-डिस्ट्रिक्ट

मू.	4,64.44	..	..
पु.	- 4,64.44		..

31 मार्च 2017 को ₹ 4,64.44 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।



## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (कैपेसिटी बिल्डिंग)			
मू.	2,27.12	0.11	0.11
पु.	- 2,27.01		..

31 मार्च 2017 को ₹ 2,27.01 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2014-15 तथा 2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[32] सम्पर्क केन्द्र ऑपरेशन

मू.	4,08.00	2.38	2.38	..
पु.	- 4,05.62			

31 मार्च 2017 को ₹ 4,05.62 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
203. कम्प्यूटर सेवाएं  
(02) भामाशाह योजना, 2014  
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	1,68,37.55	60,99.05	60,99.05	..
पु.	- 1,07,38.50			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,07,38.50 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) प्रशासनिक स्तर पर निर्णय विचाराधीन होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा मनरेगा की मजदूरी के लेन देन पर बैंको को कमीशन का भुगतान नहीं किया गया, (ii) भामाशाह योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों का कम नामांकन होने, (iii) भामाशाह योजना के अन्तर्गत राज्य के निवासियों का कम नामांकन होने, (iv) ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने, (v) भामाशाह कैम्पस अटल सेवा केन्द्र/सरकारी ईमारतों में आयोजित होने के कारण टैन्टस तथा कैम्पस पर कम व्यय होने तथा (vi) भामाशाह योजना के अन्तर्गत सरकारी स्तर पर त्योंहारों और सेमीनारों का आयोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 74,52.88 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 32,85.62 लाख) किया गया।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
205. राज्य सांख्यिकी एजेन्सी  
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
[04] इंडिया स्ट्रेथनिंग स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्ट (आई.एस.एस.पी.)

मू.	2,71.91	51.86	51.85	- 0.01
पु.	- 2,20.05			

31 मार्च 2017 को ₹ 2,20.05 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार द्वारा आई.एस.एस.पी. योजना की अंतिम किस्त राज्य को जारी करने के बजाय सीधे ही विभाग के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकी एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[05] यंग ईटर्स प्रोग्राम			
मू.	4,27.51	3,15.59	3,15.58
पु.	- 1,11.92		- 0.01

₹ 1,11.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः यंग ईटर्स प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षु भर्ती प्रक्रिया में देरी के परिणामस्वरूप मानदेय के कम भुगतान को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	1,14.45	20,75.89	20,75.89
पु.	19,61.44		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,61.44 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरने/पदोन्नति तथा बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के कारण व्यय की पूर्ति हेतु तथा भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[16] डवलपमेंट एण्ड मंटीनेंस ऑफ वेबसाइट			
मू.	2,06.07	3,54.91	3,54.91
पु.	1,48.84		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,48.84 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना और प्रौद्योगिकी कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[19] ई-संचार			
मू.	6,80.00	9,55.00	9,55.00
पु.	2,75.00		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,75.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना और प्रौद्योगिकी कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकी एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[02] जिला सांख्यिकी कार्यालय			
मू.	20,17.91		
पु.	5,10.25		
	25,28.16	25,27.82	- 0.34

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,10.25 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त रहे पदों को भरने के कारण वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 1,68.63 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,68.62 लाख का प्रावधान कमाण्डू और नियंत्रण केन्द्र के कम्प्यूटरीकरण हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 13,71.64 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 42.21 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्व आसूचना विभाग			
मू.	1,26.74		
पु.	- 1,26.11		
	0.63	0.63	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,26.11 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800. अन्य व्यय
- (08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
- [09] ई-मित्रा

मू.	11,78.13		
पु.	- 11,76.64		
	1.49	1.49	..

31 मार्च 2017 को ₹ 11,76.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू.	10,93.65	6,80.00	6,80.00
पु.	- 4,13.65		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,13.65 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	14,05.75	5,16.70	4,84.73
पु.	- 8,89.05		- 31.97
31 मार्च 2017 को ₹ 8,89.05 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,61.35 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,27.70 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
₹ 31.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] जी. आई. एस.			
मू.	21,70.94	16,18.62	16,18.62
पु.	- 5,52.32		..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,52.32 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[30] ई-डिस्ट्रिक			
मू.	18,21.76	..	..
पु.	- 18,21.76		..
31 मार्च 2017 को ₹ 18,21.76 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] राजनेट			
मू.	68,00.00	15,37.68	15,37.68
पु.	- 52,62.32		..
31 मार्च 2017 को ₹ 52,62.32 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[35] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन			
मू.	23,80.00		
		10,50.73	
पु.	- 13,29.27	10,50.73	..

31 मार्च 2017 को ₹ 13,29.27 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] विकास केन्द्र			
मू.	4,65.45		
		21,52.51	
पु.	16,87.06	21,52.51	..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,87.06 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[31] ई-आफिस

मू.	1,36.00		
		3,43.70	
पु.	2,07.70	3,43.70	..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,07.70 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[36] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेन्टर (नोक)

मू.	40,00.00		
अ.	0.01	57,24.04	
पु.	17,24.03	57,13.80	- 10.24

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,24.03 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यों पर हुए व्यय की पूर्ति तथा भवनों के निर्माण की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

₹ 10.24 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[38] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	48,34.81		
अ.	1,68.62	97,45.95	..
पु.	47,42.52	97,45.95	

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 47,42.52 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

800. अन्य व्यय  
(16) भामाशाह योजना-2014  
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	1,42.00		
		20,30.00	..
पु.	18,88.00	20,30.00	

₹ 1,42.00 लाख का प्रावधान बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में 100 ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स के लिए अनुमानित था। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,88.00 लाख की अतिरिक्त निधियां डिसास्टर रिकवरी के लिए केन्द्रीकृत भामाशाह डेटा हब के सृजन तथा व्यावसायिक निरन्तरता योजना मय डेटा बैंक अप स्थापना तथा रिकवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध करायी गयी।

### अनुदान संख्या 036 - सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और

2425. सहकारिता

पूंजी - 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,

4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,

6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,

6425. सहकारिता के लिए कर्ज और

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,79,33,91		
अनुपूरक	10,49,89	4,89,83,80	4,76,70,62 - 13,13,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			13,11,78
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	..	1	.. - 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	36,22,57		
अनुपूरक	56,66,44	92,89,01	92,89,00 - 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 10,49.89 लाख का प्रावधान सहकारी समितियों से लिये गये ऋण के अच्छे कर्जदारों को ब्याज अनुदान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

### अनुदान संख्या 036 - (समाप्त)

2. बचत (अनुदान के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गई) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीक्षण			
मू.	32,69.34	28,54.03	28,53.30
पु.	- 4,15.31		
₹ 4,15.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) निरीक्षकों के 38 पदों के वर्ष पर्यन्त रिक्त रहने तथा (ii) अंतर्विभागीय स्थानान्तरण/कुछ कर्मचारियों का बाह्य विभागों में प्रतिनियुक्ति होने तथा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
101. सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा			
मू.	23,03.84	18,56.30	18,56.04
पु.	- 4,47.54		
₹ 4,47.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) निरीक्षकों के 120 पदों का वर्ष पर्यन्त रिक्त रहने तथा (ii) अंतर्विभागीय स्थानान्तरण/कुछ कर्मचारियों का बाह्य विभागों में प्रतिनियुक्ति होने तथा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	1,17,30.00	1,09,02.00	1,09,02.00
पु.	- 8,28.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 8,28.00 लाख का प्रावधान ऐसे किसानों को जिन्होंने ऋण की अदायगी समय पर की, उनको ब्याज अनुदान का भुगतान करने के परिणामतः भूमि विकास बैंकों को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,70.86 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,57.14 लाख) किया गया।			



### अनुदान संख्या 037 - कृषि

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और  
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम  
 पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और  
 6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	24,82,88,98		
अनुपूरक	22		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		24,82,89,20	21,60,89,86 - 3,21,99,34
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1,64		
अनुपूरक	9,31		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		10,95	10,34 - 61
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	5,88,96,89		
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		5,88,96,90	2,32,55,35 - 3,56,41,55

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 3,21,99.34 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,57.75 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,17,29.23 लाख, ₹ 87,57.10 लाख, ₹ 4,09,89.31 लाख, ₹ 3,25,51.16 लाख तथा ₹ 3,21,99.34 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 6.48 प्रतिशत से 20.95 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[02] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -दलहन			
मू.	5,31.01		
पु.	- 3,30.29	2,00.72	2,00.72

31 मार्च 2017 को ₹ 3,30.29 लाख का प्रावधान जिप्सम की लक्ष्यों से अधिक भौतिक प्रगति के बावजूद इकाई लागत कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

107. वनस्पति रक्षण  
(06) नॉन-इन्डेमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन

मू.	8,38.06		
अ.	0.01	7,32.45	7,32.46
पु.	- 1,05.62		+ 0.01

₹ 8,38.06 लाख का प्रावधान कीट, महामारी और बीमारियों के प्रकोप के विरुद्ध जमीनी फसलों की सुरक्षा हेतु वनस्पति सुरक्षा कैमिकल देने के लिए अनुमानित था।

₹ 1,05.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के 10 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) नव निर्मित राजकीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु की गई निविदा में उल्लेखित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपकरण प्राप्त नहीं होने के कारण उपकरण क्रय नहीं किये जाने को आरोपित की गई।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण  
(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण

मू.	5,82.00		
पु.	- 2,70.69	3,11.31	3,11.31

₹ 5,82.00 लाख का प्रावधान ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करना जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है तथा जिसके लिये निधियां उपलब्ध नहीं हैं जैसे, आधारभूत विकास, जल बचत की उच्च तकनीकी प्रदर्शन, सरकारी फार्मों पर बीज उत्पादन तथा आर्गेनिक खेती के लिये विकास के पैकेज के अभ्यास तथा मिनीकिट्स का आवंटन हेतु अनुमानित किया गया था।

₹ 2,70.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) प्रमाणित अलसी तथा मसूर की उपलब्धता नहीं होने के कारण बीज मिनीकिट का वितरण नहीं होने तथा (ii) वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी करने में विलम्ब के कारण सूक्ष्म पोषक तत्व किट कार्यक्रम की क्रियान्विति में विलम्ब को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन			
मू.	22,02.00	11,97.12	11,97.11
पु.	- 10,04.88		- 0.01

₹ 22,02.00 लाख का प्रावधान किसानों को उचित तकनीक और उन्नत खेतीहर अभ्यास का हस्तान्तरण किया जाना संभव किये जाने हेतु अनुमानित किया गया था।

₹ 10,04.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों का स्थानान्तरण/मृत्यु/सेवानिवृत्ति के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) ब्लॉक तकनीकी प्रबन्धक तथा सहायक तकनीकी प्रबन्धक के पदों पर संविदा कर्मियों की भर्ती नहीं होने, (iii) भारत सरकार द्वारा वाहन किराये के प्रावधान में वृद्धि नहीं करने तथा वित्त विभाग द्वारा मात्र 35 वाहनों की स्वीकृति जारी करने तथा (iv) ए.टी.एम.ए. कार्यालयों के जिला स्तरीय कृषि तकनीकी शिक्षा संदर्भ केन्द्र में निर्माण कार्य का कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण  
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन  
[02] बीज एवं रोपण सामग्री

मू.	1,37.38	..	..
पु.	- 1,37.38		

31 मार्च 2017 को ₹ 1,37.38 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

114. तिलहन विकास  
(01) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन  
[01] राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन-तिलहन

मू.	21,93.46	17,92.58	17,92.58
पु.	- 4,00.88		..

₹ 21,93.46 लाख का प्रावधान वृक्षजनित तिलहन तथा तिलहन की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित किया गया था।

31 मार्च 2017 को ₹ 4,00.88 लाख का प्रावधान (i) तिलम संघ तथा राज्य बीज निगम द्वारा उत्पादित बीजों के कुछ लोट जांच प्रयोगशाला में फेल होने के कारण प्रमाणित बीजों का कम उत्पादन एवं वितरण, (ii) चम्बल व आर.एल.डी.सी. के बन्द होने के कारण जिप्सम परिवहन व वितरण करने वाली संस्था 4 में से 2 संस्थाओं द्वारा ही आपूर्ति करने, (iii) कुछ जिलों में तिलहन मेलों का आयोजन नहीं हुआ क्योंकि जिला अधिकारियों और राज्य के किसानों के ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मेला (ग्राम) 2016 में व्यस्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

मू.	65,32.24	52,13.56	52,13.56
अ.	0.01		..
पु.	- 13,18.69		

31 मार्च 2017 को ₹ 13,18.69 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) कृषि प्रशिक्षण दौरे तथा सेमिनारों के कम आयोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	1,39,15.56		
पु.	- 69,90.18	69,25.38	69,25.38

₹ 1,39,15.56 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु बूंद-बूंद एवम् फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था।

यद्यपि ₹ 69,90.18 लाख की प्रत्याशित बचत कृषकों से ऑन लाइन आवेदन कम प्राप्त होने तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनजातिय किसानों के लिए कोई विशेष अनुदान तय नहीं होने को आरोपित की गई।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें  
(38) राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बम्बू मिशन

मू.	1,99.19	10.37	10.37	..
पु.	- 1,88.82			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,99.19 लाख का प्रावधान एगो वानिकी रोपण को उन्नत करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 1,88.82 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बम्बू मिशन योजना के संचालन के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। शीर्ष के अन्तर्गत व्यय केवल गत वर्ष में रोपित बम्बू पौधों के रख-रखाव के कारण हुआ।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[11] कृषि प्रदर्शन/मिनिकिट्स

मू.	4,22.06	2,99.39	2,99.39	..
पु.	- 1,22.67			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,22.67 लाख का प्रावधान कीड़ों का प्रकोप कम/नहीं होने के कारण फसल प्रदर्शन पर प्रति इकाई लागत अनुमान से कम रहने तथा प्रमाणित जौ के बीज की उपलब्धता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहूँ

मू.	24,50.00	6,35.40	6,35.40	..
पु.	- 18,14.60			

₹ 24,50.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2017 को ₹ 18,14.60 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) पॉली प्रोपलिन कॅमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों का प्रकोप इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने तथा (iii) पम्प सेट पर अनुदान केवल उन कृषकों को जारी की गयी जिनके पास फार्म पोण्ड है परिणामस्वरूप अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	1,53,49.00		
		77,54.39	77,54.39
पु.	- 75,94.61		..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,53,49.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, बायोफर्टिलाइजर वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।

₹ 75,94.61 लाख की प्रत्याशित बचत (i) भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने, (ii) दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित बीज का कम वितरण, (iii) पॉलीप्रोपलीन केमिकल्स एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों के प्रकोप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (iv) फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम में अन्य योजनाओं की तुलना में कम मात्रा में अनुदान के कारण लाभार्थी किसानों की संख्या कम रहने, (v) पम्प सेट पर अनुदान केवल उन कृषकों को जारी की गयी जिनके पास फार्म पॉड है परिणामतः कम अनुदान जारी की गयी, (vi) कम्प्यूटर तथा सहायक वस्तुएं खरीदने की आवश्यकता नहीं होने, (vii) भारत सरकार द्वारा 29 सलाहकार एवं 58 तकनीकी सहायक के प्रावधान के विरुद्ध केवल 1 सलाहकार एवं 23 तकनीकी सहायकों द्वारा कार्य करने तथा (viii) वित्त विभाग द्वारा किराये पर वाहन की स्वीकृति नहीं जारी करने को आरोपित की गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज

मू.	38,43.62		
		17,13.73	17,13.73
पु.	- 21,29.89		..

₹ 38,43.62 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध संरक्षण उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, मोटे अनाजों का प्रदर्शन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2017 को ₹ 21,29.89 लाख का प्रावधान (i) बाजरा, ज्वार, मक्का एवं जौ बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित एवं संकर बीजों का कम वितरण, (ii) बीजों की कम उपलब्धता को देखते हुए मक्का फसल वितरण का कम आयोजन तथा (iii) कलस्टर प्रदर्शन में प्रति इकाई कम लागत के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार

मू.	17,80.01		
		13,38.00	13,38.00
पु.	- 4,42.01		..

31 मार्च 2017 को ₹ 17,80.01 लाख का प्रावधान कृषि विस्तार की पुनर्संरचना तथा सुदृढ़ करने के लिये उचित तकनीक का वितरण सक्षम करने तथा किसानों को कृषि पद्धतियों में सुधार हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2017 को ₹ 4,42.01 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	12,88.10	8,80.14	8,80.14
पु.	- 4,07.96		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,07.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] टिकाउ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	9,75.00	5,13.35	5,13.35
पु.	- 4,61.65		..
₹ 9,75.00 लाख का प्रावधान एकीकृत कृषि व्यवस्था द्वारा कृषि उत्पादक, टिकाउ, लाभदायक, जलवायु सहायक का निर्माण, मृदा तथा जल संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2017 को ₹ 4,61.65 लाख का प्रावधान (i) राज्य कार्य योजना 2016-17 का अक्टूबर 2016 में स्वीकृत होने के कारण खरीब मौसमी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं होने तथा रबी कार्यक्रम में देरी तथा (ii) पशु मेले की समय अवधि समाप्त होने के कारण पशुओं का क्रय नहीं किया जा सका जिसके कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	6,39.70	3,93.76	3,93.74
पु.	- 2,45.94		- 0.02
₹ 6,39.70 लाख का प्रावधान जिला स्तरीय प्रचार कार्य, नये प्रयोगशालाओं के विद्युत तथा जल प्रभार पर व्यय तथा बाहरी ठेके द्वारा प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु भुगतान हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2017 को ₹ 2,45.94 लाख का प्रावधान प्रयोगशालाओं के संचालन कार्य में देरी तथा फील्ड कार्मिक जो मृदा नमूने के संग्रहण में व्यस्त थे, के बिलों का देरी से/प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	24,49.00	20,10.42	20,10.43
पु.	- 4,38.58		+ 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 24,49.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय मुख्य परियोजना टिकाउ कृषि मिशन के घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के गहन विस्तार हेतु अनुमानित था। इस योजना के अन्तर्गत कलस्टर दृष्टिकोण तथा भागीदारी गारंटी प्रणाली प्रमाणन द्वारा जैविक खेती के गांवों का चयन कर जैविक खेती को उन्नत किया गया।			
₹ 4,38.58 लाख का प्रावधान कलस्टर निर्माण में देरी, जिला अधिकारियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन का प्रथम वर्ष होने से विभिन्न घटकों/गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[32] कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन			
मू.	3,52.00	1,39.84	1,39.84
पु.	- 2,12.16		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,12.16 लाख का प्रावधान फसलों के अनुकूल मौसम के कारण कीड़ों/बीमारियों का प्रकोप कम रहने के परिणामस्वरूप किसानों को कम कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	2,57,78.84	2,33,00.45	2,33,00.43
पु.	- 24,78.39		- 0.02
₹ 24,78.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कृषि पर्यवेक्षकों (856) तथा सहायक कृषि अधिकारियों (399) के पदों के रिक्त रहने तथा (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में गैर कृषि योग्यता प्राप्त कृषि पर्यवेक्षकों को 1998 से बकाया भुगतान हेतु निधियां अनुमानित की गई थी, का कुछ कार्यालय द्वारा आहरण नहीं करने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(02) जल आयोजन हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[01] सिंचाई जल का समुचित उपयोग			
मू.	3,45.00	..	..
पु.	- 3,45.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,45.00 लाख का समस्त प्रावधान सिंचाई जल का समुचित उपयोग के लिए पाईप लाइन हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(23) मिशन फॉर लाइवलिहुड			
मू.	51,52.47	30,90.12	30,90.12
पु.	- 20,62.35		..
31 मार्च 2017 को ₹ 20,62.35 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,93,56.44	1,52,58.60	1,52,58.59
पु.	- 40,97.84		- 0.01
₹ 40,97.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां के कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार निधियां जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	28,85.00		
पु.	- 16,69.82	12,15.18	12,15.12
			- 0.06
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[05] मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,10.00		
पु.	- 1,10.04	99.96	99.96
			..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[08] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	6,00.00		
पु.	- 3,00.00	3,00.00	3,00.00
			..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[12] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	30,00.00		
पु.	- 9,22.48	20,77.52	20,77.52
			..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[17] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,00.00		
पु.	- 2,14.99	85.01	85.01
			..

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 32,17.33 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	2,33,96.00	49,57.95	49,57.87
पु.	- 1,84,38.05		
			- 0.08

31 मार्च 2017 को ₹ 1,84,38.05 लाख का प्रावधान (i) परियोजना की पुनः संरचना में देरी के कारण विश्व बैंक, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मध्य परियोजना में संशोधन हेतु अनुबन्ध एवं वित्तीय अनुबंध पर अगस्त 2016 में हस्ताक्षर होने, (ii) परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न खरीद में देरी के कारण परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन में देरी होने तथा (iii) विभिन्न गतिविधियों जैसे नहरों का सुदृढीकरण, जल संग्रहण विकास, भू-जल प्रबन्धन तथा सोलर पम्प के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

800. अन्य व्यय

(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन

[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन

मू.	10,39.65	3,74.46	3,74.47
पु.	- 6,65.19		
			+ 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 6,65.19 लाख का प्रावधान (i) कृषकों को पोषक तत्वों हेतु आर्थिक सहायता में आदान लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 2500 प्रति हेक्टर अनुमानित किया गया था परन्तु राज्य में चूना उपयोग की सिफारिश नहीं होने से सहायता को ₹ 1500 प्रति हेक्टर तक कम कर दिया, (ii) 32 विभागीय प्रयोगशालाओं हेतु सामग्री यथा रसायन, ग्लासवेयर्स, फिल्टर पेपर इत्यादि पर व्यय उपयोगिता के अनुसार हुआ, (iii) विभागीय मृदा प्रयोगशालाओं हेतु कम्प्यूटर सामग्री, इन्टरनेट तथा मृदा हेल्थ कार्ड की प्रिन्टिंग पर व्यय उपयोगिता के अनुसार हुआ, (iv) प्रयोगशालाओं में नमूना विश्लेषण कार्यों की लगातार कार्यों की अधिकता के कारण रसानज्ञों /कार्मिकों के प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने तथा (v) संविदा आधार पर/आउट सोर्स आधार पर कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मु.	18,74.75	4,90.07	4,90.06
पु.	- 13,84.68		
			- 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 13,84.68 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय

(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

[02] उद्यान विभाग के माध्यम से

मु.	42,00.00	..	..
पु.	- 42,00.00		
			..

₹ 42,00.00 लाख का प्रावधान जल संसाधन, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, कृषि व उद्यान विभाग की जल संरक्षण कार्यों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सम्मिलित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित विभागों को उनके वर्तमान लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सीधे ही निधियां जारी किये जाने के कारण ₹ 42,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 38,72.88 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,27.12 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[05] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू.	28,56.46	20,07.49	18,50.08
पु.	- 8,48.97		
			- 1,57.41

₹ 8,48.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 2016-17 में 54 स्वीकृत पदों की भर्ती नहीं होने तथा (ii) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सजून तथा गैर-आवर्ती मदों को आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

₹ 1,57.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(02) कृषि सूचना			
मू.	11,71.00	26,56.23	26,56.23
पु.	14,85.23		
			..

₹ 11,71.00 लाख का प्रावधान मास मीडिया, किसान मित्रता साहित्य का वितरण, पारदर्शिता तथा विस्तार सेवाएं की इफेक्टिव डिलीवरी, कैम्प का आयोजन द्वारा कृषि तकनीकी के फैलाव हेतु अनुमानित थी। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को ₹ 14,85.23 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर एग्जीबिशन एण्ड कन्वेंशन सेन्टर में उच्च स्तर के ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) 2016 के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

110. फसल बीमा ( 50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयंश)

(02) कृषि विभाग के अभिकरण से

मू.	4,28,62.00	6,65,84.59	6,65,84.51	- 0.08
अ.	0.02			
पु.	2,37,22.57			

₹ 4,28,62.00 लाख का प्रावधान खरीफ फसल 2016 से राज्य के किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,37,22.57 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) बीमित राशि में वृद्धि क्योंकि जिलेवार फसलवार बीमित राशि का निर्धारण जिले के गत तीन वर्षों के औसत उत्पादन को भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये समर्थन मूल्य के आधार पर किये जाने तथा (ii) अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टरवार, जिलेवार, फसलवार प्रदान की गई प्रीमियम दरों में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(28) बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	0.01	18,29.54	18,29.54
पु.	18,29.53		..
₹ 18,29.53 लाख का प्रतीक प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन हेतु बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,29.53 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में किसानों को अतिरिक्त निधियां हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	0.01	5,44.04	5,44.04
पु.	5,44.03		..
₹ 5,44.03 लाख का प्रतीक प्रावधान किसानों की आय में वृद्धि के लिए उच्च तकनीकी बागवानी की ग्रीन हाउस/शेड्स-नेट्स की स्थापना को उन्नत करने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,44.03 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण की अनुपालना में ग्रीन हाउस कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान हेतु उपलब्ध कराये गये।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	92,73.15	1,18,43.43	1,18,43.42
पु.	25,70.28		- 0.01
₹ 92,73.15 लाख का प्रावधान सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,70.28 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषकों से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[09] कृषि विस्तार सेवाएं			
मू.	2,68.64	3,74.49	3,74.49
पु.	1,05.85		..
₹ 2,68.64 लाख का प्रावधान महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,05.85 लाख की अतिरिक्त निधियां महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू.	4,46.00		
		7,38.62	
पु.	2,92.62	7,38.62	..

₹ 4,46.00 लाख का प्रावधान कृषि शिक्षा के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,92.62 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय

(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)

[02] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	16,90.00		
		24,23.86	
पु.	7,33.86	24,23.87	+ 0.01

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,33.86 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 3,80.27 लाख, ₹ 16,81.29 लाख, ₹ 1,20,30.20 लाख, ₹ 1,35,61.00 लाख तथा ₹ 3,56,41.55 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.08 प्रतिशत से 60.52 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[01] भवन			
मू.	4,80.01		
		3,26.73	
पु.	- 1,53.28	3,26.73	..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,53.28 लाख का प्रावधान रख रखाव के लिए आवंटित बजट प्रावधान के विरुद्ध कार्यालय भवनों के रखरखाव कार्य की अनुपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	77,75.00		
पु.	- 19,58.35	58,16.65	58,16.65
			..
₹ 77,75.00 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा किसान सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 19,58.35 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	25,00.01		
पु.	- 3,14.52	21,85.49	21,84.96
			- 0.53
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,00.00	1,00.00	1,00.00
			..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[09] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	33,25.00		
पु.	- 14,76.32	18,48.68	18,48.68
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹21,90.84 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के परिणामस्वरूप निधियां प्राथमिकता एवं आवश्यकतानुसार जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(04) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वि. के. स.)			
[03] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	65,82.00		
पु.	- 65,82.00	..	..
			..
₹ 65,82.00 लाख का प्रावधान जल संसाधन, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, कृषि व उद्यान विभाग की जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सम्मिलित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 65,82.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित विभागों को उनके वर्तमान लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सीधे निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(04) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[04] भूसंरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से			
मू.	2,06,40.00		
		65,33.00	65,33.00
पु.	- 1,41,07.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,41,07.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू.	1,34,00.00		
		30,00.00	30,00.00
पु.	- 1,04,00.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,04,00.00 लाख का प्रावधान निगम द्वारा निर्माण कार्यों का कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि कार्यों के चरणबद्ध पूर्ण होने एवं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से कार्य का चरणबद्ध सत्यापन व उसके निरीक्षण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान हेतु ऋण राशि निगम को जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 038 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और  
2702. लघु सिंचाई  
पूंजी - 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय और  
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,08,04,66	1,13,84,84	1,06,94,38	- 6,90,46
अनुपूरक	5,80,18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6,89,90
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	23,20	23,17	- 3
अनुपूरक	23,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				3

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,75,18	1,75,18	31,99	- 1,43,19
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,43,19

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए ₹ 5,80.18 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
02. भू-जल			
005. अन्वेषण			
(01) भू-जल का सर्वेक्षण व अनुसंधान			
मू.	13,78.04	12,39.56	..
पु.	- 1,38.48		

₹ 1,38.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सहायक अभियंता (सिविल) (1), (ii) कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक (15), (iii) कनिष्ठ रसायनज्ञ (5) और (iv) तकनीकी सहायक (रसायनज्ञ) (3) के पदों के सम्पूर्ण वर्ष रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 038 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
03. रखरखाव			
103. नलकूप (ट्यूबवैल)			
(01) कुओं ओर तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना			
[01] निदेशन और प्रशासन			
मू.	7,03.94		
पु.	- 1,05.14		
	5,98.80	5,98.79	- 0.01

₹ 1,05.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों के बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी नहीं करने को आरोपित की गयी।

03. रखरखाव			
103. नलकूप (ट्यूबवैल)			
(01) कुओं और तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना			
[02] कार्यकारी			
मू.	43,00.82		
पु.	- 5,56.67		
	37,44.15	37,43.84	- 0.31

₹ 5,56.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, (ii) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की संविदा दर पर पाइप न खरीदना तथा (iii) विभाग स्तर पर एम.एस. पाइप की निविदा प्रक्रिया में देरी को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
102. मृदा संरक्षण			
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई एफ ए डी फण्डेड)(एम पॉवर)			
मू.	19,63.52		
अ.	5,80.18		
पु.	2,46.94		
	27,90.64	27,90.48	- 0.16

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,46.94 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) नव स्वीकृत दो ब्लॉक बालेसर एवं पिण्डवाड़ा में आजीविका गतिविधियों के लिए नियुक्त अराजकीय संगठन को भुगतान तथा (ii) दोनों नये ब्लॉक में आजीविका गतिविधियों के लिये गौट क्लस्टर एवं एग्रीकल्चर क्लस्टर के स्वीकृत कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी।



**अनुदान संख्या 038 - (समाप्त)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
102. भू-जल			
(01) भू-जल विभाग द्वारा संचालित कार्य			
[02] भवन निर्माण			
मू.	1,47.97		
पु.	- 1,40.22	7.75	7.75

31 मार्च 2017 को ₹ 1,40.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,  
2404. डेरी विकास,  
2405. मछली-पालन और  
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
4404. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
6403. पशु-पालन के लिए कर्ज और  
6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,93,76,05			
अनुपूरक	1,47,99,57	7,41,75,62	7,21,30,06	- 20,45,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				19,71,32
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,01			
अनुपूरक	..	1,01	- 50	- 1,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,00
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,63,87			
अनुपूरक	..	3,63,87	2,71,24	- 92,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				92,63

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 20,45.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,47,99.57 लाख का प्रावधान गोशाला को अनुदान तथा राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि को हस्तांतरण हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 20,45.56 लाख की अंतिम बचत में से, राशि ₹ 74.24 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

**अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[13] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	2,76.54		
पु.	- 1,51.52	1,25.02	1,24.95
₹ 1,51.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			- 0.07
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(22) खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	8,86.62		
पु.	- 1,16.00	7,70.62	7,70.47
₹ 1,16.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			- 0.15
102. पशु तथा भैंस विकास			
(16) पशुधन नस्ल सुधार योजना			
[01] स्वयंसेवी सस्थाओं के माध्यम से			
मू.	3,80.72		
पु.	- 3,80.72	..	..
₹ 3,80.72 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
102. पशु तथा भैंस विकास			
(18) राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना			
मू.	3,00.00		
पु.	- 3,00.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,40.70 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,59.30 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
2404. डेरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता			
मू.	8,70.70		
पु.	- 8,70.70	..	..
₹ 8,70.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..

**अनुदान संख्या 039 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2405. मछली पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) जिला कार्यालय			
मू.	8,81.38		
पु.	- 1,24.10	7,57.28	7,57.29 + 0.01
₹ 1,24.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**प्रभारित**

- ₹ 0.50 लाख का ऋण व्यय, माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में कोर्ट डिक्री से संबंधित ₹ 50,000 राजकीय खाते में जमा कराने के कारण है।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(09) खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
[01] कोल्ड स्टोरेज का निर्माण			
मू.	1,00.00		
पु.	- 50.00	50.00	50.00 ..
31 मार्च 2017 को ₹ 50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,47,95	1,47,95	1,36,45	– 11,50
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				11,48
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	– 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3	25,02	25,00	– 2
अनुपूरक	24,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2

### अनुदान संख्या 041 - सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  
पूंजी - 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	65,37,05,06	68,30,54,52	61,30,37,34
अनुपूरक	2,93,49,46		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			7,00,17,18
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1	8,18	..
अनुपूरक	8,17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			8,18

#### पूंजी

<b>दत्तमत</b>			
मूल	34,93,64	34,93,64	29,58,99
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			5,34,65

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,93,49.46 लाख का प्रावधान पंचायत समितियों के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को अनुदान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) जिला योजना समिति कर्मचारी वर्ग			
मू.	10,89.07	9,25.01	9,25.01
पु.	- 1,64.06		
₹ 1,64.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..

## अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (15) पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष [02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	29,26.02	..	..
पु.	- 29,26.02		
31 मार्च 2017 को ₹ 29,26.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास [01] सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,47,46.85	3,30,32.25	3,30,32.25
पु.	- 17,14.60		..
₹ 3,47,46.85 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए बी.पी.एल. परिवारों को निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 17,14.60 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गई, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (39) स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) [01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	13,80,74.50	7,81,82.11	7,81,82.11
पु.	- 5,98,92.39		..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,98,92.39 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,69,85.95 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 29,06.44 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत) [02] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	2,53,17.04		
अ.	1,24,78.45	3,59,32.80	3,59,32.67
पु.	- 18,62.69		- 0.13
₹ 2,53,17.04 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के संधारण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को उनके दायित्वों की पूर्ति के लिए अनुदान हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,24,78.45 लाख की निधियां उसी उद्देश्य के लिए ली गई जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।			
31 मार्च 2017 को ₹ 18,62.69 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	9,48.06	..	..
पु.	- 9,48.06		
31 मार्च 2017 को ₹ 9,48.06 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

198. ग्राम पंचायतों को सहायता  
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान  
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	13,50,24.20			
अ.	15,16.02	13,47,48.00	13,47,48.00	..
पु.	- 17,92.22			

₹ 13,50,24.20 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के संधारण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु अनुदान हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान ₹ 15,16.02 लाख की निधियां उसी उद्देश्य के लिए ली गई जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक थी।

31 मार्च 2017 को ₹ 17,92.22 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता  
(22) पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष  
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	50,56.32			
पु.	- 29,74.38	20,81.94	20,81.94	..

31 मार्च 2017 को ₹ 29,74.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) तदर्थ सहायता				
[01] संस्थापन				
मू.	29,10.00	40,63.54	40,63.41	- 0.13
पु.	11,53.54			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,53.54 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता ( कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	84,39.02		
पु.	5,44.18	89,83.20	89,83.20 ..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,44.18 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत जिला परिषदों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(09) तदर्थ सहायता  
[01] हैण्ड पम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)

मू.	75,50.00		
पु.	11,69.37	87,19.37	87,19.17 - 0.20

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,69.37 लाख की अतिरिक्त निधियां हैण्ड पम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के वेतन के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	34,93.64		
पु.	- 5,34.65	29,58.99	29,58.99 ..

₹ 5,34.65 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

### अनुदान संख्या 042 - उद्योग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और  
 2852. उद्योग  
 पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,  
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और  
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,23,29,07		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		3,23,29,07	2,70,70,86 - 52,58,21
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3		
अनुपूरक	..	3	.. - 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			3
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,45,80		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		1,45,80	97,26 - 48,54

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	1,47,17.17		
पु.	- 28,38.06	1,18,79.11	1,18,79.11 ..

31 मार्च 2017 को ₹ 28,38.06 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

**अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(04) तकनीकी अपग्रेडेशन			
मू.	4,15.00		
पु.	- 2,15.49	1,99.51	1,99.51
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,15.49 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना			
(04) भामाशाह रोजगार सृजन योजना			
[01] ब्याज अनुदान			
मू.	2,60.00		
पु.	- 2,48.00	12.00	12.00
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,48.00 लाख का प्रावधान ब्याज अनुदान के दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन और अधीक्षण			
मू.	12,93.57		
पु.	- 1,52.59	11,40.98	11,39.97
			- 1.01
₹ 1,52.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) जिला उद्योग केन्द्र			
मू.	30,66.70		
पु.	- 2,72.31	27,94.39	27,93.38
			- 1.01
₹ 2,72.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत प्रोरेटा चार्जेज देय नहीं होने के कारण सार्वजनिक विभाग द्वारा प्रोरेटा चार्जेज का समायोजन नहीं किये जाने तथा (iii) निर्माण कार्यों पर कम व्यय हुआ क्योंकि निविदायें द्वारा आमंत्रित दरे मूल श्रेणी की दरों से कम होने को आरोपित की गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.)			
मू.	3,25.60		
पु.	- 1,56.45	1,69.15	1,69.15
			..
₹ 1,56.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा जल,पानी, बिजली, टेलीफोन तथा स्टेशनरी इत्यादि पर कम व्यय तथा फर्नीचर क्रय नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
003. औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(10) नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी			
मू.	3,81.01	..	..
पु.	- 3,81.01	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,81.01 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार और नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के मध्य (समझौता ज्ञापन) का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादन			
(17) ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेन्सी (रूडा)			
मू.	2,87.00	1,42.00	1,42.00
पु.	- 1,45.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,45.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादन			
(26) निर्यात संवर्धन के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	20,00.00	..	..
पु.	- 20,00.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्यों को निर्यात के आधारभूत विकास हेतु सहायता योजना के बन्द होने के पश्चात भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 16,86.38 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,13.62 लाख) किया गया।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादन			
(27) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई.पी.डी.एस.)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	6,10.00	..	..
पु.	- 6,10.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीयशांश की प्रथम किश्त प्राप्त नहीं होने तथा के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निमग			
[02] राजस्थान स्टार्ट अप पॉलिसी			
मू.	10,85.00	..	..
पु.	- 10,85.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 10,85.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)**

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	22,02.49	44,60.41	44,60.41
पु.	22,57.92		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,57.92 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्याज अनुदान के दावे अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
102. लघु उद्योग			
(13) माइक्रो एवं स्माल एन्टरप्राइजेज हेतु पॉलिसी पैकेज			
मू.	6,48.34	8,77.45	8,77.45
पु.	2,29.11		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,29.11 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रवाह उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) के लिए जिला उद्योग केन्द्र, पाली को अनुदान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
104. हस्तशिल्प उद्योग			
(13) एकीकृत कौशल विकास योजना			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग			
मू.	2,38.80	6,53.43	6,53.43
पु.	4,14.63		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,14.63 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा मूल आंवटित से अधिक लक्ष्य प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

### अनुदान संख्या 043 - खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और  
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग  
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर  
 पूंजीगत परिव्यय और  
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,76,49,89		
अनुपूरक	40,55,68	4,17,05,57	3,76,03,95 - 41,01,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			40,93,96
<b>प्रभारित</b>			
मूल	1		
अनुपूरक	6,69	6,70	6,68 - 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,66,00,04		
अनुपूरक	..	1,66,00,04	10,52,91 - 1,55,47,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,55,47,13

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

##### राजस्व

##### दत्तमत

- 1 मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 40,55.68 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों के आश्रित को सहायता हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 41,01.62 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 7.66 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 82,11.10 लाख, ₹ 25,29.51 लाख, ₹ 94,51.16 लाख, ₹ 1,38,87.48 लाख तथा ₹ 41,01.62 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के कुल बजट की 10 प्रतिशत से 48 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)**

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) विभाग द्वारा शुल्क वसूली पर व्यय			
मू. 18,41.36	15,48.05	15,47.83	- 0.22
पु. - 2,93.31			
₹ 2,93.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिवर्षिता पर निरन्तर सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) सघन पूर्वक्षेपण तथा खनिज सर्वेक्षण			
मू. 4,92.65	2,94.45	2,94.45	..
पु. - 1,98.20			
₹ 1,98.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः फर्मों द्वारा लाइमस्टोन तथा लिग्नाइट में छोटे छोटे छेद करने का कार्य को पूर्ण नहीं करने तथा परिसमापन हानियों की कटौती को आरोपित की गयी।			

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अन्तरण			
(02) लेखा मद 8229-200(09) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि			
मू. 10,00.06	..	..	..
पु. - 10,00.06			
₹ 10,00.06 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि को हस्तांतरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 10,00.06 लाख का समस्त प्रावधान पर्यावरणीय प्रबन्ध तथा संबंधित विकास कार्यों जैसे, खनन क्षेत्रों में पौधारोपण हेतु निधि को राशि के हस्तांतरण की स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,75.45 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,24.61 लाख) किया गया।			

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 14,00.07 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[02] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग			
मू. 6,20.00	..	..	..
पु. - 6,20.00			

₹ 6,20.00 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मशीनरी/उपकरण तथा औषधी/ दवाईयां की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 6,20.00 लाख का समस्त प्रावधान इन मदों की खरीद का प्रस्ताव चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त न होने से अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से संबंधित व्यय			
[06] जिला कलक्टरों के माध्यम से			
मू.	17,00.00		
अ.	40,55.68	49,57.50	49,53.50
पू.	- 7,98.18		- 4.00

₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ितों की मृत्यु पर आश्रित को सहायता के भुगतान हेतु जिलाधीशों को अनुमानित तथा अधिकृत किया गया। तत्पश्चात्, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 40,55.68 लाख इसी कारण से लिये गये जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक थे।

31 मार्च 2017 को ₹ 7,98.18 लाख का प्रावधान कुछ जिलाधीशों द्वारा निधियों के कम उपयोग किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास  
800. अन्य व्यय  
(02) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबन्धन एवं तत्संबंधी विकास कार्य  
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग

मू.	10,00.06			
पु.	- 10,00.06			

₹ 10,00.06 लाख का प्रावधान खनन लीज/खदान लाइसेंस क्षेत्र में पौधारोपण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 10,00.06 लाख का समस्त प्रावधान वन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान भी ₹ 14,00.07 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

## पूंजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) एच. पी. सी. एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
मू.	80,00.00		
पु.	- 80,00.00		

₹ 80,00.00 लाख का प्रावधान राज्य में रिफायनरी की स्थापना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 80,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य में रिफायनरी की स्थापना के अंतिमीकरण न होने के परिणामतः मूल बजट में आवंटित निधि के विपरीत अंश पूंजी जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान भी ₹ 79,80.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।



**अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	35,00.00		
पु.	- 24,47.09	10,52.91	10,52.91
			..
<p>₹ 35,00.00 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन उपागम सड़कों के निर्माण/सुदृढीकरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 24,47.09 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	16,00.00		
पु.	- 16,00.00	..	..
			..
<p>₹ 16,00.00 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मशीनरी तथा उपकरण की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 16,00.00 लाख का समस्त प्रावधान इन मदों की खरीद हेतु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[03] खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	35,00.00		
पु.	- 35,00.00	..	..
			..
<p>₹ 35,00.00 लाख का प्रावधान वन विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों तथा पौधारोपण करने से पर्यावरणीय सुधार हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। इसके परिणामतः 31 मार्च 2017 को ₹ 35,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।</p>			

**अनुदान संख्या 044 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

पूंजी - 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	34,11,94	34,11,94	28,05,53	- 6,06,41
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6,05,55
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1,29	1,29	..
अनुपूरक	1,28			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	35,01	35,01	8,88	- 26,13
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				26,13

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
मू.	32,46.40	26,93.12	26,92.26	- 0.86
पु.	- 5,53.28			

₹ 5,53.28 की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति (45), मृत्यु (6), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (1), स्थानान्तरण (03) के कारण 55 पदों के रिक्त रहने, (ii) वर्ष के दौरान समयोपरि राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी नहीं होने तथा (iii) आपूर्ति में देरी के कारण सामग्री का भुगतान रोकने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 045 - राज्य कर्मचारियों को ऋण  
(समस्त दत्तमत)**

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>पूंजी</b>			
मूल	9	..	- 9
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			9

### अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,  
 2701. मध्यम सिंचाई और  
 2702. लघु सिंचाई  
 पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	19,61,26,79	20,44,94,74	19,53,83,55
अनुपूरक	83,67,95		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 91,11,19
<b>प्रभारित</b>			
मूल	8	3,94,97	3,90,93
अनुपूरक	3,94,89		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 4,04
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	15,03,68,37	15,03,68,48	12,64,09,50
अनुपूरक	11		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 2,39,58,98
<b>प्रभारित</b>			
मूल	2	32,13	32,10
अनुपूरक	32,11		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			- 3
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>			

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 91,11.19 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,82,88.54 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- ₹ 91,11.19 लाख की अंतिम बचत के सन्दर्भ में, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 83,67.95 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय			
[04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी			
मू.	3,50.00	1,32.97	1,32.97
पु.	- 2,17.03		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,17.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[01] दाहिनी मुख्य नहर से स्थानान्तरित प्रोरेटा			
मू.	1,11.94	..	..
पु.	- 1,11.94		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,11.94 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के परिणामस्वरूप कार्य पर आनुपातिक व्यय का समायोजन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था और 2013-14 से 2016-17 तक प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ था।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[02] अनुरक्षण व्यय			
मू.	11,32.06	9,68.43	9,68.42
पु.	- 1,63.63		
₹ 1,63.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	20,24.39	17,51.70	17,51.64
पु.	- 2,72.69		
₹ 2,72.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर परियोजना कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी			
मू.	4,95.00		
पु.	- 1,95.42		
		2,99.58	2,92.72
			- 6.86

31 मार्च 2017 को ₹ 1,95.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (03) हरिके बैरेज
- [01] अन्य रखरखाव व्यय

मू.	1,50.00		
अ.	36,54.65		
पु.	- 4,95.26		

33,09.39

33,09.39

..

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 36,54.65 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर फीडर के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2017 को ₹ 4,95.26 लाख का प्रावधान रखरखाव एवं मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय

मू.	8,64.57		
पु.	- 1,00.00		

7,64.57

7,64.57

..

31 मार्च 2017 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता,  
जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (02) राजस्व कर्मचारी वर्ग

मू.	3,28.52		
पु.	- 1,24.79		

2,03.73

2,03.72

- 0.01

31 मार्च 2017 को ₹ 1,24.79 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) राजस्थान में रखरखाव			
[04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी			
मू.	3,75.00		
पु.	- 2,44.32	1,30.68	1,30.68
31 मार्च 2017 को ₹ 2,44.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[01] निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	23,83.03	20,35.47	20,35.43
पु.	- 3,47.56		- 0.04
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] अधीक्षण			
मू.	13,00.58	10,38.93	10,38.91
पु.	- 2,61.65		- 0.02
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[03] निष्पादन			
मू.	76,85.15	65,31.47	65,27.19
पु.	- 11,53.68		- 4.28
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 17,62.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
006. गुण नियंत्रण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन जयपुर			
[01] अधीक्षण			
मू.	4,32.62	2,62.63	2,62.64
पु.	- 1,69.99		+ 0.01

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
006. गुण नियंत्रण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	9,45.30	6,80.75	6,80.75
पु.	- 2,64.55		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,34.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) उपनिवेशन योजनाएँ			
मू.	17,09.90	13,97.75	13,97.64
अ.	0.01		
पु.	- 3,12.16		

₹ 3,12.16 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] शीर्ष 2701-80 साधारण से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	12,41.50	9,82.06	1,83.57
पु.	- 2,59.44		

31 मार्च 2017 को ₹ 2,59.44 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से कम हुआ परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 7,98.49 लाख की अंतिम बचत रही।

01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(05) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से			
मू.	25,25.30	3,78.57	3,77.17
पु.	- 21,46.73		

₹ 21,46.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय			
[02] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	1,50.00	1,99.96	3,38.32 + 1,38.36
पु.	49.96		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49.96 लाख की अतिरिक्त निधियां रखरखाव एवं मरम्मत पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,38.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)				
799. उच्चत				
(02) भाखरा व्यास प्रबंधक मण्डल				
मू.	1,10.00	1,10.00	2,89.82	+ 1,79.82

₹ 1,79.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य व्यय				
(01) राणा प्रताप सागर बांध				
[01] अन्य व्यय				
मू.	0.01	2,39.66	2,37.26	- 2.40
पु.	2,39.65			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,39.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य व्यय				
(02) जवाहर सागर बांध				
[01] अन्य व्यय				
अ.	0.01	1,23.14	98.93	- 24.21
पु.	1,23.13			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,23.13 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमानों से कम हुआ परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 24.21 लाख की अंतिम बचत रही।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
मू.	3,60.00	8,24.35	8,24.35
पु.	4,64.35		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,64.35 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)  
101. रखरखाव और मरम्मत  
(02) माधोपुर व्यास लिंक  
[01] अन्य रखरखाव व्यय

मू.	75.00	14,03.00	14,03.00	..
पु.	13,28.00			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,28.00 लाख की अतिरिक्त निधियां माधोपुर व्यास लिंक के रखरखाव कार्य के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(01) निष्पादन (यूनिट-1)

मू.	5,99.48	7,12.16	7,10.59	- 1.57
पु.	1,12.68			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,12.68 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता,  
जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से  
101. रखरखाव और मरम्मत  
(02) पंजाब सरकार को देय अंशदान  
[01] अन्य रखरखाव व्यय

मू.	80.00	10,59.70	10,59.70	..
पु.	9,79.70			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,79.70 लाख की अतिरिक्त निधियां पंजाब में बीकानेर नहर के विशेष रखरखाव कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	15,93.51		
पु.	1,64.06		
		17,57.57	17,48.82
			- 8.75

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,64.06 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमानों से कम हुआ परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 8.75 लाख की अंतिम बचत रही।

64. परवन लिफ्ट योजना (अवाणिज्यिक)  
101. रखरखाव और मरम्मत  
(01) निष्पादन  
[01] अन्य रखरखाव व्यय

मू.	1,52.50		
पु.	3,74.92		
		5,27.42	5,27.42
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,74.92 लाख की अतिरिक्त निधियां रखरखाव कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)  
800. अन्य व्यय  
(01) अन्य व्यय

मू.	11,51.64		
पु.	1,14.86		
		12,66.50	12,33.32
			- 33.18

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,14.86 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमानों से कम हुआ परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 33.18 लाख की अंतिम बचत रही।

80. सामान्य  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(01) जिला परिषदों को अनुदान  
[01] संस्थापन व्यय

मू.	2,95.00		
पु.	1,15.00		
		4,10.00	4,10.00
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,15.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य हेतु जिला परिषदों को जिला स्तर की पंचायतों हेतु अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय			
मू.	6,80.00	8,58.82	8,58.13
पु.	1,78.82		- 0.69

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,78.82 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौती/आवर्द्धन अत्यधिक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय			
मू.	71,18.68	..	51,31.21
पु.	- 71,18.68		+ 51,31.21

31 मार्च 2017 को ₹ 71,18.68 लाख का समस्त प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन कार्य परिव्यय के अनुसार किया गया जिसके परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 51,31.21 लाख का व्यय बिना प्रावधान के प्रदर्शित रहा।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य			
मू.	76,31.19	..	70,97.32
पु.	- 76,31.19		+ 70,97.32

31 मार्च 2017 को ₹ 76,31.19 लाख का समस्त प्रावधान भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 11,82.76 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 64,48.43 लाख) किया गया। यद्यपि, भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड को वास्तविक भुगतान किया गया परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 70,97.32 लाख का व्यय बिना प्रावधान के प्रदर्शित रहा।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से			
मू.	6,24.28		
अ.	13,50.28	27,29.45	8,29.59
पु.	7,54.89		- 18,99.86

मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 13,50.28 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु लिया गया तथा तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,54.89 लाख का प्रावधान इसी उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराया गया। अनुपूरक अनुदान एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ली गयी निधियां अत्यधिक थी क्योंकि पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से कम था, परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 18,99.86 लाख की अंतिम बचत रही।

5. **उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के अनुदान संख्या "019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (3) में स्पष्ट की गयी है।

2016-17 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नाम (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नाम	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नाम (+) जमा (-)
<i>(₹ लाख में)</i>				
<b>राजस्व *</b>				
स्टॉक	(+ 4,89.02	1,44.07	1,31.74	(+ 5,01.35
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 2,80.25	1,45.75	1,40.39	(+ 2,85.61
<b>योग</b>	<b>(+ 7,69.27</b>	<b>2,89.82</b>	<b>2,72.13</b>	<b>(+ 7,86.96</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

### पूंजी

#### दत्तमत

- ₹ 2,39,58.98 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 7,06.21 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 2,28,96.72 लाख, ₹ 2,79,18.12 लाख, ₹ 2,11,68.34 लाख, ₹ 2,94,27.93 लाख तथा ₹ 2,39,58.98 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 15.93 प्रतिशत से 28.22 प्रतिशत के बीच थी। 2012-15 के दौरान बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण बतायी गयी। 2015-17 के दौरान बचत हेतु विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[01] मुख्य नहर			
मू.	40,00.00	1,70.43	1,67.59
पु.	- 38,29.57		

31 मार्च 2017 को ₹ 38,29.57 लाख का प्रावधान ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[03] मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी मुख्य नहर (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से) स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,89.55	20.41	..
पु.	- 1,69.14		

31 मार्च 2017 को ₹ 1,69.14 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। समायोजन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाता है। यद्यपि, विभाग द्वारा आनुपातिक व्यय का समायोजन नहीं किये जाने के कारण ₹ 20.41 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोगी रहा। विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[10] जल निकास			
मू.	6,01.00	80.38	80.38
पु.	- 5,20.62		

31 मार्च 2017 को ₹ 5,20.62 लाख का प्रावधान ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	80,30.00	11,91.64	11,91.64
पु.	- 68,38.36		

31 मार्च 2017 को ₹ 68,38.36 लाख का प्रावधान ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,72.91 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 58,65.45 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर) [05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण	मू. 47,65.31 पु. - 44,35.02	3,30.29	3,29.12 - 1.17

31 मार्च 2017 को ₹ 44,35.02 लाख का प्रावधान ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 13.95 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 44,21.07 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(02) द्वितीय चरण  
[01] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,  
बिकानेर के माध्यम से

मू. 56,03.80 पु. - 18,04.33	37,99.47	37,94.13	- 5.34
--------------------------------	----------	----------	--------

₹ 18,04.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के बाद निचले स्तर पर पदों के रिक्त रहने, (ii) वित्त विभाग द्वारा वेतनमान की स्वीकृति न मिलने से ग्राउंड्स मैन, वॉच मैन एवं गार्डनर को चयनित वेतनमान के बकाया का भुगतान न होने, (iii) कार्यों की धीमी प्रगति, (iv) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा निविदाएं स्वीकृत नहीं करने तथा (v) आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

₹ 5.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(02) द्वितीय चरण  
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना  
(नोहर सावा लिफ्ट योजना)

मू. 41,14.91 पु. - 17,58.21	23,56.70	23,56.69	- 0.01
--------------------------------	----------	----------	--------

31 मार्च 2017 को ₹ 17,58.21 लाख का प्रावधान (i) विद्युत की कम आपूर्ति क्योंकि तीन समूहों में से केवल एक समूह द्वारा जल आपूर्ति करने, (ii) नहरों की निविदा प्रक्रिया में देरी तथा (iii) निविदा प्रक्रिया/निविदा की स्वीकृति में देरी होने से कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन के लिए कार्य निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(02) द्वितीय चरण  
[17] डा. करणी सिंह जलोत्थान योजना  
(कोलायत लिफ्ट योजना)

मू. 20,28.48 पु. - 2,67.75	17,60.73	17,60.70	- 0.03
-------------------------------	----------	----------	--------

₹ 2,67.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निविदा प्रक्रिया में देरी तथा निर्माण कार्य में देरी के कारण जुमाने की कटौती को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[21] जय नारायण व्यास जलोत्थान योजना (पोकरण लिफ्ट योजना)			
मू.	5,13.29		
पु.	- 2,44.74	2,68.55	2,67.63
₹ 2,44.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			- 0.92
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	52,28.17		
पु.	- 13,91.03	38,37.14	38,26.33
₹ 13,91.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) चयन ग्रेड पे की स्वीकृति न होने के कारण बकाया बिलों का भुगतान न होने, (ii) वित्त विभाग द्वारा वेतनमान की स्वीकृति न मिलने के कारण ग्राउण्डस मैन, वॉचमैन, स्वीपर एवं गार्डनर के चयनित वेतनमान के बकाया का भुगतान न होने, (iii) तकनीकी स्टॉफ, सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं के 74 स्वीकृत पदों में से 67 पदों के रिक्त रहने से निर्माण बाधित होने तथा (iv) रामगढ़ ओपन माइनर के लिए जमीन अधिग्रहण न होने से कार्य निष्पादन न होने को आरोपित की गयी।			- 10.81
₹ 10.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य जल उत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	30,00.00		
पु.	- 30,00.00	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 30,00.00 लाख का समस्त प्रावधान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन में कार्य परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 29,99.99 लाख) किया गया।			
2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित एवं अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[02] पन्ना लाल बारूपाल जल उत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00	..	..



## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[03] डा. करणीसिंह जल उत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)			
मू.	7,00.00	..	..
पु.	- 7,00.00	..	..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[08] वीर तेजाजी लिफ्ट			
मू.	2,13.93	..	..
पु.	- 2,13.93	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 14,13.93 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबन्धन में परिवर्तन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2015-16 के दौरान, शीर्ष "4700-04-001-(03) [02]" के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया तथा 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान भी शीर्ष "4700-04-001-(03) [03]" के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण			
मू.	64,59.50	56,43.84	56,41.63 - 2.21
पु.	- 8,15.66		
₹ 8,15.66 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[02] सेम निवारण कार्य			
मू.	9,00.00	50.00	50.00 ..
पु.	- 8,50.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 8,50.00 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) मुख्य नहर (कि.मी. 74 से कि.मी. 189 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण			
मू.	8,20.00		
पु.	- 7,95.49	24.51	24.49
			- 0.02
31 मार्च 2017 को ₹ 7,95.49 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उंचत			
(02) द्वितीय चरण			
[05] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	2,66.40		
पु.	- 2,66.40	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,66.40 लाख का समस्त प्रावधान रामगढ़ ओपन माइनर के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के परिणामतः पी.सी.सी. ब्लॉक का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] पंजाब में इंदिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय ( मुख्य अभियंता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)			
मू.	16,44.00		
पु.	- 16,44.00	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 16,44.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा इंदिरा गांधी फीडर के पंजाब हिस्से में रि-लाईनिंग कार्यों के निष्पादन नहीं किए जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[02] गुजरात सरकार का निर्माण कार्य में हिस्सा राशि			
मू.	25,00.00		
पु.	- 20,00.00	5,00.00	5,00.00
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) रतनपुरा वितरिका			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	4,00.00		
पु .	- 3,23.16	76.84	76.84
31 मार्च 2017 को ₹ 3,23.16 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)			
मू .	1,48,83.40		
पु .	- 1,45,06.12	3,77.28	17.09
31 मार्च 2017 को ₹ 1,45,06.12 लाख का प्रावधान परवन परियोजना पर आनुपातिक व्यय का समायोजन न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 3,60.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट			
फोर डेजर्ट एरिया			
मू .	4,46.56		
पु .	- 4,46.56	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,46.56 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू .	2,04.00		
पु .	- 1,81.03	22.97	19.70
31 मार्च 2017 को ₹ 1,81.03 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	6,37.86		
		3,53.05	2,99.36
पु.	- 2,84.81		- 53.69

31 मार्च 2017 को ₹ 2,84.81 लाख का प्रावधान कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से कम हुआ परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 53.69 लाख की अंतिम बचत रही।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	27,84.85		
		22,56.63	22,56.63
पु.	- 5,28.22		..

31 मार्च 2017 को ₹ 5,28.22 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	7,52.00		
		4,97.17	5,23.12
पु.	- 2,54.83		+ 25.95

31 मार्च 2017 को ₹ 2,54.83 लाख का प्रावधान कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक हुआ परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 25.95 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	17,48.94		
		12,77.92	12,64.19
पु.	- 4,71.02		- 13.73

31 मार्च 2017 को ₹ 4,71.02 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 13.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	7,95.62		
पु.	- 5,09.57	2,86.05	2,93.06 + 7.01
31 मार्च 2017 को ₹ 5,09.57 लाख का प्रावधान कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक हुआ परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7.01 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	47,84.85		
पु.	- 20,54.89	27,29.96	24,35.18 - 2,94.78
31 मार्च 2017 को ₹ 20,54.89 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,33.44 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,21.45 लाख) किया गया।			
₹ 2,94.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[02] मुख्य लेखा शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	13,42.15		
पु.	- 7,62.09	5,80.06	5,64.52 - 15.54
31 मार्च 2017 को ₹ 7,62.09 लाख का प्रावधान कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से कम हुआ परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 15.54 लाख की अंतिम बचत रही।			
101. सतही जल			
(10) जल संग्रहण संरचना (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	22,83.40		
पु.	- 22,83.40	..	.. ..
31 मार्च 2017 को ₹ 22,83.40 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
101. सतही जल			
(10) जल संग्रहण संरचना (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	6,16.60		
पु.	- 6,16.60	..	.. ..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,16.60 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से)			
मू.	4,10.23	65.53	65.53
पु.	- 3,44.70		..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,44.70 लाख का प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

800. अन्य व्यय

(09) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम  
(यूरोपियन कमीशन) (मुख्य अभियन्ता,  
एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से)

[01] निर्माण कार्य

मू.	8,42.00	6,21.96	6,21.96	..
पु.	- 2,20.04			

31 मार्च 2017 को ₹ 2,20.04 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

47111. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01. बाढ़ नियंत्रण

103. सिविल निर्माण कार्य

(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य

[03] अन्य जिले

मू.	27,49.99	21,74.62	21,88.76	+ 14.14
पु.	- 5,75.37			

31 मार्च 2017 को ₹ 5,75.37 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 14.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उचंत			
(01) उचंत			
..	..	1,03.39	+ 1,03.39

बिना प्रावधान के ₹ 1,03.39 लाख का व्यय किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलोदी लिफ्ट योजना)			
मू.	7,61.21		
		10,08.92	10,08.91
पु.	2,47.71		- 0.01

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,47.71 लाख की अतिरिक्त निधियां पंपिंग स्टेशन से जल आपूर्ति में वृद्धि के कारण विद्युत् पर अधिक व्यय एवं नये कृषि योग्य कमान क्षेत्र हेतु उपलब्ध करायी गयी।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन  
(सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)
- [01] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट

अ .	0.01		
		28,45.11	28,45.10
पु .	28,45.10		- 0.01

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,45.10 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के तहत फव्वारा सिंचाई प्रणाली की स्वीकृति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (02) निर्माण कार्य
- [01] राजस्थान में निर्माण कार्य

मू.	15,01.40		
		19,42.83	19,41.38
पु .	4,41.43		- 1.45

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,41.43 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
- [01] राजस्थान में निर्माण कार्य

मू.	17,40.94		
		42,73.04	42,73.02
पु .	25,32.10		- 0.02

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,32.10 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[03] नर्बदा प्राधिकरण की हिस्सा राशि			
मू.	1,75.00	3,75.00	3,75.00
पु.	2,00.00		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) राजस्थान में निर्माण कार्य			
[01] आधुनिकीकरण			
मू.	8,04.98	12,18.91	12,14.26
पु.	4,13.93		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,13.93 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			- 4.65
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,27,16.60	4,72,45.62	4,72,45.62
पु.	1,45,29.02		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,45,29.02 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			..
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	6,80.00	8,56.11	8,64.11
पु.	1,76.11		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,76.11 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			+ 8.00
₹ 8.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) निर्माण कार्य				
मू.	12,50.99	27,04.46	26,98.58	- 5.88
पु.	14,53.47			
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,53.47 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।				
₹ 5.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।				
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना				
मू.	4,66.08	5,77.73	6,25.58	+ 47.85
पु.	1,11.65			
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,11.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमान से अधिक हुआ परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 47.85 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।				
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	5,36.00	15,87.99	15,50.46	- 37.53
पु.	10,51.99			
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,51.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।				
₹ 37.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।				
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
101. सतही जल				
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण				
[01] निर्माण कार्य				
मू.	8,94.76	17,32.97	17,27.22	- 5.75
पु.	8,38.21			

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(04) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य (मरूस्थल प्रदेश में)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,22.83	5,64.17	5,64.17
पु.	2,41.34		
101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	57,79.54	1,34,18.88	1,34,02.51
पु.	76,39.34		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 87,18.89 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "4702-101(03) [01] और (09) [01] " के अंतर्गत ₹ 22.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

101. सतही जल  
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)  
[02] मुख्य शीर्ष 2701- से स्थानान्तरित  
आनुपातिक व्यय

मू.	15,60.67	27,51.07	31,06.93	+ 3,55.86
पु.	11,90.40			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,90.40 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक हुआ परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,55.86 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	13,72.14	15,77.17	12,91.37
पु.	2,05.03		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,05.03 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,85.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)**

6. **उचन्त लेन-देन** : 2016-17 में अनुदान के पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
<i>(₹ लाख में)</i>				
<b>पूंजी *</b>				
स्टॉक	(-) 42,29.21	11,53.01	11,19.90	(-) 41,96.10
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 22,43.32	13,59.42	19,08.92	(-) 27,92.82
<b>योग</b>	<b>(-) 64,72.53</b>	<b>25,12.43</b>	<b>30,28.82</b>	<b>(-) 69,88.92</b>

- \* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त संव्यवहार सम्मिलित हैं ।

### अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन  
 पूंजी - 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	59,94,73	66,77,10	65,14,08	- 1,63,02
अनुपूरक	6,82,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,63,02
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	49,12,67	49,12,67	21,08,20	- 28,04,47
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				28,04,46

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 1,63.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 6,82.37 लाख का प्रावधान मुख्यतः पर्यटक सूचना तथा प्रचार हेतु विपणन अभियान पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- बचत (अनुदान के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
800. अन्य व्यय				
(05) आई.टी.परियोजना				
मू.	2,00.00	28.11	28.11	..
पु.	- 1,71.89			

## अनुदान संख्या 047 – (समाप्त)

₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान सूचना व तकनीकी आधारभूत मदें, सी.सी.टी.वी. निगरानी मदें तथा आन्तरिक/बाहरी एल.ई.डी. की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 1,71.89 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा मदों में कटौती करने तथा फर्मों द्वारा कार्य आदेश के अनुसार मदों की आपूर्ति न किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 32.11 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,39.78 लाख) किया गया।

### पूंजी

#### दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू. 29,42.02	9,75.10	9,75.10	..
पु. - 19,66.92			

31 मार्च 2017 को ₹ 19,66.92 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरण द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति तथा आमेर में फाउंटैन का संचालन तथा आमेर (सागर) में अन्य विकास कार्यों को निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू. 18,70.61	10,61.63	10,61.63	..
पु. - 8,08.98			

31 मार्च 2017 को ₹ 8,08.98 लाख का प्रावधान सांभर परियोजना विकास से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति तथा ग्रामीण पर्यटन पर कार्यकारी संस्था द्वारा कार्यों के कम निष्पादन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 048 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2801. बिजली और  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा  
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
मूल	1,46,23,67,71		
अनुपूरक	4,11,48,24	1,50,35,15,95	1,36,06,55,39 - 14,28,60,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			14,28,60,56
<b>पूंजी</b>			
मूल	98,47,96,60		
अनुपूरक	13,08,55,99	1,11,56,52,59	1,09,72,46,75 - 1,84,05,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,84,05,84

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

1. मार्च 2017 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,11,48.24 लाख का प्रावधान विद्युत् कम्पनियों को विद्युत् प्रभारों में वृद्धि न किये जाने की एवज में सहाय्य जारी करने हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी अपराध के कम्पाउन्डिंग की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम को अनुदान			
मू.	7,94.76	..	..
पु.	- 7,94.76	..	..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी अपराध के कम्पाउन्डिंग की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम को अनुदान			
मू.	9,00.00	..	..
पु.	- 9,00.00	..	..

**अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी अपराध के कम्पाउन्डिंग की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम को अनुदान			
मू.	5,52.00	..	..
पु.	- 5,52.00	..	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 22,46.76 लाख का समस्त प्रावधान इन विद्युत् कम्पनियों द्वारा चक्रवृद्धि प्रभार के लेखे राशि जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(34) विद्युत् कर हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	6,17,30.00	..	..
पु.	- 6,17,30.00	..	..

31 मार्च 2017 को ₹ 6,17,30.00 लाख का समस्त प्रावधान जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत् कर जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप अनुदानों के जारी न किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,91,85.57 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,25,44.43 लाख) किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(34) विद्युत् कर हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	3,60,00.00	..	..
पु.	- 3,60,00.00	..	..

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(34) विद्युत् कर हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	4,38,05.00	..	..
पु.	- 4,38,05.00	..	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 7,98,05.00 लाख का समस्त प्रावधान जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत् कर जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप अनुदानों के जारी न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(39) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से प्राप्त अनुदान			
[01] राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	2,03,66.00	..	..
पु.	- 2,03,66.00		

31 मार्च 2017 को ₹ 2,03,66.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के अन्तर्गत भारत सरकार से राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा सीधे ही अनुदान प्राप्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
102. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा			
(01) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	17,06.63	4,49.72	4,49.72
पु.	- 12,56.91		..

31 मार्च 2017 को ₹ 12,56.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(32) ब्याज अनुदान			
[02] राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड			
मू.	0.01	18,98.46	18,98.46
पु.	18,98.45		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,98.45 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य सरकार से लिये गये ऋणों के ब्याज के भुगतान हेतु राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड को ब्याज सहाय्य जारी करने के लिये उपलब्ध करायी गयी।



**अनुदान संख्या 048- (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(36) विद्युत् दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	20,30,35.05		
अ.	1,65,31.81	22,53,35.82	22,53,35.82
पु.	57,68.96		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(36) विद्युत् दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	18,51,23.63		
		20,00,00.65	20,00,00.65
पु.	1,48,77.02		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,06,45.98 लाख की अतिरिक्त निधियां बिजली शुल्क की दरों में वृद्धि के पश्चात् कृषि क्षेत्र हेतु अधिक शुल्क सहाय्य के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 049 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को  
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं  
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	33,76			
अनुपूरक	..	33,76	6,34	- 27,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				27,43

**अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और**

**2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

**पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	25,06,38,45	25,06,38,46	14,99,84,81	- 10,06,53,65
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				10,06,53,65
<b>पूंजी</b>				
मूल	71,44,80	71,44,80	71,44,80	..
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

- वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 60,69.06 लाख, ₹ 57,43.06 लाख, ₹ 12,21,59.91 लाख, ₹ 7,39,00.96 लाख तथा ₹ 10,06,53.65 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 14.97 प्रतिशत से 40.16 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>2505. ग्राम रोजगार</b>				
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) इंदिरा आवास योजना				
[03] अनुदान ( राज्यांश)				
मू.	1,24,63.50	24,12.84	24,12.84	..
पु.	- 1,00,50.66			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,00,50.66 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 050 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	23,55,76.94	11,23,22.41	11,23,22.41
पु.	- 12,32,54.53		..

31 मार्च 2017 को ₹ 12,32,54.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 8,91,77.31 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,40,77.22 लाख) किया गया।

02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)  
800. अन्य व्यय  
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं  
[01] कार्यकलाप संबंधी

मू.	10,00.01	8,14.37	8,14.37	..
पु.	- 1,85.64			

₹ 1,85.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना को निधियों का हस्तांतरण होने को आरोपित की गयी।

60. अन्य कार्यक्रम  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) स्टेट बी.पी.एल. परिवार हेतु आवास  
[01] कार्यकलाप संबंधी

मू.	15,75.00	5,90.45	5,90.45	..
पु.	- 9,84.55			

31 मार्च 2017 को ₹ 9,84.55 लाख का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत पूर्व में चयनित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभान्वित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)			
अ .	0.01	3,38,35.87	3,38,35.87
पु .	3,38,35.86		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,38,35.86 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,  
 2029. भू-राजस्व,  
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,  
 2041. वाहन कर,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2203. तकनीकी शिक्षा,  
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,  
 2205. कला एवं संस्कृति,  
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
 2211. परिवार कल्याण,  
 2216. आवास,  
 2217. शहरी विकास,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
 2236. पोषण,  
 2401. फसल कृषि-कर्म,  
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,  
 2403. पशु-पालन,  
 2405. मछली-पालन,  
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,  
 2425. सहकारिता,  
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
 2505. ग्राम रोजगार,  
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,  
 2701. मध्यम सिंचाई,  
 2702. लघु सिंचाई,  
 2705. कमान क्षेत्र विकास,  
 2801. बिजली,  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,  
 2852. उद्योग,  
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,  
 3055. सड़क परिवहन,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,  
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,  
 3452. पर्यटन,  
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
 3456. सिविल पूर्ति और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े  
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6216. आवास के लिए कर्ज,  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	95,49,48,85	95,49,49,00	83,04,44,40	- 12,45,04,60
अनुपूरक	15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	59,88,14,78	59,88,15,00	54,12,04,76	- 5,76,10,24
अनुपूरक	22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				
5,75,81,41				

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 12,45,04.60 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,13.21 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
2. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,95,65.11 लाख, ₹ 2,62,25.90 लाख, ₹ 16,54,41.49 लाख, ₹ 9,04,52.81 लाख तथा ₹ 12,45,04.60 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.98 प्रतिशत से 26.84 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा ।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग के माध्यम से			
[01] भू-प्रबन्ध विभाग का आधुनिकीकरण 50:50			
मू.	37,35.42		
पु.	- 30,96.11	6,39.31	6,39.31
			..

31 मार्च 2017 को ₹ 30,96.11 लाख का प्रावधान (i) डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 01.04.2016 से केन्द्र सेक्टर योजना में परिवर्तित होने तथा योजना का खर्च कार्यक्रम प्रबन्ध इकाई (पी एम यू) के बचत बैंक खाते के माध्यम से होने तथा (ii) सर्वेक्षण/पुनःसर्वेक्षण कार्य समय पर न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2202. सामान्य शिक्षा
01. प्रारम्भिक शिक्षा
111. सर्व शिक्षा अभियान
- (02) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)

मू.	8,43,85.07		
पु.	- 88,22.02	7,55,63.05	7,55,63.05
			..

₹ 88,22.02 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनर्भरण

मू.	76,53.00		
पु.	- 13,53.44	62,99.56	62,99.56
			..

31 मार्च 2017 को ₹ 13,53.44 लाख का प्रावधान आठवीं बोर्ड की परीक्षा के आयोजन पर वास्तविक व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	69,00.00	18,75.10	18,74.27
पु.	- 50,24.90		- 0.83

31 मार्च 2017 को ₹ 50,24.90 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. माध्यमिक शिक्षा  
107. छात्रवृत्तियां  
(14) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

मू.	12,00.00	6,39.27	6,39.27	..
पु.	- 5,60.73			

31 मार्च 2017 को ₹ 5,60.73 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान  
[02] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए

मू.	2,68,96.00	1,06,22.10	1,06,21.98	- 0.12
पु.	- 1,62,73.90			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,62,73.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 80,72.49 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 82,01.41 लाख ) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

02. माध्यमिक शिक्षा  
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय  
(08) बालिका छात्रावास  
[02] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जातियों के लिए

मू.	16,04.00	12,12.64	12,12.64	..
पु.	- 3,91.36			

31 मार्च 2017 को ₹ 3,91.36 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[02] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	65,85.03	60,22.94	60,22.94
पु.	- 5,62.09		
₹ 5,62.09 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[03] व्यावसायिक शिक्षा			
मू.	6,34.57	4,08.16	4,08.16
पु.	- 2,26.41		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,26.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साईकिल का वितरण			
मू.	15,00.00	5,12.62	5,12.62
पु.	- 9,87.38		
31 मार्च 2017 को ₹ 9,87.38 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) लेपटोप वितरण			
मू.	10,50.00	4,83.37	4,83.37
पु.	- 5,66.63		
31 मार्च 2017 को ₹ 5,66.63 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	8,81.52	6,64.31	6,64.31
पु.	- 2,17.21		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,17.21 लाख का प्रावधान मुख्यतः नये राजकीय महाविद्यालयों में पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	35,00.02	15,60.00	15,60.00
पु.	- 19,40.02		..
31 मार्च 2017 को ₹ 19,40.02 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	8,22.46	51.00	51.00
पु.	- 7,71.46		..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,71.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2205. कला एवं संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	5,05.96	2,36.15	2,36.15
पु.	- 2,69.81		..
₹ 2,69.81 लाख की प्रत्याशित बचत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शिक्षा			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	3,94.78	1,52.00	1,52.00
पु.	- 2,42.78		..
₹ 2,42.78 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	23,09.04	9,63.37	9,63.37
पु.	- 13,45.67		..
31 मार्च 2017 को ₹ 13,45.67 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	3,25.10	..	..
पु.	- 3,25.10	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,25.10 लाख का समस्त प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा मशीनरी एवं उपकरण की कम आवश्यकता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	6,34.03	4,77.12	..
पु.	- 1,56.91	4,77.12	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,56.91 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	27,02.04	17,98.36	- 0.01
पु.	- 9,03.68	17,98.35	- 0.01
31 मार्च 2017 को ₹ 9,03.68 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मशीनरी एवं उपकरण की कम आवश्यकता तथा परिचालन वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	26,60.75	20,03.27	- 16.34
पु.	- 6,57.48	19,86.93	- 16.34
31 मार्च 2017 को ₹ 6,57.48 लाख का प्रावधान (i) नर्सिंग स्टाफ के पदों के रिक्त रहने, (ii) वजीफे का कम भुगतान क्योंकि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग से महाविद्यालय में अध्ययनरत चिकित्सकों के शिक्षा अवकाश की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा (iii) आयोजना सीमा में कटौती के कारण मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 16.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	18,53.91	13,65.91	..
पु.	- 4,88.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 4,88.00 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	48,00.02	36,00.00	..
पु.	- 12,00.02		
₹ 48,00.02 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अनुदान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 12,00.02 लाख का प्रावधान राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के पास निधि की निर्धारित सीमा से अधिक उपलब्ध गत वर्षों की अवशेष राशि का आधिक्य शेष के उपयोग के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	19,29.48	16,99.44	- 0.09
पु.	- 2,30.04		
₹ 2,30.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	9,36.00	..	..
पु.	- 9,36.00		

31 मार्च 2017 को ₹ 9,36.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार/राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 5,97.43 लाख का प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70)			
मू.	6,93.00		
पु.	- 1,73.25	5,19.75	5,19.75 ..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,73.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	15,15.55		
पु.	- 11,06.09	4,09.46	4,09.46 ..
31 मार्च 2017 को ₹ 11,06.09 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) (15:85)			
मू.	2,84,70.00		
पु.	- 19,67.90	2,65,02.10	2,65,02.10 ..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	20,95.05		
पु.	- 16,71.72	4,23.33	4,23.33 ..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 36,39.62 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	11,80.50		
पु.	- 6,45.19	5,35.31	5,35.31 ..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,45.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[07] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	1,80.02	..	..
पु.	- 1,80.02		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,80.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[09] जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	1,90.00	27.09	..
पु.	- 1,62.91		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,62.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	2,85.28	89.15	..
पु.	- 1,96.13		
31 मार्च 2017 को ₹ 1,96.13 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना			
मू.	41,30.58	4,11.43	..
पु.	- 37,19.15		
31 मार्च 2017 को ₹ 37,19.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	5,18.67		
		3,38.01	
पु.	- 1,80.66		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,80.66 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)			
(10:10:80)			
[02] विकास कार्य			
मू.	25,19.38		
		11,07.51	
पु.	- 14,11.87		..
31 मार्च 2017 को ₹ 14,11.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(32) जल एवं सीवरेज परियोजना			
[02] जल एवं सीवरेज परियोजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	12,99.40		
		10,85.80	
पु.	- 2,13.60		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,13.60 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	32,03.81		
		23,43.76	
पु.	- 8,60.05		..
₹ 8,60.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) संबल ग्रामों का विकास			
मू.	40,60.00	..	..
पु.	- 40,60.00		

31 मार्च 2017 को ₹ 40,60.00 लाख का समस्त प्रावधान संबल ग्रामों के विकास हेतु अनुदान जारी न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

वर्ष 2015-16 के दौरान भी, ₹ 40,60.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) अनुसूचित जाति के लिए सहयोग योजना अंतर्गत अनुदान			
मू.	7,00.00	3,49.15	3,49.15
पु.	- 3,50.85		..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,50.85 लाख का प्रावधान सहयोग योजना के अन्तर्गत अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	18,00.00	14,17.50	14,17.50
पु.	- 3,82.50		..

31 मार्च 2017 को ₹ 3,82.50 लाख का प्रावधान अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन हेतु अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	5,40.00	2,91.76	2,91.76
पु.	- 2,48.24		..

31 मार्च 2017 को ₹ 2,48.24 लाख का प्रावधान बेरोजगारी भत्ता हेतु लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[04] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	4,00.00		
		1,42.76	1,42.76
पु.	- 2,57.24		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,57.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	3,50.00		
		..	..
पु.	- 3,50.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मिशन ग्राम्य शक्ति योजना</i> के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान भी, समस्त अनुमानित प्रावधान निरन्तर अभ्यर्पित किया गया।

2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[14] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	6,40.00		
		1,73.49	1,73.49
पु.	- 4,66.51		..
₹ 6,40.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।			

31 मार्च 2017 को ₹ 4,66.51 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) पॉली प्रोपलिन केमिकल एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों का प्रकोप इकॉनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने तथा (iii) पम्प सेट पर अनुदान केवल उन कृषकों को जारी की गयी जिनके पास फार्म पोण्ड है परिणामस्वरूप अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	40,00.00	24,03.74	24,03.74
पु.	- 15,96.26		..

₹ 40,00.00 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध सुरक्षा उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, बायोफर्टिलाइजर वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2017 को ₹ 15,96.26 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने, (ii) दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित बीज का कम वितरण, (iii) पॉलीप्रोपलीन केमिकल्स एवं बायोएजेन्ट घटक में कीट/बीमारियों के प्रकोप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम होने के कारण प्रावधान का उपयोग नहीं होने, (iv) फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम में अन्य योजनाओं की तुलना में कम मात्रा में अनुदान के कारण लाभार्थी किसानों की संख्या कम रहने तथा (v) पम्प सेट पर अनुदान केवल उन कृषकों को जारी की गयी जिनके पास फार्म पॉड है परिणामतः अनुदान कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज

मू.	9,97.69	4,19.33	4,19.33	..
पु.	- 5,78.36			

₹ 9,97.69 लाख का प्रावधान फसल प्रदर्शन, पौध संरक्षण उपकरण का वितरण, पौध सुरक्षा रसायन, जिप्सम वितरण, मोटे अनाजों का प्रदर्शन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण द्वारा फसलों की उपज तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2017 को ₹ 5,78.36 लाख का प्रावधान (i) बाजरा, ज्वार, मक्का एवं जौ बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित एवं संकर बीजों का कम वितरण, (ii) बीजों की कम उपलब्धता को देखते हुए मक्का फसल वितरण का कम आयोजन तथा (iii) कलस्टर प्रदर्शन में प्रति इकाई कम लागत के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[18] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन

मू.	8,41.89	5,88.96	5,88.96	..
पु.	- 2,52.93			

31 मार्च 2017 को ₹ 2,52.93 लाख का प्रावधान (i) बाजरा, ज्वार, मक्का एवं जौ बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण प्रमाणित एवं संकर बीजों का कम वितरण, (ii) बीजों की कम उपलब्धता को देखते हुए मक्का फसल वितरण का कम आयोजन तथा (iii) कलस्टर प्रदर्शन में प्रति इकाई कम लागत के कारण अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं  
[20] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार

मू.	6,43.00	4,81.51	4,81.50	- 0.01
पु.	- 1,61.49			

31 मार्च 2017 को ₹ 1,61.49 लाख का प्रावधान तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा रुचि कम दिखाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	3,34.40		
पु.	- 2,48.93	85.47	85.47
31 मार्च 2017 को ₹ 2,48.93 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा विशेष घटक योजना के अन्तर्गत ऑन-लाइन आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[23] टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	2,70.00		
पु.	- 2,10.92	59.08	59.08
₹ 2,70.00 लाख का प्रावधान एकीकृत कृषि व्यवस्था द्वारा कृषि उत्पादकता, टिकाऊ, लाभदायक, जलवायु सहायक का निर्माण, मृदा तथा जल संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2017 को ₹ 2,10.92 लाख का प्रावधान (i) राज्य कार्य योजना 2016-17 का अक्टूबर 2016 में स्वीकृत होने के कारण खरीफ मौसमी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं होने तथा रबी कार्यक्रम में देरी तथा (ii) पशु मेले की समय अवधि समाप्त होने के कारण पशुओं का क्रय नहीं किया जा सका, जिसके कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[24] टिकाऊ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	3,05.40		
पु.	- 2,49.43	55.97	55.98 + 0.01
₹ 3,05.40 लाख का प्रावधान जिला स्तरीय प्रचार कार्य, नये प्रयोगशालाओं के विद्युत् तथा जल प्रभार पर व्यय तथा बाहरी ठेके द्वारा प्रयोगशालाओं के संचालन के भुगतान हेतु अनुमानित था।			
31 मार्च 2017 को ₹ 2,49.43 लाख का प्रावधान प्रयोगशालाओं के क्रमिक विकास/प्रयोगशालाओं के संचालन कार्य में देरी होने तथा मृदा नमूने के विश्लेषण लक्ष्यों से कम होने के परिणामस्वरूप कार्यकारी अभिकरणों द्वारा कार्य की महत्ता के आधार पर व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	6,16.17		
पु.	- 3,63.28	2,52.89	2,52.89
₹ 6,16.17 लाख का प्रावधान मुख्य परियोजना राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के गहन विस्तार हेतु अनुमानित था। इस योजना के अन्तर्गत क्लस्टर दृष्टिकोण तथा भागीदारी गारंटी प्रणाली प्रमाणन द्वारा जैविक गांवों का चयन द्वारा जैविक खेती को उन्नत किया जाता है।			
31 मार्च 2017 को ₹ 3,63.28 लाख का प्रावधान क्लस्टरों के निर्माण में देरी, जिला अधिकारियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन का प्रथम वर्ष होने से विभिन्न घटकों/गतिविधियों का क्रियान्वयन न करने तथा दरों का अनुमोदन न होने के कारण जैविक उत्पाद जैसे तरल बाँयो कीटनाशक, तरल जैविक खाद के उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[23] मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	10,12.50		
पु.	- 2,10.15	8,02.35	8,02.35
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,10.15 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[28] राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	56,47.00		
पु.	- 53,21.64	3,25.36	3,25.36
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 53,21.64 लाख का प्रावधान (i) परियोजना की पुनः संरचना में विलम्ब क्योंकि विश्व बैंक, राज्य सरकार तथा भारत सरकार के मध्य परियोजना में संशोधन एवं वित्तीय अनुबन्ध पर अगस्त 2016 में हस्ताक्षर होने, (ii) परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न खरीद में देरी के कारण परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन में देरी तथा (iii) विभिन्न गतिविधियां जैसे, नहरों का सुदृढीकरण, जल संग्रहण विकास, भू-जल प्रबन्धन तथा सोलर पम्प का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	17,02.83		
पु.	- 12,08.84	4,93.99	4,93.99
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 12,08.84 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	36,61.50		
पु.	- 32,38.18	4,23.32	4,23.32
			..
₹ 36,61.50 लाख का प्रावधान बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु जल बचाने तथा अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 32,38.18 लाख का प्रावधान कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनजातिय किसानों के लिए कोई विशेष अनुदान तय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	24,07.05	3,04.85	3,04.85
पु.	- 21,02.20		
₹ 24,07.05 लाख का प्रावधान सोलर एनर्जी आधारित पम्प प्रोजेक्ट के अन्तर्गत किसानों को वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 21,02.20 लाख का प्रावधान लघु कृषि योग्य भूमि कृषकों से प्रार्थना पत्र कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	36,74.99	25,90.93	25,90.93
पु.	- 10,84.06		
₹ 10,84.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार निधियां जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[03] पशु पालन विभाग के माध्यम से			
मू.	7,00.02	3,15.90	3,15.90
पु.	- 3,84.12		
31 मार्च 2017 को ₹ 3,84.12 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आवश्यकता तथा प्राथमिकता के अनुसार निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[03] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	5,56.61	3,48.37	3,48.37
पु.	- 2,08.24		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,08.24 लाख का प्रावधान (i) बीज उत्पादन कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा कम रुचि दिखाये जाने के कारण अनुदान कम जारी करने तथा (ii) चम्बल तथा आर.एल.डी.सी. के बंद होने के कारण जिप्सम परिवहन तथा वितरण करने वाली 4 संस्थाओं में से केवल 2 संस्थाओं द्वारा ही जिप्सम की आपूर्ति कम करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	10,80.01	..	..
पु.	- 10,80.01	..	..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[03] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	20,93.07	..	..
पु.	- 20,93.07		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 31,73.08 लाख का प्रावधान जल संसाधन, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण, कृषि तथा उद्यान विभाग के जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सम्मिलित करने हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 31,73.08 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा संबंधित विभागों को उनके वर्तमान लेखा शीर्ष के अन्तर्गत निधियां सीधे ही जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  
[04] भूसंरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से

मू.	53,99.99	16,84.00	16,84.00	..
पु.	- 37,15.99			

31 मार्च 2017 को ₹ 37,15.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## 2425. सहकारिता

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान

मू.	55,96.00	39,41.00	39,41.00	..
पु.	- 16,55.00			

31 मार्च 2017 को ₹ 16,55.00 लाख का प्रावधान सहकारी बैंकों से दावे कम प्राप्त होने तथा गत वर्ष से संबंधित ₹ 7,04.17 लाख की अवशेष राशि का उपयोग किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश )  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(05) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( पी.एम.के.एस.वाई.)  
अदर इंटरवेंशन  
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी

मू.	17,83.00	..	..	..
पु.	- 17,83.00			

31 मार्च 2017 को ₹17,83.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (अदर इंटरवेंशन) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	78,33.78		
पु.	- 8,56.18	69,77.60	69,77.60
31 मार्च 2017 को ₹ 8,56.18 लाख का प्रावधान "फोर वॉटर कन्सेप्ट " प्लान को निधियों का डाइवर्जन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेट			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	1,12,32.89		
पु.	- 95,66.23	16,66.66	16,66.66
31 मार्च 2017 को ₹ 95,66.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान			
मू.	35,43.00		
पु.	- 28,21.12	7,21.88	7,21.88
31 मार्च 2017 को ₹ 28,21.12 लाख का प्रावधान भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
वर्ष 2015-16 के दौरान समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना			
[03] अनुदान			
मू.	19,00.00		
पु.	- 17,99.92	1,00.08	1,00.08
31 मार्च 2017 को ₹ 17,99.92 लाख का प्रावधान भारत सरकार से नियोजनबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना हेतु निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इन्दिरा आवास योजना			
[04] अनुदान (राज्यांश)			
मू.	58,16.30	35,10.88	35,10.88
पु.	- 23,05.42		..
31 मार्च 2017 को ₹ 23,05.42 लाख का प्रावधान <i>इंदिरा आवास योजना</i> के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	8,36,00.00	3,68,71.37	3,68,71.37
पु.	- 4,67,28.63		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,67,28.63 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
60. अन्य कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) स्टेट बी.पी.एल. परिवार हेतु आवास			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	9,45.00	1,64.15	1,64.15
पु.	- 7,80.85		..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,80.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु (राज्यांश)			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	7,43.15	4,63.41	4,63.41
पु.	- 2,79.74		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,79.74 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	7,57.88	..	..
पु.	- 7,57.88	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,57.88 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,58,50.70		
पु.	- 27,53.79	3,30,96.91	3,30,96.91
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 27,53.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,45.64		
पु.	- 2,45.64	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,45.64 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(24) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	13,10.08		
पु.	- 7,74.72	5,35.36	5,35.36
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,74.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से			
मू.	21,11.75		
पु.	- 20,73.54	38.21	38.21
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 20,73.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	4,53.60		
पु.	- 3,34.00	1,19.60	1,19.60
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,34.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क			
मू.	5,01.75	..	..
पु.	- 5,01.75	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,01.75 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)। वर्ष 2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	20,16.45	15,58.19	15,58.19
पु.	- 4,58.26	..	..
₹ 4,58.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डेटा सेन्टर			
मू.	3,98.84	..	..
पु.	- 3,98.84	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,98.84 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू.	8,51.64	5,89.68	5,89.68
पु.	- 2,61.96	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,61.96 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराइजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	46,92.18		
पु.	- 13,00.04	33,92.14	33,92.14
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 13,00.04 लाख का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा पेंशन और <b>मनरेगा</b> के तहत मजदूरी के संबन्धित पर बैकों को कमीशन का अंतिमीकरण प्रशासनिक स्तर पर नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	12,08.05		
पु.	- 2,81.29	9,26.76	9,26.76
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,81.29 लाख का प्रावधान <b>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</b> के अन्तर्गत अंत्योदय परिवारों को खाद्यान्न वितरण के संग्रहण एवं परिवहन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य			
मू.	3,21.50		
पु.	- 2,86.07	35.43	35.43
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,86.07 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य			
मू.	3,39.45		
पु.	- 2,49.91	89.54	89.54
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,49.91 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	3,05.18	6,91.33	6,91.33
पु.	3,86.15		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,86.15 लाख की अतिरिक्त निधियां ब्याज अनुदान के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)			
मू.	2,32,07.10	2,83,45.78	2,83,34.09
पु.	51,38.68		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 51,38.68 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों और विभाग की विशिष्ट सेवाओं पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके विस्तृत कारण तथा ₹ 11.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) अनुसूचित जाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	12,60.00	15,46.67	15,46.67
पु.	2,86.67		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,86.67 लाख की अतिरिक्त निधियां आई.सी.टी. योजनान्तर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[02] संस्कृत विद्यालय			
मू.	7,76.21	9,41.43	9,41.45
पु.	1,65.22		
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,65.22 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के भरे जाने तथा कार्मिकों का हस्तांतरण अन्य लेखा शीर्ष से इस शीर्ष में होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग-राज्यांश राशि			
मू.	6,00.00	12,00.00	12,00.00
पु.	6,00.00		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वार्षिक कार्य योजना के लिए भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	20,60.01	23,30.12	23,30.11
पु.	2,70.11		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,70.11 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) अस्थायी रूप से कार्यरत 1,275 नर्स ग्रेड- II कर्मचारी तथा नर्सिंग कार्मिकों को बकाया तथा (ii) सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में नये बेच के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा वजीफे के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	16,82.85	19,26.82	19,26.82
पु.	2,43.97		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,43.97 लाख की अतिरिक्त निधियां रिक्त पदों के विरुद्ध नर्स ग्रेड- I के 21 पदों को भरे जाने तथा नर्स ग्रेड- II के 29 अस्थायी पदों पर नियुक्ति किये जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	16,28.03	18,01.64	18,01.63
पु.	1,73.61		

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,73.61 लाख की अतिरिक्त निधियां निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों में स्थापित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु संविदा कार्मिकों (मेन विद मशीन/सहायक/दवा विक्रेता) को बकाया मानदेय के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	36,49.80	44,20.04	44,20.04
पु.	7,70.24		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,70.24 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	19,63.41	31,01.58	31,01.58
पु.	11,38.17		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,38.17 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	96,56.44	1,11,41.92	1,11,41.92
पु.	14,85.48		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,85.48 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	40,13.50	54,19.69	54,19.69
पु.	14,06.19		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,06.19 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना			
मू.	0.02		
		11,27.66	
पु.	11,27.64	11,27.66	..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,27.64 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) अनुसूचित जाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	40,00.00		
		45,00.00	
पु.	5,00.00	44,99.77	- 0.23
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[27] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
अ .	0.01		
		8,18.56	
पु .	8,18.55	8,18.56	..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,18.55 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	78,45.20		
		87,09.53	
पु .	8,64.33	86,52.92	- 56.61
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,64.33 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा ₹ 56.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[04] फसल बीमा (50% राज्यांश: 50% केन्द्रांश)			
मू.	1,46,30.00		
अ.	0.02	2,27,22.24	2,27,22.23
पु.	80,92.22		- 0.01

₹ 1,46,30.00 लाख का प्रावधान खरीफ फसल 2016 से राज्य के किसानों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80,92.22 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) बीमित राशि में वृद्धि क्योंकि जिलेवार बीमित राशि का निर्धारण गत तीन वर्षों की जिलेवार फसलों के औसत उत्पादन को भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये समर्थन मूल्य के आधार पर किये जाने तथा (ii) अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित क्लस्टरवार, जिलेवार, फसलवार प्रदान की गई प्रीमियम दरों में वृद्धि किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2403. पशु पालन

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से

[08] खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

मू.	4,17.62			
		6,99.82	6,99.82	..
पु.	2,82.20			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,82.20 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीके, आवश्यक सामग्री और उपकरण खरीद के लिए भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(03) गोपालन विभाग

[01] गौ-शालाओं को अनुदान

मू.	0.01			
		16,78.23	16,78.23	..
पु.	16,78.22			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,78.22 लाख की अतिरिक्त निधियां गौ शालाओं को अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(04) फोर वॉटर कन्सेप्ट

[03] कार्यकलाप सम्बन्धी

मू.	0.01			
		2,91.45	2,91.45	..
पु.	2,91.44			

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,91.44 लाख की अतिरिक्त निधियां सूक्ष्म भराव टैंकों के जलग्रहण उपचार तथा प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।



## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना			
[03] अनुदान			
मू.	12,12.00		
पु.	4,16.38	16,28.38	16,28.38
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,16.38 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)			
अ.	0.01		
पु.	1,49,33.80	1,49,33.81	1,49,33.81
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,49,33.80 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जाति क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान ( कुल प्रावधान का 12%)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	65,71.60		
पु.	27,72.40	93,44.00	93,44.00
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,72.40 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ब्लॉक पंचायत/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	40,00.00		
पु.	13,20.00	53,20.00	53,20.00
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,20.00 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वर्तमान योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	11,10.00		
पु.	7,63.62	18,73.62	18,73.62
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,63.62 लाख की अतिरिक्त निधियां विज्ञापन तथा प्रचार पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	60.00		
पु.	3,82.99	4,42.99	4,42.99
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,82.99 लाख की अतिरिक्त निधियां पी.डी.एस. सिस्टम के एंड टू एंड आई.टी. इनेबलमेंट हेतु पाइंट आफ सेल (पी ओ एस) मशीन की खरीद सही मूल्य पर करने के लिए राजकॉम्प सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[09] बी.पी.एल. व अंत्योदय परिवारों को चीनी वितरण योजना			
मू.	0.01		
पु.	5,10.99	5,11.00	5,11.00
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,10.99 लाख की अतिरिक्त निधियां गरीबी रेखा से नीचे और अन्त्योदय परिवारों हेतु चीनी की दरें ₹13.50 प्रति किलो से ₹10.00 प्रति किलो पर सब्सिडाइज करने के पश्चात् अन्तर राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## पूँजी

## दत्तमत

1. ₹ 5,76,10.24 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 28.83 लाख अनुभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1,23,83.38 लाख, ₹ 2,75,07.63 लाख, ₹ 4,97,46.10 लाख, ₹ 9,41,34.85 लाख तथा ₹ 5,76,10.24 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.49 प्रतिशत से 16.31 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/न होना था।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[02] सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	8,92.50	..	..
पु.	- 8,92.50	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 8,92.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय ( अनुसूचित जाति क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,82.71	87.46	..
पु.	- 1,95.25	87.46	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,95.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] जेल भवन का निर्माण			
मू.	11,86.34	1,10.80	+ 7.16
पु.	- 10,75.54	1,17.96	..
31 मार्च 2017 को ₹ 10,75.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 7.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	4,89.47	..	..
पु.	- 4,89.47	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,89.47 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	16,35.35	9,11.08	..
पु.	- 7,24.27	9,11.08	..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,24.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	16,59.29	4,51.22	4,51.09
पु.	- 12,08.07		- 0.13
31 मार्च 2017 को ₹ 12,08.07 लाख का प्रावधान मुख्यतः जिलाधीशों द्वारा तीन नये महाविद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) महिला बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
मू.	5,30.02	1,13.97	1,13.97
पु.	- 4,16.05		..
₹ 5,30.02 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से महिला बहुशिल्प महाविद्यालय, भरतपुर के भवन निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 4,16.05 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	7,71.56	5,91.00	5,91.00
पु.	- 1,80.56		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,80.56 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निर्माण कार्य-आयुर्वेद विभाग			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,20.00	1,10.16	1,10.16
पु.	- 2,09.84		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,09.84 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	29,25.00	5,25.00	5,25.00
पु.	- 24,00.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 24,00.00 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	35,00.00	20,54.50	20,54.50
पु.	- 14,45.50		..
₹ 35,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत नये स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 14,45.50 लाख की राशि कार्यकारी अभिकरण द्वारा निर्माण कार्यों के लिए निविदाओं की तकनीकी प्रक्रिया का समय पर निष्पादन न करने तथा अन्य तकनीकी कारणों से कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित की गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	6,32.60	..	..
पु.	- 6,32.60		..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,32.60 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	8,46.94	2,00.00	2,00.00
पु.	- 6,46.94		..
31 मार्च 2017 को ₹ 6,46.94 लाख का प्रावधान कार्यों के धीमे निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	7,00.02	..	..
पु.	- 7,00.02	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,00.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	7,50.02	..	..
पु.	- 7,50.02	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,50.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[03] बीसलपुर-दूदू जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	24,54.72	9,54.44	9,54.44
पु.	- 15,00.28	..	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[16] तिंवरी-मथानिया-भोपालगढ़ जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	21,13.07	17,85.27	17,85.27
पु.	- 3,27.80	..	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 18,28.08 लाख का प्रावधान इन नाबार्ड परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[11] कोलायत तहसील जल प्रदाय परियोजना			
मू.	5,26.10		
पु.	- 2,64.28	2,61.82	2,61.82
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[19] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज- II			
मू.	5,22.16		
पु.	- 3,95.96	1,26.20	1,26.20
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[29] डीग जल पूर्ति योजना			
मू.	10,43.44		
पु.	- 7,47.58	2,95.86	2,95.86
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	8,01.01		
पु.	- 5,91.63	2,09.38	2,09.38
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[34] नागौर लिफ्ट केनाल फेज-प्रथम			
मू.	7,29.81		
पु.	- 3,19.83	4,09.98	4,09.98
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[36] निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	17,23.04		
पु.	- 9,47.44	7,75.60	7,75.60
01. जलपूर्ति			..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[39] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज- II पार्ट-सी (473 गांवों की कलस्टर योजना)			
मू.	2,67.01		
पु.	- 2,66.60	0.41	0.41
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[41] ब्यावर-जवाजा कलस्टर योजना			
मू.	8,43.40		
पु.	- 7,55.93	87.47	87.47
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[49] नर्मदा एफ.आर. कलस्टर परियोजना			
मू.	5,56.01		
पु.	- 5,45.20	10.81	10.81
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[51] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	9,75.60		
पु.	- 5,00.45	4,75.15	4,75.15
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[52] बांसवाड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	11,89.07		
पु.	- 6,94.90	4,94.17	4,94.17
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[55] नर्मदा परियोजना-कलस्टर (डी.आर.)			
मू.	5,56.01		
पु.	- 4,17.31	1,38.70	1,38.70



## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[56] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	1,78.00		
		8.90	
पु.	- 1,69.10		8.90
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[58] नर्मदा से शिव तहसील, जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	7,34.01		
		4,32.88	
पु.	- 3,01.13		4,32.88
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[59] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से बावड़ीकलां खारा एवं जलोड़ा जल पूर्ति परियोजना			
मू.	14,75.15		
		6,25.02	
पु.	- 8,50.13		6,25.02
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[60] राजीव गाँधी लिफ्ट कैनाल योजना से घटोर, कानासर एवं बाप जल पूर्ति परियोजना			
मू.	5,60.62		
		3,50.39	
पु.	- 2,10.23		3,50.39
01. जलपूर्ति			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[64] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	15,50.71		
		6,49.90	
पु.	- 9,00.81		6,42.05
			- 7.85

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[65] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण प्रतिशतता व्यय			
मू.	39,65.58		
पु.	- 7,00.00	32,65.58	32,65.58
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[75] राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड़, जिला-झालावाड़			
मू.	4,45.00		
पु.	- 1,79.78	2,65.22	2,65.22
उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 97,58.29 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष "4215-01-789(01)[64]" के अंतर्गत ₹ 7.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	1,29,51.03		
पु.	- 1,01,46.40	28,04.63	27,85.42
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[38] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज- II पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	21,65.87		
पु.	- 19,03.13	2,62.74	2,62.74
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[42] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू.	30,58.01		
पु.	- 23,28.64	7,29.37	7,29.37

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपुर-दूदू परियोजना, चाकसू-फागी एवं बरसी			
मू.	81,07.28		
		42,90.74	42,90.74
पु.	- 38,16.54		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[63] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	25,84.58		
		8,57.95	8,69.57
पु.	- 17,26.63		+ 11.62
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[76] आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में समुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	58,96.96		
		18,21.34	18,09.73
पु.	- 40,75.62		- 11.61
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 2,39,96.96 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
शीर्ष "4215-01-789(01)[01] तथा 01-789(01)[76] "के अंतर्गत ₹ 30.82 लाख की अंतिम बचत तथा शीर्ष "4215-01-789(01)[63] "के अंतर्गत ₹ 11.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	25,00.00		
		16,99.80	16,97.21
पु.	- 8,00.20		- 2.59
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	2,67.00		
		66.66	66.66
पु.	- 2,00.34		..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	16,02.00		
पु.	- 11,16.20	4,85.80	4,85.80
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II			
मू.	36,00.00		
पु.	- 8,40.27	27,59.73	27,59.73
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[24] राजगढ़-बूंगी जल प्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	2,67.00		
पु.	- 1,97.00	70.00	70.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[50] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना किशनगढ़ कस्बे की			
मू.	7,12.00		
पु.	- 1,78.00	5,34.00	5,34.00
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[52] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ़ कस्बे की			
मू.	7,12.00		
पु.	- 5,34.00	1,78.00	1,78.00

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 38,66.01 लाख का प्रावधान शहरी क्षेत्रों में कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	4,45.75	1,77.32	1,77.32
पु.	- 2,68.43		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,68.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	26,74.50	6,83.71	6,83.71
पु.	- 19,90.79		
31 मार्च 2017 को ₹ 19,90.79 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,09,46.15	44,75.88	44,75.88
पु.	- 64,70.27		
31 मार्च 2017 को ₹ 64,70.27 लाख का प्रावधान अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजीव आवास योजना स्वाम्भुक्त भारत हेतु			
मू.	34,17.12	7,70.54	7,70.54
पु.	- 26,46.58		
31 मार्च 2017 को ₹ 26,46.58 लाख का प्रावधान राजीव आवास योजना स्वाम्भुक्त भारत हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	14,63.00	78.92	78.92
पु.	- 13,84.08		
31 मार्च 2017 को ₹ 13,84.08 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	7,39.84	2,13.44	2,13.44
पु.	- 5,26.40		..
31 मार्च 2017 को ₹ 5,26.40 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) नाबार्ड सहायतान्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	3,12.16	1,32.63	1,32.32
पु.	- 1,79.53		- 0.31
31 मार्च 2017 को ₹ 1,79.53 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगन बाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	13,40.10	6,22.00	6,22.00
पु.	- 7,18.10		..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,18.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आंगन बाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	2,57.81	..	..
पु.	- 2,57.81		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,57.81 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान निरन्तर अभ्यर्पित किया गया था।			

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	22,31.37		
पु.	- 10,90.16	11,41.21	11,41.21
			..
<p>31 मार्च 2017 को ₹ 22,31.37 लाख का प्रावधान महानिदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित नये पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तमान आई.टी.आई. में औजार तथा उपकरण की खरीद तथा नये स्थापित आई.टी.आई. हेतु औजार एवं उपकरण की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 10,90.16 लाख (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) केवल नये आई.टी.आई. भवन के निर्माण पर औजार व उपकरण की खरीद, (iii) क्रय आदेश के जारी होने के बावजूद फर्मों द्वारा औजार व उपकरण की कम आपूर्ति तथा (iv) जहां फर्मों द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में आपूर्ति की गयी, संस्थाओं से बिलों के प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।</p>			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	32,88.76		
पु.	- 17,05.30	15,83.46	15,83.46
			..
<p>₹ 32,88.76 लाख का प्रावधान नये आई.टी.आई. भवनों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 17,05.30 लाख (i) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन, (ii) निर्माण अभिकरण के निर्धारण में देरी तथा (iii) नियम के अनुसार भूमि के आवंटन में देरी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।</p>			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,63.10		
पु.	- 2,14.02	49.08	49.08
			..
<p>31 मार्च 2017 को ₹ 2,14.02 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन तथा अन्य अभिकरणों जैसे, आर.एस.आर.डी.सी. के द्वारा किये गये कार्यों पर प्रतिशतता व्ययों का पृथक से दावा न किये जाने के परिणामतः प्रतिशतता व्ययों के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[03] पशु पालन विभाग के माध्यम से			
मू.	7,50.00		
पु.	- 2,28.39	5,21.61	5,21.61
			..
<p>31 मार्च 2017 को ₹ 2,28.39 लाख का प्रावधान <i>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</i> के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00		
31 मार्च 2017 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	9,00.00	4,76.80	4,76.80
पु.	- 4,23.20		..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,23.20 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार निधियां जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	17,10.00	14,39.08	14,39.08
पु.	- 2,70.92		..
₹ 17,10.00 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग के माध्यम से किसान सेवा केन्द्र के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2017 को ₹ 2,70.92 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग द्वारा समस्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर			
मू.	2,99.99	..	..
पु.	- 2,99.99		
31 मार्च 2017 को ₹ 2,99.99 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	9,05.90	7,47.24	7,47.24
पु.	- 1,58.66		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,58.66 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू.	10,68.00		
पु.	- 2,68.08		
	7,99.92	7,99.92	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,68.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	26,74.50		
पु.	- 2,36.50		
	24,38.00	24,38.00	..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,36.50 लाख का प्रावधान सीमा क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	2,20.00		
पु.	- 1,65.94		
	54.06	54.06	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,65.94 लाख का प्रावधान संवेदकों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	24,50.50		
पु.	- 17,56.28		
	6,94.22	6,91.79	- 2.43
31 मार्च 2017 को ₹ 17,56.28 लाख का प्रावधान (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) किसानों द्वारा निर्माण कार्यों का विरोध करने के कारण चारण वाला शाखा में डिच माइनर के कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[05] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा लिफ्ट)			
मू.	8,23.59	1,13.21	1,13.21
पु.	- 7,10.38		..
₹ 7,10.38 लाख की प्रत्याशित बचत पृथक से लेखा शीर्ष खोलने के पश्चात् कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्ध से संबंधित व्यय न होने को आरोपित की गयी।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	11,40.76	7,77.60	7,77.78
पु.	- 3,63.16		+ 0.18
31 मार्च 2017 को ₹ 3,63.16 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 94 स्वीकृत पदों में से तकनीकी स्टाफ, सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के 67 पदों के रिक्त रहने के कारण निर्माण कार्य बाधित होने, (ii) केनाल कॉलोनी हेतु जल वितरण प्रणाली के कार्यों के लिए फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति न करने तथा (iii) रामगढ़ ओपन माइनर हेतु भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] मुख्य नहर (कि.मी. 74 से 189 तक) का पुर्नजीविकरण/ उन्नयन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण			
मू.	1,80.00	..	..
पु.	- 1,80.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,80.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इंदिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय ( मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इंदिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय ( मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	3,56.00	..	..
पु.	- 3,56.00		..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,56.00 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा पंजाब हिस्से के इंदिरा गांधी नहर फीडर में री-लाइनिंग कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2015-16 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[03] वाटर हारवैस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	16,18.00		
पु.	- 8,94.99	7,23.01	6,86.46
			- 36.55
31 मार्च 2017 को ₹ 8,94.99 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 36.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जल संग्रहण संरचना (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	7,08.64	..	..
पु.	- 7,08.64	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 7,08.64 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जल संग्रहण संरचना (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष -2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,91.36	..	..
पु.	- 1,91.36	..	..
31 मार्च 2017 को ₹ 1,91.36 लाख का समस्त प्रावधान संस्थापन व्यय का समायोजन कार्य परिव्यय के अनुसार करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर, अजमेर)			
मू.	3,36.98		
पु.	- 2,99.12	37.86	37.86
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,99.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,01,40.00		
पु.	- 43,03.27	58,36.73	58,36.73
			..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	41,48.06		
पु.	- 22,41.00	19,07.06	19,07.06
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	40,38.03		
पु.	- 21,59.00	18,79.03	18,79.03
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 87,03.27 लाख का प्रावधान क्रमशः राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर तथा जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आन्तरिक और बाह्य बजट संसाधनों की कम मांग के परिणामस्वरूप अंश पूंजी में कम विनियोजन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	27,63.91		
पु.	- 12,37.78	15,26.13	15,26.13
31 मार्च 2017 को ₹ 12,37.78 लाख का प्रावधान अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आन्तरिक और बाह्य बजट संसाधनों की कम मांग के परिणामस्वरूप अंश पूंजी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मार्ईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	11,00.00		
पु.	- 10,01.11	98.89	98.89
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मार्ईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	4,50.00		
पु.	- 4,50.00	..	..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[03] खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	11,00.00	..	..
पु.	- 11,00.00	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 25,51.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	10,26.15	5,82.63	5,82.49
पु.	- 4,43.52		- 0.14
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	10,26.15	5,83.75	5,83.75
पु.	- 4,42.40		..
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	3,04.88	1,41.10	1,41.10
पु.	- 1,63.78		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 10,49.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,77.24	20.48	20.48
पु.	- 2,56.76		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,56.76 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के परिणामस्वरूप कम प्रतिशतता व्ययों के समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	34,65.50	2,55.96	2,55.96
पु.	- 32,09.54		..
31 मार्च 2017 को ₹ 32,09.54 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	1,32,74.34	15.77	15.77
पु.	- 1,32,58.57		..
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	35,39.82	..	..
पु.	- 35,39.82		..
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- III (जायका)			
मू.	17,69.91	..	..
पु.	- 17,69.91		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,85,68.30 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू.	8,66.37		
पु.	- 2,21.79	6,44.58	6,44.58
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[09] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतितमः)			
मू.	12,62.30		
पु.	- 8,02.84	4,59.46	4,50.75
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 10,24.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "5054-04-789(04) [09] " के अंतर्गत ₹ 8.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			- 8.71
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[10] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतितमः)			
मू.	85,20.53		
पु.	- 32,72.89	52,47.64	52,47.51
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	2,05,12.39		
पु.	- 94,17.56	1,10,94.83	1,10,02.55
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	33,07.97		
पु.	- 32,40.97	67.00	67.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 1,59,31.42 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा शीर्ष "5054-04-789(05) " के अंतर्गत ₹ 92.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			- 92.28

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,64.64	5.36	5.36
पु.	- 2,59.28		..
31 मार्च 2017 को ₹ 2,59.28 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप कम प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	43,13.72	16,66.22	16,84.31
पु.	- 26,47.50		+ 18.09
31 मार्च 2017 को ₹ 26,47.50 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप कम प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा ₹ 18.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	21,65.49	7,53.27	7,53.27
पु.	- 14,12.22		..
31 मार्च 2017 को ₹ 14,12.22 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	16,17.65	6,24.83	6,30.70
पु.	- 9,92.82		+ 5.87
31 मार्च 2017 को ₹ 9,92.82 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप कम प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा ₹ 5.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	10,78.46		
पु.	- 6,61.91	4,16.55	4,20.44
			+ 3.89
31 मार्च 2017 को ₹ 6,61.91 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप कम प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	20,75.15		
पु.	- 19,13.59	1,61.56	1,61.56
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 19,13.59 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[09] ई-मित्र			
मू.	3,07.28		
पु.	- 3,07.28	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 3,07.28 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी.आई.एस.			
मू.	8,94.20		
पु.	- 4,63.20	4,31.00	4,31.00
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,63.20 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] ई-डिस्ट्रिक्ट			
मू.	4,87.72		
पु.	- 4,87.72	..	..
			..
31 मार्च 2017 को ₹ 4,87.72 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	18,00.00		
पु.	- 13,92.95	4,07.05	4,07.05
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[31] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन			
मू.	4,28.00	55.30	55.30
पु.	- 3,72.70		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 17,65.65 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
मू.	1,32,46.33	1,17,03.12	1,17,03.12
पु.	- 15,43.21		
31 मार्च 2017 को ₹ 15,43.21 लाख का प्रावधान जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 5,97.34 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,45.87 लाख) किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
मू.	1,02,48.34	90,54.49	90,54.49
पु.	- 11,93.85		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)			
मू.	1,04,20.33	92,04.30	92,04.30
पु.	- 12,16.03		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को ₹ 24,09.88 लाख का प्रावधान क्रमशः जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	40,73.20		
		1,82.13	1,82.13
पु.	- 38,91.07		..

31 मार्च 2017 को ₹ 38,91.07 लाख का प्रावधान के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	8,00.00		
		16,42.75	16,42.75
पु.	8,42.75		..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,42.75 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय चिकित्सा शिक्षा  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर

मू.	10,00.01		
		14,96.80	14,96.80
पु.	4,96.79		..

₹ 10,00.01 लाख का प्रावधान केन्द्र तथा राज्य के फंडिंग पैटर्न के तहत सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत केंसर संस्था के निर्माण हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,96.79 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[05] चूरु-झुंझुनू जल प्रदाय परियोजना फेज-II (ई.ए.पी.)			
मू.	4,45.01		
		26,32.03	26,32.03
पु.	21,87.02		..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसूंड जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	39,39.01		
पु.	7,88.71	47,27.72	47,27.72
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[22] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय परियोजना			
मू.	10,95.11		
पु.	6,09.72	17,04.83	17,04.83
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[28] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	7,12.01		
पु.	7,10.06	14,22.07	14,22.07
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[44] जवाई क्लस्टर परियोजना - II			
मू.	14,39.54		
पु.	2,03.94	16,43.48	16,43.48
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[53] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू.	8,34.01		
पु.	24,88.12	33,22.13	33,22.13
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[57] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू.	3,56.01		
पु.	8,65.44	12,21.45	12,21.45

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[61] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	6,45.01	11,71.54	11,71.54
पु.	5,26.53		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[62] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	3,56.01	16,03.74	16,03.74
पु.	12,47.73		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[73] नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II (डी डी पी) ग्रामीण			
मू.	3,84.59	19,90.88	19,90.88
पु.	16,06.29		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[79] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट-डी			
अ.	0.01	11,15.41	11,15.41
पु.	11,15.40		
उपरोक्त म्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,23,48.96 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[14] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	11,96.52	16,96.33	16,96.33
पु.	4,99.81		

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[37] टोंक, देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	1,61.01		
पु.	4,34.06	5,95.07	5,94.39
			- 0.68
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	0.01		
पु.	6,05.99	6,06.00	6,06.00
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं (एन.सी.आर.पी.बी.)			
मू.	8,15.00		
पु.	13,59.39	21,74.39	19,88.00
			- 1,86.39
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[47] जवाई-पाली पाईपलाईन परियोजना, फेज-II पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	1,95.80		
पु.	2,85.63	4,81.43	4,81.43
			..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,84.88 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा शीर्ष "4215-01-789 (02) [44]" के अन्तर्गत ₹ 1,86.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन			
[01] विकास कार्य (स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से)			
मू.	0.02		
पु.	18,60.20	18,60.22	18,60.22
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,60.20 लाख की अतिरिक्त निधियां जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	7,83.93		
पु.	10,37.73	18,21.66	18,21.66
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,37.73 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			..
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
अ.	0.01	7,92.83	7,92.83
पु.	7,92.82		..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,92.82 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[06] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट)			
मू.	1,50.00	3,07.50	3,07.54
पु.	1,57.50		+ 0.04
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,57.50 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट के अन्तर्गत डिच माइनर के कार्यों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[11] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
अ.	0.01	5,36.04	5,36.04
पु.	5,36.03		..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,36.03 लाख की अतिरिक्त निधियां कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबन्धन में अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट पर आनुपातिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] मुख्य नहर (कि.मी. 0 से 74 तक) का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण			
मू.	14,22.00		
पु.	1,66.34	15,88.34	15,88.34
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,66.34 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	21,31.54		
पु.	1,72.29	23,03.83	23,03.83
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,72.29 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	4,75.00		
अ.	0.01	6,83.91	6,70.49
पु.	2,08.90		- 13.42
67. लहासी परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) लहासी परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	1,60.00		
अ.	0.01	4,56.55	4,02.53
पु.	2,96.54		- 54.02

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,05.44 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 67.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।



**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[04] आधुनिकीकरण/उन्नयन/पुनर्जीवीकरण			
मू.	3,60.00		
अ.	0.01	6,94.26	6,98.07
पु.	3,34.25		+ 3.81
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,34.25 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	19,13.34		
पु.	24,64.88	43,78.22	43,75.71
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,64.88 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष -2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	5,16.66		
पु.	3,75.40	8,92.06	10,14.36
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,75.40 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक था इसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,22.30 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकोनर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	5,45.00		
पु.	3,49.23	8,94.23	8,93.75
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,49.23 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] गंग नहर फेज- II			
मू.	65.00		
पु.	1,94.88	2,59.88	2,59.88

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,94.88 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			

मू. 1,38,60.00

1,77,80.40

1,77,80.40

..

पु. 39,20.40

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,20.40 लाख की अतिरिक्त निधियां छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को आगे की निधियां जारी करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में अंश पूंजी के निवेश करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन			

मू. 0.01

8,81.01

8,81.01

..

पु. 8,81.00

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,81.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को अंश पूंजी जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			

मू. 47,52.60

1,25,46.14

1,25,46.14

..

पु. 77,93.54

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 77,93.54 लाख की अतिरिक्त निधियां केन्द्रीय सड़क निधि के तहत भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों को त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

**अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[11] सड़क उन्नयन परियोजना (द्विविंशतितमः)			
मू.	11,83.42		
पु.	4,24.30	16,07.72	16,07.72
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,24.30 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड से निधियों की प्राप्ति को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,42,64.00		
पु.	27,10.16	1,69,74.16	1,69,74.16
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,10.16 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[25] विकास केन्द्र			
मू.	2,22.55		
पु.	3,39.58	5,62.13	5,62.13
			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[32] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	7,20.00		
पु.	8,11.95	15,31.95	15,31.95
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,51.53 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना प्रौद्योगिकी कार्य की त्वरित गति के लिए उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	17,46.00		
पु.	73,13.26	90,59.26	90,59.26
			..
31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 73,13.26 लाख की अतिरिक्त निधियां नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रचलित योजनाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) भामाशाह योजना -2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	34.00		
पु.	4,59.00	4,93.00	4,93.00
			..
₹ 34.00 लाख का प्रावधान बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में पंचायत समिति स्तर पर 100 ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स की स्थापना हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,59.00 लाख की अतिरिक्त निधियां आपदा राहत के लिए केन्द्रीयकृत भामाशाह डाटा हब तथा निरन्तर व्यापार योजना मय डाटा बेकअप स्थापना एवं ढांचागत वसूली के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
मू.	5,05,86.68		
पु.	1,67,21.17	6,73,07.85	6,73,07.85
			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
मू.	4,66,47.58		
पु.	1,78,03.54	6,44,51.12	6,44,51.12
			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] उदय योजना के अन्तर्गत उधार			
मू.	4,79,44.08		
पु.	69,96.55	5,49,40.63	5,49,40.63
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,15,21.26 लाख की अतिरिक्त निधियां उदय योजनान्तर्गत जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को ऋण जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	75,74.40		
पु.	8,38.73	84,13.13	84,13.13
			..

31 मार्च 2017 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,38.73 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को एशियन विकास बैंक के ऋण जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 051 - (समाप्त)**

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान की कटौती अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	2,39.57		
पु.	- 2,39.57	..	+ 2,43.23

31 मार्च 2017 को ₹ 2,39.57 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण तथा ₹ 2,43.23 लाख का व्यय बिना प्रावधान के करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2017)।

परि  
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के  
(व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
009. वन	1,80,00	..
010. विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012. अन्य कर	37,18	..
014. बिक्री कर	8,62,50	..
015. पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016. पुलिस	10,00	..
019. लोक निर्माण कार्य	4,55,47,30	..
021. सड़कें एवं पुल	1,39,95,92	5,48,83,86
022. क्षेत्र का विकास	..	3,71,24
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027. पेय जल योजना	3,20,19,44	1,60,00,00
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	..	..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1	..
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास	90,04	1,26,59,46
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
दत्तमत	59,75,87	..
प्रभारित	10	..
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत	11,58,00,00	..
039. पशुपालन एवं चिकित्सा	..	..
043. खनिज	33,20,12	86,00,00
046. सिंचाई	2,30,25,17	94,51,21
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट सघटक योजना	90,02	1,50,56,62
<b>दत्तमत</b>	<b>24,09,53,62</b>	<b>11,70,22,39</b>
<b>कुल वसूलियां</b>		
<b>प्रभारित</b>	<b>10</b>	<b>..</b>

## शिष्ट

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
1,58,31	..	- 21,69	..
..	..	- 1	..
29,81	..	- 7,37	..
2,54,86	..	- 6,07,64	..
13	..	+ 10	..
7,90	..	- 2,10	..
2,50,53,99	..	- 2,04,93,31	..
52,31,78	5,22,39,56	- 87,64,14	- 26,44,30
..	40,97	..	- 3,30,27
..	..	- 1	..
2,91,29,87	70,09,18	- 28,89,57	- 89,90,82
1,50,76,37	..	+ 1,50,76,37	..
..	..	- 1	..
12,57,01	96,49,01	+ 11,66,97	- 30,10,45
56,07,95	..	- 3,67,92	..
41,90	..	+ 41,80	..
20,54,33,63	..	+ 8,96,33,63	..
62,86,52	..	+ 62,86,52	..
50,17,17	10,52,91	+ 16,97,05	- 75,47,09
2,03,09,02	40,22,39	- 27,16,15	- 54,28,82
16,78,23	1,30,09,98	+ 15,88,21	- 20,46,64
<b>32,05,32,55</b>	<b>8,70,24,00</b>	<b>+ 7,95,78,93</b>	<b>- 2,99,98,39</b>
<b>41,90</b>	<b>..</b>	<b>+ 41,80</b>	<b>..</b>

© भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक  
**2017**

[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)